जवाब हाजिर है

तालीफ

शैख मुहम्मद रईस कुरैशी

नज़रे सानी

मुहम्म्द राफे हाफि.

इमाम व खतीब मस्जिद बैतुस्सलाम, उज्जैन

फेहरिस्त

मुकद्दमा

तमाम तअरीफे अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जो तमाम जहानों का पालनहार है, जो किसी का मोहताज नहीं उसके सब मोहताज है, जो ग़नी है बाकी सब उसके आगे फकीर है। उसकी तअरीफ जैसी करनी चाहिए हम अपनी कम इल्मी की बिना पर नहीं कर सकते मगर खास उस की तौफिक़ से। तमाम दरख्त कलम बन जाए तमाम सागर स्याही बन जाए तो भी अल्लाह की तअरीफ ब्यान नहीं की जा सकती है। बेशुमार दरूद व सलाम हो आखरी नबी रहमतुल लिल आलमीन शाफीए मेहशर शाकीए कौसर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अल्लाह की तरफ से तमाम इन्सानों पर अल्लाह का अहसान है। रहमत हो आपकी आल व साथियों पर। इसके बाद।

हर खास व आम मुसलमान इस बात को जानता है कि बच्चे के एक कान में अजान देना और दूसरे कान में इकामत पढ़ी जाती है। हम गौर करे तो बच्चे कान में दो शहादतें और एक अमल की आवाज़ पहुंचती है। शहादत है "मैं गवाही देता हुँ अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं" और "मैं गवाही देता हुँ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अल्लाह के रसूल है" अमल है "आओ नमाज की तरफ" नमाज़ इस्लाम है जैसा कि मुस्लिम की हदीस में है। और यह बात भी मुसलमानों को रटी हुई है कि क़ब्र में तीन सवाल होंगे (1) तेरा रब्ब कौन है? (2) तेरा नबी कौन है? (3) तेरा दीन क्या है? इन दोनों बातों पर गौर करो तो मालूम होता है कि बन्दे के कान में न तो किसी जमाअत के बारे में बतलाया जाता है न किसी मस्लक के बारे में और न ही किसी इमाम के बारे में कि तुझे इसकी तकलीद करना है। इसी तरह न क़ब्र में जमाअत, मस्लक और इमाम के बारे में सवाल होता है। इसी तरह कुरआन में है।

अल्लाह तआला का फरमान है "ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो! अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और बात को सून लेने के बाद उससे मुहं न मोड़ो।" (अनफाल 8/20)

दूसरी जगह इरशाद है "जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें अल्लाह से डरे और उसकी ना फरमानी से बचे, वही कामयाब है।" (नूर 24/52)

एक और जगह अल्लाह का फरमान है "जिसने अल्लाह और रसूल की

इताअत की उसने बड़ी कामयाबी हासिल की।" (अहज़ाब 33/71)

इरशादे बारी तआला है "जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा अल्लाह उसे ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें बहती होंगी जहाँ वह हमेशा रहेगा और यही सबसे बड़ी कामयाबी है।" (निसा 4/13)

अल्लाह की इताअत का मतलब है कुरआन पर अमल करना।

रसूल की इताअत का मतलब है हदीस पर अमल करना।

सय्यदना अबू हुरेरा रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायज है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया "जिसने मेरी इताअत की, उसने अल्लाह की इताअत की और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की।"(इब्ने माजा जि. 1 स. 70 ह. नं. 3)

सय्यदना अबूदरदा रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमायाः रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया "अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हें रौशन (चाँद की रातों जैसी) शरीअत पर छोड़ रहा हूं, जिसकी रात और दिन बराबर हैं।" (इब्ने माजा जि. 1 स. 73 ह. नं. 5)

इतनी वाजेह दलील होने के बावजूद कुछ लोग अपने फिरके और मस्लक की इशाअत के लिए कुरआन और हदीस पर अमल करने से लोगों को रोकते है। उस पर तुर्रा यह कि वह लोग कहते है कि कुरआन को हर कोई नही समझ सकता? अब सवाल यह उठता है कि अगर कुरआन को हर कोई नहीं समझ सकता तो कुरआन का तर्जुमा ऊर्दू, हिन्दी और दुनिया की दूसरी जबानों में क्यों किया गया? क्योंकि आलिम लोग तो अरबी समझते है उनके लिए तर्जुमा करने की जरूरत ही नहीं। इससे यह बात समझ में आती है कि तर्जुमा आम आदमी के लिए किया गया है।

इसका आखरी जवाब यह है कि अल्लाह तआला का फरमान है "और यक़ीनन हमने कुरआन को नसीहत (उपदेश) के लिए आसान किया फ़िर क्या कोई नसीहत पकड़ने वाला है?"(कमर 54/40)

इसके बावजूद अगर कोई हटधर्मी करे और लोगों को कुरआन पढ़ने से रोके तो वह खुद अल्लाह तआला के यहां अपना जवाब देगा।

इसी तरह हदीसों पर अमल करने से रोकने के लिए एक एतराज यह करते है कि हदीसों में बहुत इख्तिलाफ है। इसका बड़ा आसान जवाब है कि हदीसों में

इख्तिलाफ बतलाने वाला झूठ बोल रहा है क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है "फिर अगर तुम आपस में किसी चीज़ में इख्तिलाफ करो तो उसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो, अगर तुम वाकई अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखते हों। यह बेहतर है और अन्जाम के लिहाज़ से बहुत अच्छा है।" (निसा 4/59) इसमें अल्लाह तआला इख्तिलाफ के वक्त अल्लाह और रसूल की तरफ लौटाने को कह रहा है यानी कुरआन और हदीस की तरफ। हमे यकीन है अल्लाह तआला इख्तिलाफ वाली चीज़ की तरफ लौटने का हुक्म नहीं देगा। इसका मतलब यह हुआ कि हदीसों में कोई इख्तिलाफ नहीं। हां हम यह कह सकते है कि हमारी कम इल्मी की वजह से हम हदीसों में ततबींक नहीं कर पा रहे है।

यह लोग अपने फिरके को बचाने के लिए जईफ हदीसों को लोगों को पेश करते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि सहीह हदीस पर अमल करो और जईफ हदीस से बचो तो बड़ा ही अजीब गरीब जवाब देते है। मुझे एक वाक्या याद है मेरे एक दोस्त है उनका भाई मकल्लिद था वह मुझे लेकर एक जगह गया उसने यह नही बताया की वह कहां जा रहा है जब हम वहां पहुंचे तो मालूम पड़ा कि वह एक आलिम साहब से कुछ मसअला पूछने गया था उसने पूछा कि नाफ के नीचे हाथ या सीने पर हाथ बान्धना कैसा है? आलिम साहब ने कहा दोनों तरीके सही है। उसने मेरी तरफ देखा मैंने कहा सवाल मेरा नहीं तुम्हारा है तुम समझो उसने आलीम साहब से कहा कि अहले हदीस तो नाफ के नीचे हाथ बान्धने वाली हदीस को जईफ कहते है इस पर आलिम साहब ने जवाब दिया कि अगर तुम्हारा बाप जईफ हो जायेगा तो क्या उसे घर से निकाल दोगे। मुझे आज तक हदीस की इस्तिलाह की वह किताब नहीं मिली जिसमें लिखा हो कि हदीस के जईफ होने का मतलब बूढ़ा होना होता है। यह है उनकी दीनदारी और दीन का फहम।

और अगर जईफ हदीस आपके यहाँ काबिले कबूल है तो फिर इस हदीस को भी देखो।

सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है, उन्होंने फरमाया "हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल ने एक लकीर खींची, फिर उसके दांई तरफ दो लकीर खींची और बांई तरफ भी दो लकीर खींची। फिर बीच की लकीर पर हाथ रख कर फरमाया "यह

अल्लाह का रास्ता है।'' फिर यह आयत तिलावत फरमाई ''और यह मेरा रास्ता है सीधा, लिहाज़ा इस की पैरवी करो, और दूसरी राहों पर न चलो, वरना वह तुम्हे उस (अल्लाह) की राह से दूर कर देंगी।'' (अनआम 6/153) (इब्ने माजा जि. 1. स. 77, ह. न. 11)

सवाल यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार लकीरें क्यों खींची? क्या उम्मत को चार में तक्सीम नहीं किया जा रहा है?

एक मौलाना साहब ने मुझसे कहा कि आप हमारे लोगों को हमारी तरफ निस्बत करते हो। इसका जवाब यह है कि यह आपके उसूलों के तहत ही किया गया है आपके सामने जब कोई अहले हदीस कोई हदीस पेश करता है तो आप कहते हो कि तुम तो बुखारी की तकलीद करते हो मुस्लिम की तकलीद करते हो। उसी तरह जब लोग तुम्हारी बात हमारे सामने कुरआन हदीस के मुकाबले में पेश करते है तो हम उन्हें तुम्हारी तरफ मन्सूब करते है।

2014 के रमजान में एक पर्चा बाटा गया था ''20 रकआत तरावीह ही सुन्नत है'' हालांकि पर्चे में ऐसा कुछ नही था कि जिससे किसी अहले हदीस को कोई परेशानी हो। उसमें वही जईफ रिवायते और मनघड़ंत बातें थी। मगर कुछ नौवजवान जिनको सहीह दीन का इल्म नहीं उस पर्चे को लेकर यह समझ रहे कि उनके पास कोई एटम बम आ गया है जिसका जवाब नहीं मिलेगा। अहले हदीसों को दिखाने लगे तो साथियों ने कहा कि इसका जवाब लिखना चाहिए। हालांकि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि इसका जवाब लिखा जाए क्योंकि उम्मत आज जिस हालत से गुजर रही किसी की नजर से छुपी हुई बात नहीं हर जगह मुसलमान पेरशान है जुल्म का शिकार है। ऐसे हालत में इख्तिलाफ पर बात करना अक्लमंदी नहीं है। मगर मजबूरी यह है कि अगर जवाब नहीं दिया जाऐ तो गलत बात को उम्मत सही समझ लेगी और जो सही है उसे गलत समझ लेगी। मजबूरन जवाब लिखना पड़ा।

इस पूरी किताब में मैंने कोशिश की है कि जो भी जवाब लिखा जाए वह हनफी किताबों के हवाले से लिखा जाए अपनी तरफ से कोई बात नहीं लिखी जाए।

दूसरा यह कि पर्चे की पूरी इबारत नकल की जाए। अधूरी इबारत नकल करके जवाब न दिया जाए।

तीसरा यह कि हदीस को हदीस की किताबों से नकल किया जाए और पूरा हवाला नकल किया जाए

चौथा यह कि जईफ हदीसों से बचा जाए।

पाँचवा यह कि जबरन इल्जाम तराशी न की जाए।

इस किताब में जो भी खूबी है वह खालिस अल्लाह की तरफ से है इस पर अल्लाह तआला का जितना शुक्र किया जाए कम है। और जो भी कमी वेशी है वह मेरी कम इल्मी की वजह से है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरी खताओ को माफ फरमाए और इस किताब को खालिस अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमाए। आमीन

मैं अल्लाह तआला से अपने मरहूम वाल्दैन के लिए दुआ करता हुँ, कि अल्लाह तआला उनकी क़ब्र को नूर से भरे और उनके गुनाहो से दरगुजर फरमाए और आखिरत में उन्हें जन्नतुल फिरदौश में मक़ाम अता फरमाए। आमीन

मैं अल्लाह से अपनी एहलिया के लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह उन्हें दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता करे जिसने मेरी मसरूफियत का ख्याल रखा और मेरी जरूरतो पूरा किया। मैं अपनी बेटी के लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह उसे अपने अमान में रखे और दुनिया व आखिरत में कामयावी अता फरमाए जो हर वक्त इस फ़िक्र करती है कि मुझे कोई तकलीफ न पहुंचे। मैं अपने दोनों बेटो के लिए अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उन्हें अपने दीन की खिदमत के लिए चुन ले और उन्हें दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए आमीन।

मैं अपने साथियों इक़बाल भाई, आसिफ भाई, मोहसीन भाई के लिए दुआ करता हूं जिन्होंने दीन की दअवत और तब्लीग में मुझे जो जरूरत पेश आई उसे अल्लाह के फजलो करम से पूरा किया अल्लाह तआला उन्हें दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और हर मुसिबत से बचाए। आमीन

मैं मौलाना राफे साहब के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर इस किताब पर नज़रे शानी की अल्लाह उन्हें दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए व दुनिया के शर्रो फसाद से बचाए। आमीन

मैं मौलाना के लिए दुआ करता हूं कि उन्होंने पर्चा लिख कर मुझे मौका दिया कि मैं आवाम तक सही दीन को पहुँचाऊ अल्लाह तआला उन्हें सही दीन की तौफिक अता फरमाए और दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए।

आमीन

मैं अपने उन तमाम साथियों के लिए दुआ करता हूं जिन्होंने मुझे इस किताब को छपवाने में किसी भी तरह की मदद फरमाई। अल्लाह उन सभी को दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन।

मैं हारून भाई व रईस भाई के लिए भी दुआ करता हूं जिन्होंने इस किताब को छपवा कर तक्सीम करने की जिम्मेदारी उठाई। अल्लाह तआला उन्हें दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन।

आखिर में आपसे गुजारिश है कि इस किताब में जो गलती रह गई हो हमें इत्तिला फरमाए ताकि अगले एडिशन में उसकी इस्लाह की जा सके और आप भी अल्लाह तआला के यहां अज्र पाए।

आपकी दुआओं का तलबगार

शैख मुहम्मद रईस कुरैशी

मर्कज़ दअवतुल हक़

मस्जिद दारूस्सलाम

गांधी नगर, उज्जैन (म.प्र.)

mqraisqureshi@gmail.com

अल्लाह के नाम से जो रहमान, रहीम है।

जवाब हाजिर है

तमाम तअरीफें अल्लाह रब्बुलआलमीन के लिए है, दरूद व सलाम हो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, रहमत हो आपकी आल व साथियों पर। इसके बाद :

हम "20 रकआत तरावीह ही सुन्नत है" का जवाब देने से पहले यह मुनासिब समझते है कि आपको यह बताए कि देवबन्दी फिरके के अकाबिर औलमा अहले हदीस के बारे में क्या कहते है ताकि आपको मालूम हो कि आज कल जो लोग अहले हदीस को बदनाम कर रहे है उनका यह अमल उनके खुद के बुजुर्गो के कौल के कितने खिलाफ है। आप जरा संजिदगी से गौर करे कि कौन सच कहा रहा है? आज के लोग या अकाबिर औलमा देवबन्द?

अहले हदीस का मकाम ओलमा ऐ देवबन्द की नज़र में

1) देवबन्दी **"मुफ्ती आज़म हिन्द" किफायतुल्लाह देहलवी** रह. ने लिखा है :-

"जवाब - हाँ अहले हदीस मुसलमान हैं और अहले सुन्नत वल जमाअत में दाख़िल हैं। उनसे शादी ब्याह का मामला करना दुरूस्त है। महज़ तरके तक़लीद से इस्लाम में फर्क़ नहीं पड़ता और न अहले सुन्नत वल जमाअत से तरके तक़लीद बाहर होता है।" फक़त मुहम्मद किफायतुल्लाह कानाल्लाह लहू - देहली। (किफायतुल्लाह मुफ्ती 1/325 जवाब न. 370)

2) **"मुफ्ती" किफायतुल्लाह देहलवी** रह. ने दूसरे फतवे में लिखा है :-

"गैरमुकल्लीद के पीछे हनफी की नमाज़ जायज़ है।" (किफायतुल्लाह मुफ्ती 1/327 जवाब न. 373)

जो हनफी इमाम अवाम को बरगला रहे है कि अहले हदीस के पीछे नमाज़ नहीं होती वह इस फतवे का जवाब दे।

3) देवबन्दी **"मुफ्ती" अज़ीज़ुर्रहमान देवबन्दी** "मुफ्ती अव्वल दारूल उलूम" ने लिखा है :-

"जिस फिरके पर कुफ्र का फतवा है जैसे मिर्जाई और शीया गाली उनसे

मुस्लिमा सुन्निया औरत का निकाह हराम है न होगा और जिस फिरके पर कुफ्र का फतवा नहीं है जैसे गैरमुकल्लीद और नज्दी उनसे सुन्निया औरत का निकाह सही है। फकत।'' (फतावा दारूलउलूम देवबन्द मुदलल व मुकम्मिल, किताबुन निकाह, जि. हश्तम स. 187 दूसरा नुसखा स. 198)

4) देवबन्दी **''शैखुल तफ्सीर, इमामुल औलिया''** अहमद अली लाहोरी **देवबन्दी** ने फरमाया है :-

''मैं क़ादरी और हनफी हूँ। अहले हदीस न क़ादरी है और न हनफी मगर वह हमारी मस्जिद में 40 साल से नमाज़ पढ़ रहे हैं मैं उनको हक़ पर समझता हूँ।'' (मलफूज़ात तय्यबात स. 115, दूसरा नुस्खा 126)

5) देवबन्दी **''मुफ्ती'' रशीद अहमद लुधयानवी देवबन्दी** ने लिखा है :-

''तक़रीबन दूसरी तीसरी सदी में अहले हक़ में फुरूई और जुज़ई मसाईल के हल करने में इख्तिलाफे उन्ज़ार के पेशे नज़र पाँच मकातिबे फिक्र क़ायम हो गऐ यानी मज़हब अरबा और अहले हदीस। उस ज़माने से लेकर आज तक उन्हीं पाँच तरीक़ों में हक़ को मुनहसर समझा जा रहा।'' (अहसनुल फतवा 1/316 मोदूदी साहब और तखरीबे इस्लाम स. 20)

इस पर गौर करे इससे क्या बात साबित हो रही है? इससे यह बात साबित हो रही है कि अहले हदीस शुरूआत से है अंग्रेज़ो के दौर से भी पहले से, दूसरी बात अहले हदीस एक मकातिबे फ़िक्र है न कि मुहद्दिसों का गिरोह जैसा कि आजकल के देवबन्दी अवाम को बावर करा रहे हैं।

6) देवबन्दियों के **''इमाम'' सरफराज़ सफदर** ने मशहूर अहले हदीस आलिम मौलाना मुहम्मद हुसैन बटोलवी रह. के बारे में लिखा है :-

''हज़रत **शैखुलहिन्द** ने मौलाना **मुहम्मद हुसैन बटोलवी रह.** के हक़ में क्या खूब इरशाद फरमाया है कि गो आप साहब कैसे ही बदज़बानी से पेश आओ मगर हम इन्शाअल्लाह तआला कलमात मूहम तक्फीर व तफ्सीक़ हरगिज़ आपकी शान में न कहेंगे बल्कि उलटा आपके इस्लाम ही का इज़हार करेंगे।'' (अहसुनल कलाम 2/155, दूसरा नुस्खा 2/169)

मौलाना मैं हैरान हूँ कि आपके शैखुलहिन्द जिनके इस्लाम का इज़हार कर रहे है आप उन्हे अंग्रेजों का एजेन्ट कह रहे है मैं किसके इल्म पर भरोसा करूं?

7) देवबन्दियों के अकाबिर और तफ्सीर हक्क़ानी के मुअल्लिफ **अब्दुल हक़**

देवहली साहब (वफात 1336) ने लिखा है :-

"और अहले सुन्नत शाफई, हम्बली, मालकी, हनफी हैं और अहले हदीस भी उन्हीं में दाखिल हैं।" (हक्कानी अक़ाईदुल इस्लाम स. 3)

नोट :- यह किताब "हक्क़ानी अक़ाईदुल इस्लाम" मुहम्मद क़ासिम नानौतवी, बानी मदरसा देवबन्द की पसंद फरमूदा है। देखे हक्क़ानी अक़ाईदुल इस्लाम स. 264।

गौर करे कि मुफस्सिरे कुरआन तो अहले हदीस को अहले सुन्नत में माने और आज कल के देवबन्दी मुबल्लिग अहले हदीस को अहले सुन्नत से खारिज करे किसके इल्म पर एतबार करें?

8) इलियास घुम्मन देवबन्दी के रिसाला क़ाफिला हक़ के एक मज़मून निगार **मुहम्मद अशरफ देवबन्दी** ने लिखा है :-

"**अहले हदीस** भी हमारे मुसलमान भाई हैं।" (क़ाफिला हक़ जि. न. 5 शुमारा न. 1 स. 41)

9) देवबन्दी **"मुफ्ती आज़म पाकिस्तान" मुहम्मद शफी देवबन्दी** ने इकट्ठी तीन तलाक़ देने वाले एक शख्स को रूजू करने का फतवा इन अल्फाज़ में दिया :-

"मुसलमानों के एक मस्लक मोसूमा बिह **अहले हदीस** के नज़दीक एक ही तलाक़ हुई, रूजू कर लिया जाए।" (माहनामा शरीया जुलाई 2010, जि.न. 21 शुमारा न. 7 स. 14)

तीन तलाक़ को एक कहने पर जो बातें अहले हदीस के बारे में कहते हो वह अपने मुफ्तीं के बारे में भी कहने की हिम्मत करोगे क्या?

10) देवबन्दी "शैखुलइस्लाम और मुफ्ती" **मुहम्मद तक़ी उस्मानी देवबन्दी** नें लिखा है :-

"मसलन मशहूर अहले हदीस आलिम हजरत मौलाना इस्माईल सल्फी रह. ने....।" (तक़लीद की शरई हैसियत स. 1[illegible]6)

11) देवबन्दी इमाम **अब्दुल शकूर फारूकी** के नज़दीक ऐसा इमाम जिसका मस्लक शाफई या गैरमुक़ल्लिद हो और उस "इमाम के कपड़ों में एक दिरहम से ज़्यादा मनी लगी हो" तो "मुक़ल्लिद की नमाज़ उनके पीछे बिलाकराहत दुरूस्त है ख्वाह वह मुक़तदी के मज़हब कि रियाअत करें या न करें।" (इल्मुल फिक़्ह स.

230, 231, बाब जमाअत के सही होने की शर्तें)

अहले हदीस के पीछे मुकल्लिद की नमाज़ सहीह के बारे में यह दूसरी दलील पेश है। जरा तो गौर करो अवाम को भड़का कर क्या काम रहे हो?

12) सरफराज़ सफदर देवबन्दी के बेटे **अब्दुल कुद्दूस** देवबन्दी ने लिखा है :-

"मशहूर अहले हदीस आलिम मौलाना इस्माईल सलफी साहब रह. और अशअरी साहब के उस्ताद मुहतरम मुहद्दिस गौन्दलवी रह. के जनाज़े में निस्फ के क़रीब क़रीब हनफी हज़रात थे और .....।"(मजुज़ूबाना वावेला स. 290)

यहाँ तो अहले हदीसों के जनाजे में जाने से अवाम को मना किया जा रहा है वहाँ निस्फ के क़रीब हनफी थे। उन हनफियों के बारे में क्या कहोगे मौलाना?

13) सय्यद गिलानी देवबन्दी ने सय्यद अताउल्लाह शाह बुखारी और **अहले हदीस आलिम सनाउल्लाह अमृतसरी रह.** के दरम्यान होने वाला एक मुकालमा बयान करते हुऐ लिखा है :-

"रस्मी खैरियत के बाद मौलाना ने फरमाया शाह जी यह तो बताऐं कि **मैंने हमेशा क़ादयानियों के खिलाफ काम किया**। तहरीरे लिखी मुनाज़रा किए मुक़ाबला किया। सारी ज़िन्दगी इसी काम में लगा रहा आपने मुझे क़ादयानी कान्फ्रेन्स में क्यों न बुलाया। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है आपने मेरी खिदमात का लिहाज़ न किया और इस क़दर बेतवजही बरती। बात बड़ी मअकूल थी मैंने भी दिल में **मौलाना को इस सवाल पर बरसरे हक़** समझा और ख्याल किया देखे शाह जी क्या वजह पेश करते हैं। मगर शाह जी का यह हाल था कि दस्ती रूमाल जो उनके हाथ में था उसे दोनों हाथों से मसलते रहे और गर्दन झुका कर यही कहते रहे हज़रत इस बेतवजही पर बहुत शर्मिन्दा हूँ बस कुछ सूरत हाल ही ऐसी थी कि मैं माफी का ख्वास्तगार हूँ और पूरी जमाअत की तरफ से उस कोताही पर माफी चाहता हूँ **आप हमारे बुजुर्ग हैं**। इस गलती को नज़र अन्दाज़ फरमाऐ **आपकी इस सिलसिले में खिदमत रोज़े रोशन की तरह अयाँ हैं** बस भूल हो गई हज़रत माफ फरमाऐं इस बार बार माफी की इल्तिजा पर हज़रत मौलाना के चेहरे पर जो कबीदगी की सिलवटें थी खुलती गई और आखिर चेहरा पुर इत्मिनान व सुकून फिर इन्तिसाब की लहर दोड़ गई। शाह जी ने रूख्सत चाही दोनों बुजुर्ग कुशादा पेशानी से बगलगीर हुए और शाह जी वापस हुऐ।" (बुखारी

की बातें, तालिफ सय्यद अमीन गिलानी स. 131,132,)

14) देवबन्दियों के "हकीमुल उम्मत" अशरफ अली थानवी ने एक सवाल के जवाब में फरमाया :-

जवाब :- इस आयत में न किसी मुद्दत की हद है, न खास मौत की नस (दलील) है। मुद्दत की तअय्युन बिला दलील है। और यह कि दलील कि जनाबे रसूलुल्लाह स. (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का जमाना-ए-नबुव्वत 23 बरस था इसलिए काफी नहीं कि अगर ऐसा हो तो इस मुद्दत के अन्दर सख्त तिलबीस को जायज़ रखा जाएगा। "व हुव बातिलुन" इस आयत का हासिल तो जैसा "खाज़िन" में है यह कि मुद्दई काज़िब की इमातत की जाती है ख्वाह हलाक से या मगलूबियत फिल हुज्जह से, बस अब दावा मिर्ज़ा का बातिल हो गया इसलिए कि इमातत बिल हुज्जत उसकी जाहिर है। और आक़िल के लिए यह तहरीर काफी है। और अवाम के लिए बेहतर है कि कुछ तारिखी नज़ायर भी पेश किए जावें जिन का पता **मोलवी मुहम्मद हुसैन बटोलवी या मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी** से मिलना आसान है। मुझको तारीख पर नज़र नहीं। 2 शव्वाल 1329 हिजरी (इमदादुल फतावा जि. 6 स. 274)

ताज्जुब है जिस बात का इल्म आपको है आपके बड़ो को उसका इल्म नहीं था जो अहले हदीस आलीम की तरफ रूजू करने को कह रहे है। आप बताए कि अशरफ अली थानवी साहब का इल्म ज्यादा है या आपका? उन्हें मालूम नहीं की **मोलवी मुहम्मद हुसैन बटालवी रह.** अंग्रेज़ के एजेंन्ट है और आपको मालूम है?

15) मदरसा देवबन्द के बानी हाफिज **रशीद अहमद साहब गंगोही** ने एक सवाल का जवाब दियाः-

सवाल :- गैरमुकल्लिदों में क्या बुराई है?

जवाब :- मुजतहेदीन को बुरा कहना और तक़लीद को शिर्क बताना मुसलमान मुक़ल्लिदों को मुश्रिक जानना नफ्सियात से अमल करना बुरा है और हदीस पर अमल करना लिवजहिल्लाहि तआला अच्छा है। सब हदीस पर ही आमिल हैं। मुक़ल्लिद हो या गैरमुक़ल्लिद फक़त वल्लाह तआला आलम।" (फतावा रशिदीया जदीद स. 237, 238)

न तो हम मुज्तहदीन को बुरा कहते है और न उनके बारे में बदगुमानी रखते है हाँ उनके उन इज्तिहाद को नहीं मानते जो कुरआन व सही हदीस के खिलाफ

हो जिसमें खता हो। सही इज्तिहाद को हम मानते है और इज़्तिहाद में खता होने को तो आपके आलीम भी मानते हैं पढ़े।

इज्तिहाद में खता की बात मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने भी लिखी है :-

"और आइम्मा मुज्तहदीन के बारे में तमाम मुक़ल्लिद का अक़ीदा यह है कि उनके हर इज्तिहाद में खता का एहतमाल है।" (तक़लीद की शरई हैसियत स. 125)

अब जिसमें खता है क्या उसको आप मानोगे?

रही बात तक़लीद को शिर्क कहना तो यह बात सिर्फ अहले हदीस नहीं कहते देवबन्दी मुक़ल्लिद भी कहते है यक़ीन नहीं हो तो पढ़ लो।

सरफराज़ सफदर साहब ने लिखा है "इन आयाते करीमात में जिस तक़लीद की तरदीद की गई है वह ऐसी तक़लीद है जो अल्लाह तआला और जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मद्दे मुक़ाबिल हो ऐसी **तक़लीद को हराम शिर्क, मज़मूम और क़बीह होने** में क्या शुब्ह है? और अहले इस्लाम और अहले इल्म में कौन ऐसी तक़लीद को जायज़ क़रार देता है? और ऐसे मुक़ल्लिद को कौन मुसलमान कहता और हक़ पर समझता है।" (अलकलामुल मुफीद स. 298)

सरफराज़ सफदर साहब ने लिखा है "कोई बदबख्त और ज़िद्दी मुक़ल्लिद दिल में यह ठान ले कि मेरे इमाम के क़ौल के खिलाफ अगर कुरआन व हदीस से भी कोई दलील क़ायम हो जाए तो मैं अपने मज़हब को नहीं छोड़ूगां तो वह **मुश्रिक है हम भी कहते हैं कि ला शक्क फीहि।** (अलकलामुल मुफीद स. 310)

16) मदरसा देवबन्द के बानी हाफिज़ **रशीद अहमद साहब गंगोही** ने सय्यद नजीर हुसैन देहलवी रह. के बारे में एक सवाल का जवाब दिया:-

"जवाब :- बन्दे को उनका हाल मालूम नहीं और न मेरे साथ उनकी मुलाक़ात है लेकिन जो लोग उनके हाल के बयान में मुख्तलिफ हैं अगरचे उनको मरदूद और खारिज अहले सुन्नत कहना भी सख्त बेजा है। अक़ाईद में सब मुत्ताहिद मुक़ल्लिद हो या गैरमुक़ल्लिद अलबत्ता आमाल में मुख्तलिफ होते हैं वल्लाहु तआला आलम।" (फतावा रशिदीया जदीद स.239)

17) मदरसा देवबन्द के बानी हाफिज़ **रशीद अहमद साहब गंगोही** ने

जवाब दिया:-

सवाल :- अगर कोई गैरमुक़ल्लिद हमारे पास जमाअत में खड़ा हो और रफायदैन और आमीन बिल जेहर करता है तो उसके पास खड़े होने से हमारी नमाज़ में तो कुछ खराबी न आएगी या हमारी नमाज़ में भी कुछ फसाद वाके होगा?

जवाब :- "कुछ खराबी न आएगी। ऐसा तअस्सुब अच्छा नहीं वह भी **आमिल बिल हदीस है** अगरचे नफ्सियात से करता हो मगर फेल तो फी हद ज़ात दुरूस्त है।"(फतावा रशिदीया जदीद स. 239, 240)

18) शैख **अब्दुल क़ादिर जीलानी रह. "बड़े पीर साहब"** (पैदा. 470 हि. वफात 561 हि.) फरमाते हैं :-

"अहले बिदअत की बाज़ निशानियां हैं, जिनसे वह जाने जा सकते हैं। वह हदीस की तहक़ीर करते हैं। ज़िन्दीक़ की पहचान यह है कि वह **अहले हदीस** को झूठा कहता है। फिरक़ा कुदूरिया **अहले हदीस** को मुजब्बाराह कहते हैं। जमिमीयह **अहले हदीस** को मुशब्बह कहते हैं। राफज़ी **अहले हदीस** को नासिबा कहते हैं। यह सब ऐसी बातें इसलिए कहते हैं कि उन्हें अहले सुन्नत के साथ दुश्मनी और तअस्तुब है। अहले सुन्नत का सिर्फ एक ही नाम है। यानी **अहले हदीस**। इसके सिवा कोई नाम नहीं।"(गुनयतुततालिबीन स.186)

इमाम अबु हनीफा गैरमुकल्लिद है

19) देवबन्दियों के **"हकीमुल उम्मत" अशरफ अली थानवी** नें फरमाया :-

"इमामे आज़म अबू हनीफा का गैरमुक़ल्लिद होना यक़ीनी है।" (मजालिस हकीमुल उम्मत स. 345, मलफूजात थानवी 24/332)

इसको पढ़ने के बाद आप जो कहे अबू हनीफा तो हमारे है बक़ौल अशरफ अली थानवी के। अब जितना कोसना हो कोसो गैर मुक़ल्लिद को लेकिन यह याद रखे कि अबु हनीफा भी गैरमुक़ल्लिद है।

अबु बकर रज़ि. और उमर रज़ि. की इक़्तिदा और मुकल्लिद

पर्चे में आपने लिखा है "अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद अबु बकर व उमर का इक़्तिदा करना।"

हो जिसमें खता हो। सही इज्तिहाद को हम मानते है और इज्तिहाद में खता होने को तो आपके आलीम भी मानते हैं पढ़े।

इज्तिहाद में खता की बात मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने भी लिखी है :-

"और आइम्मा मुज्तहदीन के बारे में तमाम मुक़ल्लिद का अक़ीदा यह है कि उनके हर इज्तिहाद में खता का एहतमाल है।" (तक़लीद की शरई हैसियत स. 125)

अब जिसमें खता है क्या उसको आप मानोगे?

रही बात तक़लीद को शिर्क कहना तो यह बात सिर्फ अहले हदीस नहीं कहते देवबन्दी मुक़ल्लिद भी कहते है यक़ीन नहीं हो तो पढ़ लो।

सरफराज़ सफदर साहब ने लिखा है "इन आयाते करीमात में जिस तक़लीद की तरदीद की गई है वह ऐसी तक़लीद है जो अल्लाह तआला और जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मद्दे मुक़ाबिल हो ऐसी तक़लीद को हराम **शिर्क, मज़मूम और क़बीह होने में क्या शुब्ह है?** और अहले इस्लाम और अहले इल्म में कौन ऐसी तक़लीद को जायज़ क़रार देता है? और ऐसे मुक़ल्लिद को कौन मुसलमान कहता और हक़ पर समझता है।" (अलकलामुल मुफीद स. 298)

सरफराज़ सफदर साहब ने लिखा है "कोई बदबख्त और ज़िद्दी मुक़ल्लिद दिल में यह ठान ले कि मेरे इमाम के क़ौल के खिलाफ अगर क़ुरआन व हदीस से भी कोई दलील क़ायम हो जाए तो मैं अपने मज़हब को नहीं छोडूगां तो वह **मुश्रिक है हम भी कहते हैं कि ला शक्क फीहि।** (अलकलामुल मुफीद स. 310)

16) मदरसा देवबन्द के बानी हाफिज़ **रशीद अहमद साहब गंगोही** ने सय्यद नजीर हुसैन देहलवी रह. के बारे में एक सवाल का जवाब दिया:-

"जवाब :- बन्दे को उनका हाल मालूम नहीं और न मेरे साथ उनकी मुलाक़ात है लेकिन जो लोग उनके हाल के बयान में मुख्तलिफ हैं अगरचे उनको मरदूद और खारिज अहले सुन्नत कहना भी सख्त बेजा है। अक़ाईद में सब मुत्ताहिद मुक़ल्लिद हो या गैरमुक़ल्लिद अलबत्ता आमाल में मुख्तलिफ होते हैं वल्लाहु तआला आलम।" (फतावा रशिदीया जदीद स.239)

17) मदरसा देवबन्द के बानी हाफिज़ **रशीद अहमद साहब गंगोही** ने

जवाब दिया:-

सवाल :- अगर कोई गैरमुक़ल्लिद हमारे पास जमाअत में खड़ा हो और रफायदैन और आमीन बिल जेहर करता है तो उसके पास खड़े होने से हमारी नमाज़ में तो कुछ खराबी न आएगी या हमारी नमाज़ में भी कुछ फसाद वाके होगा?

जवाब :- "कुछ खराबी न आएगी। ऐसा तअस्सुब अच्छा नहीं वह भी **आमिल बिल हदीस है** अगरचे नफ्सियात से करता हो मगर फेल तो फी हद ज़ात दुरूस्त है।"(फतावा रशिदीया जदीद स. 239, 240)

18) शैख **अब्दुल क़ादिर जीलानी रह. "बड़े पीर साहब"** (पैदा. 470 हि. वफात 561 हि.) **फरमाते हैं** :-

"अहले बिदअत की बाज़ निशानियां हैं, जिनसे वह जाने जा सकते हैं। वह हदीस की तहक़ीर करते हैं। ज़िन्दीक़ की पहचान यह है कि वह **अहले हदीस** को झूठा कहता है। फिरक़ा क़ुदूरिया **अहले हदीस** को मुजब्बाराह कहते हैं। जमिमीयह **अहले हदीस** को मुशब्बह कहते हैं। राफज़ी **अहले हदीस** को नासिबा कहते हैं। यह सब ऐसी बातें इसलिए कहते हैं कि उन्हें अहले सुन्नत के साथ दुश्मनी और तअस्तुब है। अहले सुन्नत का सिर्फ एक ही नाम है। यानी **अहले हदीस**। इसके सिवा कोई नाम नहीं।"(गुनयतुततालिबीन स.186)

इमाम अबु हनीफा गैरमुकल्लिद है

19) देवबन्दियों के **"हकीमुल उम्मत" अशरफ अली थानवी** ने फरमाया :-

"इमामे आज़म अबू हनीफा का गैरमुक़ल्लिद होना यक़ीनी है।" (मजालिस हकीमुल उम्मत स. 345, मलफूजात थानवी 24/332)

इसको पढ़ने के बाद आप जो कहे अबू हनीफा तो हमारे है बक़ौल अशरफ अली थानवी के। अब जितना कोसना हो कोसो गैर मुक़ल्लिद को लेकिन यह याद रखे कि अबु हनीफा भी गैरमुक़ल्लिद है।

अबु बकर रज़ि. और उमर रज़ि. की इक़्तिदा और मुकल्लिद

पर्चे में आपने लिखा है "अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद अबु बकर व उमर का इक़्तिदा करना।"

इसका आपने हवाला नहीं दिया खैर कोई बात नहीं मैं हवाला पेश कर देता हूँ यह हदीस जामे तिर्मिज़ी अबवाबुल मनाक़िब में है।

इस हदीस पर आपका अमल कहाँ आप तो हनफी मुक़ल्लीद हैं। अगर आपका इस पर अमल होता तो आप अपने आपको बक़री या उमरी कहतें लेकिन आप तो अपने आपको हनफी कहते हैं।

अबु हनीफा रह. का इल्म इन दोनों सहाबा रजिअल्लाहु अन्हुमा से ज्यादा हैं जो आपने सहाबा को छोड़ अबु हनीफा रह. की तक़लीद की?

क्या अबु हनीफा रह. का तक़्वा इन दोनों सहाबा रजिअल्लाहु अन्हुमा से ज्यादा हैं जो आपने सहाबा रजिअल्लाहु अन्हुमा को छोड़ अबु हनीफा रह. की तक़ीलद की?

कुरआन की वह कौनसी आयत है जिससे आपको यह मालूम पड़ा कि दोनों सहाबा रज़िअल्लाहु अन्हुमा की इक्तिदा सिर्फ उनकी ज़िन्दगी में थी उनके बाद नहीं। और इमाम अबु हनीफा की तक़्लीद क़यामत तक होगी?

वह कौनसी हदीस है जिससे आपको यह मालूम पड़ा कि दोनों सहाबा रज़िअल्लाहु अन्हुमा की इक्तिदा सिर्फ उनकी ज़िन्दगी में थी उनके बाद नहीं। और इमाम अबु हनीफा की तक़्लीद क़यामत तक होगी?

इस हदीस में तो अबु बकर और उमर रज़िअल्लाहु अन्हुमा की इक़्तिदा का हुक्म दिया गया है। आपने अबु बकर और उमर रज़िअल्लाहु अन्हुमा को छोड़ कर इमाम अबु हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हम्बल रह. को इस हुक्म का मिसदाक़ कैसे ठहरा लिया?

मुकल्लिद का अमल कुरआन, हदीस और सहाबा के खिलाफ

तुम सहाबा रज़िअल्लाहु अन्हुमा के एक दो अमल लिख कर हम पर इल्ज़ाम लगाते हो कि हम उनको नहीं मानते। अल्लाह कि क़सम जितना हम मानते है उतना तुम नहीं मानते आओ तुम्हारे इसी ऊसूल से बताता हूँ कि तुम कुरआन, हदीस व खुलफाए राशिदीन और सहाबा रज़िअल्लाहु अन्हुमा को नहीं मानते अपने इमाम की तक़लीद में आओ मैं तुम्हें चन्द मिसाले देता हूँ।

कुरआन को नहीं मानने कि मिसालें :-

1) अल्लाह तआला का फरमान है "बेशक मुश्रिकीन नजिस (पलीद) हैं। इस साल के बाद वह मस्जिदे हराम के क़रीब भी न आऐं।" (तौबा 28)

इस आयते करीमा से ख़लीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज वगैरा ने इस्तिदलाल किया कि कुफ्फार मस्जिदे हराम वगैरा में दाखिल नहीं हो सकते। (तफ्सीर कुरतबी जि: 8 स. 104)

इसके खिलाफ हनफियों के नज़दीक कुफ्फार (अहले जिम्मी) का मस्जिदे हराम में दाखिल होना जायज़ है। (नसरूल माअबूद मसअला 4)

2) अल्लाह तआला का फरमान है "और हमने उस (तौरात) में उन पर फर्ज़ किया कि नफ्स के बदले में नफ्स को क़त्ल किया जाए।" (मायदा 45)

इसके बर खिलाफ हनफियों का फतवा है कि अगर कोई शख्स किसी नाबालिग बच्चे वगैरा को पानी में डुबो कर क़त्ल कर दे तो उस पर कोई क़िसास नहीं है। (नसरूल मअबूद मसअला 6)

इसी तरह उनके नज़दीक अगर कोई शख्स अपने गुलाम को क़त्ल कर दे तो उसके बदले में उसे क़त्ल नहीं किया जाएगा। (नसरूल मअबूद मसअला 5)

3) कुरआन मजीद से साबित है कि मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह ही है। मसलन इरशाद है "क्या कोई है जो मजबूर की पुकार सुनता है और मुश्किल को दूर कर देता है और तुम्हें ज़मीन का खलीफा बना देता है। क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा इलाह भी है? तुम बहुत कम नसीहत पकड़ते हो।" (नमल 63)

इसके खिलाफ देवबन्दियों के पीर और पेशवा हाजी इमदादुल्लाह मक्की साहब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हो कर "नाला इमदादे गरीब" में लिखते हैं कि

या रसूले किबरिया फरयाद है या मुहम्मद मुस्तफा स. फरयाद है।
आपकी आमद हो मेरा या नबी स. हाल अबतर हुआ फरयाद है।
सख्त मुश्किल में फंसा हूँ आजकल
ऐ मेरे मुश्किल कुशा फरयाद है
(कुल्लियाते इमदादिया स. 90,91,)

यही साहबे कुल्लियाते इमदादिया (स.103 में) और अशरफ अली थानवी साहब तालिमुद्दीन (स.171) में लिखते है कि "हादी आलम अली मुश्किल कुशा

के वास्ते।"

फज़ाईले दरूद (अज़ ज़करियां साहब) की हिकायत 43 के आखिर में लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया "मैं मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह साहबे कुरआन हूँ (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम), यह तेरा बाप बड़ा गुनाहगार था लेकिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजता था। जब उस पर यह मुसीबत नाज़िल हुई तो उसकी फरयाद को पहुँचा और मैं हर उस शख्स की फरयाद को पहुँचता हूँ जो मुझ पर कसरत से दरूद भेजे।" (फज़ाईले आमाल, फज़ाईले दरूद)

हदीसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानने कि मिसालें:-

1) उम्मुलमोमिनीन आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया "जो शख्स मर जाए और उस पर (नज़्र वगैरा के) रोज़े बाक़ी हों तो उसकी तरफ से उसका वली यह रोज़े रखे।" (सही बुखारी जि.1 स.262, सही मुस्लिम जि. 1 स. 362)

जबकि हिदाया में है कि "मय्यत की तरफ से उसका वली रोज़े न रखे।" (किताबुस्सोम स. 203)

2) आयशा सिद्दीका रज़िअल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि "रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के (मुबारक) अहद में सूरज ग्रहण के मौके पर आपने मुनादी के ज़रीऐ से ऐलान कराया कि नमाज़ के लिए जमा हो जाओ। फिर आपने आगे बढ़ कर दो रकअतें पढ़ाई और चार सज्दे किए, आपने हर रकआत में दो रूकू क़िए।" (सही बुखारी जि. 1 स. 145, सही मुस्लिम जि. 1 स. 296)

इसके बरखिलाफ़ हिंदाया में लिखा हुआ है कि "सूरज ग्रहण की नमाज़ इमाम दो रकआत पढ़ाए जैसें नफ्ल नमाज़ की हइयत (हालत) है। हर रकआत में एक रूकू करें।" (जि. 1 स. 155, बाब सलातुल कसूफ)

जो लोग इल्ज़ाम लगाते है कि अहले हदीस माँ आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा को नही मानते यह उनको जवाब है कि हम माँ आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा को भी मानते है उनकी रिवायत करदा हदीस पर भी अमल करते है। इस पर कौन अमल नहीं करता यह आपके सामने है।

3) सय्यदना अबु मसऊद रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि "बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की क़ीमत से मना फरमाया है।"

(सही बुखारी जि. 1 स. 298, किताबुल बेय, सही मुस्लिम जि. 2 स. 19)

बल्कि हदीस में कुत्ते की कीमत को खबीस कहा गया है। (सही मुस्लिम जि.2 स. 19)

इसके बरखिलाफ हिदाया में लिखा है कि "कुत्ते, चीते और दरिन्दे की फरोख्त जायज़ है।"(जि. 2 स.55 किताबुल बैय)

खलिफा अव्वल अबु बकर रज़िअल्लाहु अन्हु को नहीं मानने कि मिसालें

1) अबु बकर सिद्दीक रज़िअल्लाहु अन्हु का फतवा है कि "क़ौमे लूत के मुरतकिब को क़त्ल कर दिया जाए।" (सुनन कुबरा लिलबैहक़ी जि. 8 स. 232 व फिक़्ह अबीबकर स. 35, 245)

इसके बरअक्स मुक़ल्लिद हनफी क़ौमे लूत का अमल करने वाले पर हद के क़ायल नहीं हैं। (नसरूल मअबूद मसअला 2)

2) अबु बकर रज़िअल्लाहु अन्हु के नज़दीक "कुरबानी करना सुन्नत है" वाजिब नहीं है। (अलमुग़न्नी जि. 8 स. 618 वगैरा, फिक्ह अबी बकर स. 56)

जबकि हनफी मुक़ल्लिद कुरबानी को वाजिब कहते हैं। (हिदाया जि. 2 स. 443 किताबुल अज़हा)

3) अबु बकर सिद्दीक़ रज़िअल्लाहु अन्हु "एक वित्र के क़ायल थे।" (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जि. 1 स. 98 व फिक़्ह अबी बक़र स. 198)

जबकि हनफी मुक़ल्लिद एक वित्र के मुन्कर हैं। (हिदाया जि. 1 स. 144 बाब सलातुल वित्र)

खलिफा दोम उमर रज़िअल्लाहु अन्हु को नहीं मानने कि मिसालें

1) सय्यदना उमर रज़िअल्लाहु अन्हु का फतवा है कि "मफकूदुल खबर (जिसकी कोई खबर नहीं लापता) की बीवी चार साल इन्तिज़ार करे।"(देखे फिक़्ह उमर स. 615, मुअत्ता इमाम मालिक, मुसनद शाफई वगैरा)

जबकि हनफी मुक़ल्लिद इसके बरअक्स है। (नसरूलमअबूद, अबु हर्न. ना के वह मसाईल जिन पर हनफियों का अमल नहीं है मसअला 4)

बहिश्ती ज़ेवर में लिखा हुआ है कि "तो वह औरत अपना दूसरा निकाह नहीं कर सकती। बल्कि इन्तिज़ार करती रहे कि शायद आ जाए, जब इन्तिज़ार करते करते इतनी मुद्दत गुज़र जाए कि शौहर की उम्र नव्वे बरस की हो जाए तो

अब हुक्म लगा देंगे कि वह मर गया होगा।'' (हिस्सा चहारूम स. 28, 29 व सफा मुसलसल 345, 355)

2) सय्यदना उमर रज़िअल्लाहु अन्हु ''बगैर वली के निकाह को बातिल व मरदूद समझते थे और ऐसा करने वालों को कोड़े लगाते थे। (फिक़्ह उमर रज़िअल्लाहु अन्हु स. 657, 658)

जबकि हनफी मुक़ल्लिद के नज़दीक ''बाकेरा बालिगा'' के निकाह के जवाज़ के लिए वली का होना शर्त नहीं है.... और अक़्द सही हो जाएगा।'' (फतावा दारूलउलूम देवबन्द जि. 5 स. 39, 40 वगैरा)

3) सय्यदना उमर रज़िअल्लाहु अन्हु रोबाई (चार रकआत वाली) नमाज़ की आखरी दो रकआत में सूरह फातिह पढ़ने का हुक्म देते थे।'' (फिक़्ह उमर रज़िअल्लाहु अन्हु 437)

जबकि देवबन्दी मुक़ल्लिद की ''बहिश्ती ज़ेवर'' में लिखा है कि ''अगर पिछली दो रकआत में अलहम्दु न पढ़े बल्कि तीन दफा सुब्हानअल्लाह सुब्हानअल्लाह कह ले तो भी दुरूस्त है लेकिन अलहम्दु पढ़ लेना बेहतर है और अगर कुछ न पढ़े चुपकी खड़ी रहे तो भी कुछ हर्ज नहीं नमाज़ दुरूस्त है।'' (स. 163 हिस्सा दोम स. 19 बाब फर्ज़ नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा बयान मसअला न. 17)

खलिफा तीन उस्मान रज़िअल्लाहु अन्हु को नहीं मानने कि मिसालें

1) सय्यदना उस्मान रज़िअल्लाहु अन्हु के ''नज़दीक हालते एहराम में न अपना निकाह करना चाहिऐ और न किसी दूसरे का।''(फिक़्ह उस्मान रज़िअल्लाहु अन्हु स. 28, 29)

जबकि हनफियों के नज़दीक हालते एहराम में निकाह जायज़ है। (फिक़्हुल इस्लामी व अदिल्ला जि. 3 स. 243)

2) सय्यदना उस्मान रज़िअल्लाहु अन्हु का फतवा है कि ''मफकूदुल खबर (जिसकी कोई खबर नहीं लापता) की बीवी चार साल इन्तिज़ार करे। उसके बाद दूसरा निकाह कर सकती है।''(फिक़्ह उस्मान स. 381, मुअत्ता इमाम मालिक, मुसनद शाफई वगैरा)

जबकि हनफी मुक़ल्लिद इसके बरअक्स है। (नसरूलमअबूद, अबु हनीफा के वह मसाईल जिन पर हनफियों का अमल नहीं है मसअला 4)

बहिश्ती ज़ेवर में लिखा हुआ है कि ''तो वह औरत अपना दूसरा निकाह

नहीं कर सकती। बल्कि इन्तिज़ार करती रहे कि शायद आ जाए, जब इन्तिज़ार करते करते इतनी मुद्दत गुज़र जाए कि शौहर की उम्र नव्वे बरस की हो जाए तो अब हुक्म लगा देंगे कि वह मर गया होगा।" (हिस्सा चहारम स. 28, 29 व सफा मुसलसल 345, 355)

3) सय्यदना उस्मान रज़िअल्लाहु अन्हु "ईदैन में बारह तकबिरों के क़ायल व फायल थे।" (फिक़्ह उस्मान रज़िअल्लाहु अन्हु स. 287)

जबकि हनफी मुक़ल्लिद सिर्फ छः तकबीरात के क़ायल व फायल हैं। (हिदाया जि. 1 स. 173 बाबुल ईदैन)

खलिफा चहरूम अली रज़िअल्लाहु अन्हु को नहीं मानने कि मिसालें

1) सय्यदना अली रज़िअल्लाहु अन्हु का फतवा है कि "शातिमे रसूल का ज़िम्मा टूट जाता है।"(फिक़्ह अली स. 336)

इस इन्तिहाई नाजुक मसअले पर हनफी फक़ीह इब्ने नुजम लिखता है "जी हाँ! मोमिन का दिल मसअला सब व सितम में (हमारे) मुखालिफ (शाफई, अहले हदीस वगैरा) की तरफ मायल है लेकिन हम पर अपने (तक़लीदी) मज़हब की इत्तेबा (तक़लीद) वाजिब है। (अल बहरूल राईक शरह कन्जुल दक़ाईक़ जि. 5 स. 115)

हम पूछते हैं कि किताब व सुन्नत और क़ौले सहाबा रज़िअल्लाहु अन्हु के मुक़ाबले में किस ने आप पर इस तक़लीदी मज़हब की अन्धा धुन्ध पैरवी फर्ज़ की है? जिसकी वजह से आपने मोमिनों के रास्ते को भी छोड़ दिया है!?

2) सय्यदना अली रज़िअल्लाहु अन्हु का फतवा है कि "हरम मक्का में कुफ्फार दाखिल नहीं हो सकते।" (फिक़्ह अली रज़िअल्लाहु अन्हु 699, 707)

इसके खिलाफ हनफियों के नज़दीक कुफ्फार (अहले जिम्मी) का मस्जिदे हराम में दाखिल होना जायज़ है। (नसरूल माअबूद मसअला 4)

3) सय्यदना अली रज़िअल्लाहु अन्हु इस बात के क़ायल थे कि "ईदगाह की तरफ ईद के दिन, नमाज़ पढ़ने के लिए जाने वाला रास्ते में तकबीरें कहता रहे।" (फिक्ह अली स.604)

जबकि इमाम अबु हनीफा का फतवा इसके बरअक्स है। (नसरूल मअबूद मसअला 4)

यह सिर्फ चन्द मिसालें थी आपको दिखाने के लिए कि एक दो मसअले

बयान करके अहले हदीस को बदनाम न करें हमारे पास भी आपके खिलाफ बहुत सी बातें है हम सिर्फ मसलहतन पेश नहीं करते कि उम्मत को आज इनकी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो इन्शाअल्लाह और भी पेश कर देंगे।

इन मिसालों को पढ़ने के बाद आप खुद ही फैसला करें कि शैतानियत या शियाईयत किसमें हैं? कौन कुरआन व हदीस और सहाबा के हुक्म व अमल का इन्कार कर रहा है?

आपकी बात आपको लौटा रहा हूँ थोड़ी सी तरमीम के साथ। नाराज न होना हम भी आपका पर्चा पढ़ कर नाराज नहीं हुए हमें तो खूशी हुई कि आपने पर्चा लिख कर हमसे सवाल किए कि हम आपको जवाब दे। पढ़े "कोई इनसे पूछे कुरआन से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम रज़िअल्लाहु अन्हुमा से उम्मते मुहम्मदिया से तुम्हें क्या दुश्मनी है भोले भाले मुसलमानों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उनके ईमान, अक़ीदा व अमल को मुक़ल्लिदों तुमने बर्वाद कर दिया। और अल्लाह के यहाँ तुम्हारा क्या अंजाम होगा सोच लो बाज़ आ जाओ।"

आपने लिखा है "वह मुसलमान कैसे हो सकता है जो आपके फैसले को न माने" फैसले तो आप खुद ही नहीं मान रहे है जैसे कि अभी ऊपर मिसालें गुजर चुकी है जिन पर आपका अमल नहीं है। आप अपने बारे में क्या फैसला करते है आप कैसे मुसलमान है?

आपने लिखा है "सारी उम्मत 1450 से 20 रकआत तरावीह पर अमल करती आ रही है।"

1450 की गुत्थी

इसमें मुझे 1450 समझ में नहीं आया कि यह क्या है बहुत गौर करने के बाद मालूम हुआ कि 1450 ईस्वी से आप लोग 20 रकआत तरावीह पढ़ रहे है। अगर आप 1450 हि. बताना चाहते है तो वह गलत है क्योंकि अभी 1435 हि. चल रहा है और 13 हि. में उमर रज़िअल्लाहु अन्हु खलिफा बने थे। 13 हि. कम करो तो 1422 साल बनते है। और यह बात यक़ीनी है कि आपने खलिफा बनते ही जमाअत का एहतमाम नहीं किया होगा आपकी खिलाफत 10 साल रही हम मान लेते है कि आपने अपनी खिलाफत के चोथे साल से जमाअत का एहतमाम

किया यानी 3 साल तक जमाअत नहीं हुई तरावीह की। यह भी कम कर दे तो बनते है 1419 साल। इसलिए साबित हुआ कि आपकी 20 रकआत 1450 ईस्वी से चल रही है। यह आपका अपना अमल है आप जब चाहे जब से शुरू करे हमे इस पर आपसे कोई एतराज नहीं। यहाँ पर यह बात जहन नशीन रहे कि अहले हदीस तरावीह को जमाअत से पढ़ने के मुखालिफ नहीं है।

सारी उम्मत का फरेब

आपने लिखा "सारी उम्मत" लेकिन सारी उम्मत की एक भी दलील नहीं दी। मैं आपको ताबईन के दौर की कुछ रिवायत बतलाता हूँ जिसमें तरावीह की मुख्तलिफ तदाद साबित हो रही हैं। यह रिवायते सही और हसन दर्जे की है। पढ़े हम यहाँ उनकी सनदों के साथ बयान करते हैं।

1) हदीस (बयान) की हमसे हफ्स ने (यानी गयास के बेटे ने) उसने रिवायत की हसन बिन ओबैदुल्लाह से उसने कहा अब्दुर्रहमान इब्ने अल अस्वद हमको रमज़ान में चालीस रकआत तरावीह और सात वित्र पढ़ाते थे।" (मुसन्नफ अबी शैबा 2/393)

अब्दुर्रहमान बिन अल अस्वद बड़े जलीलुलक़द्र ताबई हैं। (तहज़ीब अत्तहज़ीब)

अब्दुर्रहमान बिन अल अस्वद ने उमर रज़िअल्लाहु अन्हु का ज़माना पाया और अपने बाप अस्वद बिन यज़ीद बाप के चचा अल्कमा बिन क़ैस, आयशा सिद्दिका रज़िअल्लाहु अन्हा, अनस बिन जुबैर रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत करता है। (अत्तहज़ीब 2/127)

2) हदीस (बयान) की हमसे अब्दुर्रहमान बिन मेहदी ने उसने रिवायत की दाऊद बिन क़ैस से वह फरमाते थे कि मैंने उमर बिन अब्दुलअज़ीज़ और अबान इब्ने उस्मान के ज़माने में मदीना मुनव्वरा में लोगों को पाया कि वह छत्तीस रकआत तरावीह और तीन वित्र यानी उनतालीस रकआत पढ़ते थे।" (इब्ने अबी शैबा 2/393)

उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और अबान बिन उस्मान के ज़माने में बड़े बड़े सहाबा रज़िअल्लाहु अन्हुमा मौजूद थे।

3) हदीस (बयान) की हमसे मुहम्मद बिन फज़ील ने उसने रिवायत की वक़िअ से वह फरमाते थे कि मशहूर ताबई सईद बिन जुबैर हमें रमज़ान में बीस

रातों तक छः तरवीहात यानी चोबीस रकआत पढ़ाते, फिर जब आखरी दहाका (अशरा) आता तो मस्जिद में मुअतकिफ हो जाते और हमें सात तरवीहात यानी अठ्ठाईस रकआत तरावीह पढ़ाते थे।'' (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 2/393, 494)

अब जरा इमाम मालिक रह. का फैसला भी पढ़ ले कि आपने क्या फरमाया तरावीह की रकआत की तदाद के बारे में।

अल्लामा सुयूती अलहावा किताब में अल्लामा जौज़ी से इस तरह नक़्ल करते हैं ''जौज़ी हमारे असहाब में से (यानी शाफई में से) ने फरमाया कि इमाम मालिक से मन्कूल है कि उन्होंने फरमाया कि मुझे वही बात महबूब है जिस पर सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़िअल्लाहु अन्हु ने लोगों को जमा किया और वह हैं ग्यारह रकअतें और यही तदाद रकआत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ थी'' इमाम मालिक को कहा गया ग्यारह रकआत वित्र के साथ? फरमाया हाँ और तेरह रकआत भी इस से क़रीब हैं और फिर इमाम मालिक ने फरमाया ''मुझे मालूम नहीं कि यह रकआत की कसरत कहाँ से ईज़ाद की गई।''(अलहावा 1/350)

इस रिवायत से साफ मालूम हो जाता है कि ग्यारह या तेरह से ज्यादा रकआत को इमाम मालिक नई ईजाद समझते थे और उनको ज़्यादा महबूब यही था कि तरावीह ग्यारह रकआत पढ़ी जाएें और इसी तदाद पर सय्यदना उमर रज़िअल्लाहु अन्हु ने लोगों को जमा किया और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ थी।

जब इमाम मालिक जैसी हस्ती भी ग्यारह रकआत को महबूब तर तसव्वुर करती है तो बीस पर सारी उम्मत का अमल महज़ एक अफसाना रह जाता है और बस।

हनफी आलीम अल्लामा ऐनी रह. ने ''उम्दतुल क़ारी'' में अहदे खिलाफते राशिदा के बाद वाले मुख़्तलिफ लोगों से रकअते तरावीह की मुख़्तलिफ तअदाद नक़्ल की है। उनमें बगैर वित्र के और वित्र समेत 11 और 13 रकआत भी मन्कूल हैं और नमाज़े तरावीह ही की 16, 20, 24, 28, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 49, रकअतें भी मन्कूल हैं। (उम्दतुल क़ारी 4/178,204,205 - 6/11/126, 127, इसके अलावा देखें फतहुल बारी 4/252,253, नैलुलअवतार 2/3/53, तोहफतुल अहवज़ी 3/522,232 मजालिस शहरे रमज़ान लिल ओसैमीन स.

18,19) इसके बाद भी यह कहना कि 20 रकआत पर सारी उम्मत चली आ रही है। झूठ नहीं तो और क्या है? अल्लामा ऐनी आपके अपने घर के आलीम है इनकी बात को क्या कहोगे?

अब आपको एक मजेदार बात बताता हूँ की जिस तदाद पर आप सारी उम्मत के अमल का दावा कर रहे है वह बात इमाम अबु हनीफा रह. के शार्गिद इमाम मुहम्मद रह. को मालूम नहीं हो सकी अगर यक़ीन नहीं हों तो मुअत्ता इमाम मुहम्मद पढ़े। हो सकता है आपके पास वक़्त न हो इसलिए मैं ही उसमें से तदाद वाली रिवायत पेश कर देता हूँ। इमाम मुहम्मद बाव बान्धते है "क़ियामु शहरि रमज़ान व मा फीहि मिनल फज़्लि" (रमज़ान में नमाज़ तरावीह और उसकी फज़ीलत) इसके तहत सिर्फ चार हदीस रिवायत करते हैं सफा 121 से 125 तक पर और उसमें बीस नहीं आठ रकआत की रिवायत पेश करते हैं। पढ़े सनद के साथ रिवायत को:-

इमाम मालिक रह. ने हमें खबर दी हमसे बयान किया सईद मुक़बरी रज़िअल्लाहु अन्हु ने कि अबु सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने हज़रत आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा से सवाल किया कि रमज़ान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ की कैफियत क्या होती थी? उन्होंने जवाब दिया कि हुजूर स (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) रमज़ान में या उसके अलावा ग्यारह रकआत पर इज़ाफा नहीं फरमाते थे चार रकआत पढ़ते थे तुम उनकी खूबी और तूल के मुताल्लिक़ न पूछो। फिर चार रकआत पढ़ते तुम उनके हुस्न और तूल के मुताल्लिक़ न पूछो। फिर तीन रकआत पढ़ते। वह फरमाती हैं। मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह स. (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम)! क्या आप वित्र से पहले सो जाते है? आपने फरमाया "ऐ आयशा ! मेरी आँखें सो जाती हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं सोता है।" (हदीस न. 241 बाब न. 71 बाब की ह.न. 2 स.123 मुअत्ता इमाम मुहम्मद)

अगर इमाम मुहम्मद रह. के दौर में 20 रकआत पढ़ी जाती तो आप उसकी रिवायत पेश करते न की 8 रकआत की। यह बात जहन में रखे कि इन्होंने अबु हनीफा रह. से ही तालीम हासिल की फेस टू फेस बगैर किसी वसीले के। अगर अभी भी आपको यक़ीन नहीं हो तो एक और तअज्जुब खेज बात पेश करता हूँ मुकल्लिदों की तब्लीग जमाअत के एक बहुत बड़े आलिम मौलवी मुहम्मद यूसुफ कान्धलवी साहब ने हयातुस्सहाबा के नाम से तीन जिल्दों में एक किताब लिखी

18,19) इसके बाद भी यह कहना कि 20 रकआत पर सारी उम्मत चली आ रही है। झूठ नहीं तो और क्या है? अल्लामा ऐनी आपके अपने घर के आलीम है इनकी बात को क्या कहोगे?

अब आपको एक मजेदार बात बताता हूँ की जिस तदाद पर आप सारी उम्मत के अमल का दावा कर रहे है वह बात इमाम अबु हनीफा रह. के शार्गिद इमाम मुहम्मद रह. को मालूम नहीं हो सकी अगर यक़ीन नहीं हों तो मुअत्ता इमाम मुहम्मद पढ़े। हो सकता है आपके पास वक़्त न हो इसलिए मैं ही उसमें से तदाद वाली रिवायत पेश कर देता हूँ। इमाम मुहम्मद बाव बान्धते है "क़ियामु शंहरि रमज़ान व मा फीहि मिनल फज़्लि" (रमज़ान में नमाज़ तरावीह और उसकी फज़ीलत) इसके तहत सिर्फ चार हदीस रिवायत करते हैं सफा 121 से 125 तक पर और उसमें बीस नहीं आठ रकआत की रिवायत पेश करते हैं। पढ़े सनद के साथ रिवायत को:-

इमाम मालिक रह. ने हमें खबर दी हमसे बयान किया सईद मुक़बरी रज़िअल्लाहु अन्हु ने कि अबु सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने हज़रत आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा से सवाल किया कि रमज़ान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ की कैफियत क्या होती थी? उन्होंने जवाब दिया कि हुजूर स (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) रमज़ान में या उसके अलावा ग्यारह रकआत पर इज़ाफा नहीं फरमाते थे चार रकआत पढ़ते थे तुम उनकी खूबी और तूल के मुताल्लिक़ न पूछो। फिर चार रकआत पढ़ते तुम उनके हुस्न और तूल के मुताल्लिक़ न पूछो। फिर तीन रकआत पढ़ते। वह फरमाती हैं। मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह स. (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम)! क्या आप वित्र से पहले सो जाते है? आपने फरमाया "ऐ आयशा ! मेरी आँखें सो जाती हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं सोता है।" (हदीस न. 241 बाब न. 71 बाब की ह.न. 2 स.123 मुअत्ता इमाम मुहम्मद)

अगर इमाम मुहम्मद रह. के दौर में 20 रकआत पढ़ी जाती तो आप उसकी रिवायत पेश करते न की 8 रकआत की। यह बात जहन में रखे कि इन्होंने अबु हनीफा रह. से ही तालीम हासिल की फेस टू फेस बगैर किसी वसीले के। अगर अभी भी आपको यक़ीन नहीं हो तो एक और तअज्जुब खेज बात पेश करता हूँ मुकल्लिदों की तब्लीग जमाअत के एक बहुत बड़े आलिम मौलवी मुहम्मद यूसुफ कान्धलवी साहब ने हयातुस्सहाबा के नाम से तीन जिल्दों में एक किताब लिखी

है जो कि हिन्दी में भी मौजूद है। उसकी जि. न. 3 स. न 264 से 267 तक "तरावीह की नमाज़" का बयान किया है उसमें भी 20 रकआत का ज़िक्र नहीं जिस रकआत का ज़िक्र है वह रिवायत उन्हीं के हवाले से पेश कर रहा हूँ गौर से पढ़े।

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़िअल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हजरत उबई बिन काब रज़िअल्लाहु अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो कर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल. (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम)! आज रात मुझसे एक काम हो गया और यह वाकिया रमज़ान का है। हुजूर सल्ल. (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया "ऐ उबई! क्या हुआ?" उन्होंने अर्ज़ किया, मेरे घर की कुछ औरतें थीं। उन औरतों ने कहा, हमने क़ुरआन नहीं पढ़ा हम आपके पीछे तरावीह की नमाज़ पढ़ेंगी। चुनांचे मैंने उन्हें आठ रकआत नमाज़ पढ़ाई और वित्र भी पढ़ाए। हुजूर सल्ल. (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने इस पर कुछ न फरमाया। इस तरह आपकी रज़ामन्दी की बुनियाद पर यह सुन्नत हुई। (हैसमी, भाग 2, पृ. 74 बहवाला हयातुस्सहाबा जि. 3, स. 267)

हयातुस्सहाबा लिखने वाले और मुअत्ता इमाम मुहम्मद लिखने वाले आपके अकाबिर और आपके यहाँ उनका मर्तबा भी आला है। उनकी लिखी हुइ बातें भी आपको समझ में नहीं आऐ तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी लिखी हुई बात को आपको लोटा रहा हूँ "इससे बड़ी दलील और क्या चाहिए, यह है कि अल्लाह जिसको हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता।"

ऊपर वाली रिवायत को हैसमी रह. ने रिवायत किया है उनका आपके यहाँ क्या मक़ाम है यह मैं आगे पेश करूंगा इन्शाअल्लाह तआला।

उमर रज़िअल्लाहु अन्हु के अमल को सबसे पहले बिदअत किसने कहा

आगे आपने लिखा "लेकिन ये गैर मुकल्लिदीन 20 रकआत तरावीह को बिदअते उमरी कहते हैं" खैर 20 रकआत तो किसी भी सही हदीस से साबित नहीं हो रही इसका कुछ अन्दाज़ा आपको अभी तक पढ़ने से हो गया होगा बाकी बाते मैं आगे पेश करूंगा इन्शाअल्लाह बिदअते उमरी का ताना देने से पहले आप और

आपके मुकल्लिद जो किताबों को लिखते है एक बार गौर से बुखारी, मुअत्ता इमाम मालिक, मुअत्ता इमाम मुहम्मद और हयातुस्सहाबा पढ़ लेते तो यह इल्जाम नहीं लगाते। आओ मैं बतलाता हूँ मुअत्ता इमाम मुहम्मद के हवाले से मय सनद के साथ जिसका तर्जुमा एक हनफी ने किया है उमर रज़िअल्लाहु अन्हु ने अपने इस अमल को खुद बिदअत कहा हैं। पढ़े और गौर करे।

इमाम मालिक ने हमे खबर दी कि हमसे रिवायत किया इब्ने शहाव रज़िअल्लाहु अन्हु ने उरवा बिन जुबैर रज़िअल्लाहु अन्हु से कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन अब्द क़ारी रह. कहते हैं, रमज़ान की एक रात में हजरत उमर बिन खत्ताब रज़िअल्लाहु अन्हु के साथ मस्जिद में गया, लोग अलग-अगल टोलियों मे बंटे हुए थे, कोई अपनी नमाज़ पढ़ रहा था और एक जमाअत उसके साथ पढ़ रही थी। हजरत उमर रज़िअल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरा ख्याल यह हो रहा है कि अगर मैं इन सबको कुरआन के एक हाफिज के पीछे खड़ा कर दूं तो यह ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर हजरत उमर रज़िअल्लाहु अन्हु ने पक्का इरादा कर लिया और इन सबको हजरत उबई बिन काब रज़िअल्लाहु अन्हु के पीछे जमा कर दिया। फिर मैं हजरत उमर रज़िअल्लाहु अन्हु के साथ दूसरी रात फिर गया, लोग अपने क़ारी (हजरत उबई बिन काब रज़िअल्लाहु अन्हु) के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे। हजरत उमर रज़िअल्लाहु अन्हु ने फरमाया "यह क्या ही अच्छी <u>बिदअत</u> है" वह नमाज़ जिससे लोग सो जाते हैं इस नमाज़ से बेहतर है जिसको वह इब्तिदा मे क़ायम करते हैं। (मुअत्ता इमाम मुहम्मद स. 123 ह. 243 बाब 71)

इसी हदीस को इमाम बुखारी रह. ने रिवायत किया है जिसका तर्जुमा हनफी मुकल्लिद अब्दुल हकीम खान अख्तर शहजहाँपुरी ने किया वह भी लिखाता है "यह अच्छी <u>बिदअत</u> है" (बुखारी जि. 1 स. 715)

यही तर्जुमा मौलवी मुहम्मद यूसुफ कान्धलवी साहब ने किया है पढ़े "यह बहुत अच्छी <u>बिदअत</u> है" (हयातुस्सहाबा जि.3 स. 265)

अहले हदीस पर बिदअती कहने का इल्जाम लगाते हो कुछ अल्लाह का डर रखो एक दिन मरना है उस दिन क्या जवाब दोगे अपने इल्जामों का। अल्लाह से दुआ है कि हमें ऐसे तअस्सुब से बचाऐ कि हम झूठ का सहरा ले कर अपनी जमाअत को आगे बढ़ाऐ आमीन।

जिस अमल को उमर रज़िअल्लाहु अन्हु ने खुद बिदअत कहा जिसका तर्जुमा

तुम्हारे औलमा ने बिदअत किया है उसे अगर किसी अहले हदीस ने उन्हीं की ज़बान से बिदअत कहा दिया तो जुर्म कर दिया। और अगर तुम्हारे मोलवी कहे तो कोई बात नहीं उसको छुपा जाओ यही तुम्हारा इन्साफ है, इसी को तुम दीनदारी कहते हो, यही तुम्हारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से मुहब्बत है।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को मुकल्लिद ने बिदअत कहा

आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर की दलील देता हूँ कि तुम खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को और सहाबा रज़िअल्लाहु अन्हुमा के अमल को बिदअत कहते हो। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा रज़िअल्लाहु अन्हु को बिदअती कहते हो पढ़ो।

तल्हा रिवायत करते है, मैंने इब्ने अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हु के पीछे **नमाज़े जनाज़ा पढ़ी,** उन्होंने सूरह फातिह पढ़ी और कहा **"लोगों को मालूम होना चाहिए कि यह सुन्नत है।"** (बुखारी जि. 1 स. 508, तर्जुमा हनफी मुकल्लिद अब्दुल हकीम खान अख्तर शहजहाँपुरी का है)

अनवर खुर्शीद देवबन्दी ने बहवाला नसाई (जि.1 स. 218) लिखा है : हज़रत तल्हा बिन अब्दुल्लाह बिन औफ रह. फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हु के पीछे **नमाज़े जनाज़ा पढ़ी** तो आपने सूरह फातिहा और दूसरी सूरह जेहरन पढ़ी हत्ता कि आपने हमें सुनाया, आप जब नमाज़ से फारिग हुए तो मैंने आपका हाथ पकड़ कर इस बारे में सवाल किया आपने फरमाया यह बात **सुन्नत और हक़ है।"** (हदीस और अहले हदीस, 868)

सय्यदना इब्ने अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हु के अमल और वज़ाहत के बवजूद एक देवबन्दी अमजद सईद ने लिखा है **"नमाज़े जनाज़ा में किरअत बिल जेहर बिदअत है।"** (सैफे हनफी स. 264)

सय्यदना इब्ने अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हु की इस सही हदीस पर अमल करने से इन्कार करते हुए अनवर खुर्शीद देवबन्दी ने लिखा है "हज़रत तल्हा बिन अब्दुल्लाह रह. का आपसे इस तरह सवाल करना बतला रहा है कि उनके नज़दीक यह एक नई और अजीब बात थी जो रिवाज के बिल्कुल खिलाफ थी जिसका

बिल्कुल अता पता न था।'' (हदीस और अहले हदीस 873)

एक आलीम बिद्अत कह रहा है दूसरा कह रहा है अता पता नहीं जिस बात को बुखारी रह. ने पेश किया उसका अता पता नहीं। वाह रे मुकल्लिदों तुम्हारा भी क्या कहना? जवाब नहीं!

अब फैसला आपके हाथ में है क्या अब भी अहले हदीस को गुनाहगार कहोगे यह इन्साफ है तुम्हारे पास और क्या तुम अपने आलिमों पर कलम उठाओगे? तुम्हारी लिखी हुई बात कि ''जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता'' तुमको लोटा रहा हूँ।

मुकल्लिद के नज़दीक कुरआन, हदीस, इज्माअ और कयास हुज्जत नहीं

आपने लिखा है ''20 रकआत तरावीह का सबूत हदीस से'' आप हदीस कैसे पेश कर सकते है? क्या आप अपने औलमा की मुखालफत कर रहे है या अपने औलमा की बात को भूल गए है। या तक़लीद छोड़ दी है। मैं आपको बतलाता हूँ कि आपके औलमाओं का उसूल क्या हैं।

1) रशीद अहमद लुधयानवी देवबन्दी ने लिखा है ''मअहजअन हमारा फतवा और अमल क़ौले इमाम रह. के मुताबिक़ ही रहेगा। इसलिए कि हम इमाम रह. के मुक़ल्लिद है और मुक़ल्लिद के लिए क़ौले इमाम हुज्जत है न कि **अदिल्ला अरबा** कि उनसे इस्तिदलाल वज़ीफा मुज्तहिद है।'' (इरशादुल क़ारी 412)

अदिल्ला अरबा से मुराद **कुरआन, हदीस, इज्माअ और क़यास** है, यह चारों आपके लिए हुज्जत नहीं, फिर भी अहले हदीस को ताना कि अहले हदीस नहीं मानते यह कहाँ का इन्साफ है? एक दिन मौत आनी है तब अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दोगे।

2) महमूद हसन देवबन्दी ने कहा ''लेकिन सिवाए इमाम के और किसी के क़ौल से हम पर हुज्जत क़ायम करना बईद अज़ अक्ल है।'' (इज़ाहुल अदिल्ला स. 276 तबा क़दीम)

3) जाहिदुल हसन देवबन्दी ने कहा ''हालांकि हर मुक़ल्लिद के लिए आखरी दलील मुज्तहद का क़ौल है।'' (मुक़दमा दिफा इमाम अबू हनीफा स. 26)

4) रशीद अहमद लुधयानवी देवबन्दी ने लिखा है ''**रूजू इला हदीस**

मुक़ल्लिद का वज़ीफा नहीं।" (अहसनुल फतावा जि. 3 स. 55)

आपके इन औलमों के बनाए हुए उसूल को ठुकरा कर आप हदीस पेश कर रहे है क्या आपने तक़लीद छोड़ दी है?

हदीस व सुन्नत एक है

दूसरी बात आपकी टोली के एक मौलवी हमारे मोहल्ले कि मस्जिद में रमज़ान की ताक रात में बयान कर के गए है कि हदीस और सुन्नत दोनों अलग अलग चीज़ है सुन्नत पर अमल होगा हदीस पर नहीं। तो क्या आपके और उनके उसूल अलग अलग है। जो आप हदीस पेश कर रहे हो?

यहाँ पर इस बात की वज़ाहत भी ज़रूरी है कि क्या वाक़ई हदीस और सुन्नत अलग अलग है? नहीं दोनों एक ही चीज़ है आपके अपने मौलवी का बयान पढ़े जिनको आप हकीमुल उम्मत कहते है।

अशरफ अली थानवी सहाब ने फरमाया है "सुन्नत यानी हदीस।" (बहिश्ती ज़ैवर हिन्दी 492 उर्दू 380)

मुहम्मद तक़ी उस्मानी ने कहा : "और उसूले हदीस में यह बात तैशुदा है कि जब कोई सहाबी किसी अमल को सुन्नत कहे तो वह हदीस मरफू के हुक्म में होती है।" (दर्से तिर्मिज़ी जि. 2 स. 24)

आप खुद ही फैसला कर ले कि आप दोनों को अलग अलग मानते है या एक ही मानते है?

हदीस व सुन्नत में फर्क़ करने वाला लअनती मिर्जा था

एक बात और सुने कि इससे पहले हदीस़ और सुन्नत में फर्क़ लअनती मिर्जा क़ादयानी ने किया था तो क्या आप और वह उसूल में एक ही है?

यक़ीन नहीं हो रहा है पढ़े। यक़ीन आ जाएगा कि कौन क़ादयानी की बात को दलील बनाता है और उस पर अमल करता और उसकी इशाअत करता है।

झूठे लअनती मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादयानी ने अपनी किताब "कश्ती ए नूह" के स. 56 पर लिखा है "दूसरा ज़रीया हिदायत का जो मुसलमानों को दिया गया है। सुन्नत है यानी अंहजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली कारवाइयां जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरआन शरीफ के अहकाम की तशरीह के लिए कर के दिखलाएं। मसलन कुरआन शरीफ में बज़ाहिर पंजगाना नमाज़ों की

रकआत मालूम नहीं होती कि सुबह किस क़दर और दूसरे वक़्तों में किस तअदाद पर। लेकिन सुन्नत ने सब कुंछ खोल दिया। यह धोका न लगे कि सुन्नत और हदीस एक चीज़ है। क्योंकि हदीस तो सौ ढ़ेड़ सौ बरस के बाद जमा की गई । मगर सुन्नत का कुरआन शरीफ के साथ ही वजूद था। मुसलमानों पर कुरआन शरीफ के बाद बड़ा अहसान सुन्नत का है।'' (रूहानी खज़ाईन जि. 19 स. 61)

और इसी इबारत के हाशिये पर मिर्ज़ा ने लिखा है कि ''अहले हदीस फेअले रसूल और कौले रसूल दोनों का नाम हदीस ही रखते हैं। हमें उनकी इस्तिलाह से कुछ गर्ज़ नहीं। दरअस्ल सुन्नत अलग है। जिसकी इशाअत का एहतमाम आँहज़रत ने बज़ाते खुद फरमाया। और हदीस अलग है जो बाद मे जमा हुई।''

आज यही नज़रिया देवबन्दी मुक़ल्लिद पेश कर रहे है।

अल्लाह हमें फित्नों से बचाऐ और सही दीन पर अमल की तौफिक अता करें आमीन।

लअनती मिर्जा से देवबन्दी आलिमों की हमदर्दी

यहाँ पर एक सवाल यह उठता है कि हदीस और सुन्नत के फर्क का यह उसूल देवबन्दियों ने मिर्जाइयों से क्यों लिया जबकि वह लाअनती और काफिर है? इसका जवाब यह है कि देवबन्दियों के यहा मिर्जा को सलेह मुसलमान माना गया है। आपको यक़ीन नहीं आ रहा है तो नीचे लिखी हुई तहरीर पढ़ लोः-

दिलावरी देवबन्दी ने रशीद अहमद गंगोही देवबन्दी से नक़्ल कियाः

''किसी मुसलमान की तक्फीर कर के अपने ईमान को दाग़ लगाना और मुवाखिज़ा उखरवी सर पर लेना सख़्त नादानी है। यह बन्दा जैसा उस बुजुर्ग (मिर्ज़ा साहब) को काफिर फासिक़ नहीं कहता उसको मुजद्दीद व वली भी नहीं कह सकता सलेह मुसलमान समझता हूँ। और अगर कोई पूछे तो उनके उन कलमात की तावील मुनासिब समझता हूँ। और खुद उससे एराज़ व सकूत है। फक़त वस्सलाम (रशीद एहमद)।'' (रईस क़ादयान जि. 2 स.5)

मिर्जा को सलेह मानने की वजह है कि वह हनफी था और मस्लकी तौर से इनका भाई था और है जैसाकि आप नीचे लिखी तहरीर से इसको बखूबी जान सकते है।

लअनती मिर्जा हनफी था

ग़ाज़ी अहमद (साबिक़ कृष्ण पाल) साबिक़ प्रिसिंपल गर्वमेन्ट कालेज, बोझाल कलां जिला चकवाल ने मिर्ज़ा नासिर अहमद क़ादयानी बिन मिर्ज़ा बशीर अहमद बिन मिर्ज़ा गुलाम अहमद से अपनी मुलाक़ात का तज़किरा नीचे लिखे अल्फाज़ में लिखा है :-

''मैंने अर्ज़ किया मुझे एक बात और दरयाफ्त करना है। मैंने मिर्जा साहब की तहरीर पढ़ी है कि मैं और मेरी जमाअत के अफराद फिक़्ही मस्लक में इमाम अबू हनीफा के पेरोकार हैं। नासिर साहब मैं भी हनफी मस्लक से तअल्लुक़ रखता हूँ।

नासिर साहब ने इज़हारे मसर्रत फरमाया। मैंने अर्ज़ किया कि मिर्ज़ा साहब तो आपके ख्याल के मुताबिक़ मन्सबे नबूव्वत पर सरफराज़ थे। क्या यह अम्र मन्सबे नबूव्वत के शयाने शान है कि एक नबी एक उम्मती के फिक़्ही मस्लक का पेरोकार और मुकल्लिद हो। क्या यह मक़ामे नबूव्वत की तौहीन नहीं? नासिर साहब ने फरमाया इस सवाल का जवाब भी किसी दूसरी मजलिस में तफ्सील के साथ दूंगा।'' (मिनूज जुलमात इलल नूर = कुफ्र के अन्धेरों से नूरे इस्लाम तक स.93)

ग़ाज़ी अहमद हनफी के इस बयान से मालूम हुआ कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद अपने आप को इमाम अबूहनीफा का पेरोकार कहता था और मिर्ज़ा नासिर अहमद ने भी अपने दादा की इस बात का इन्कार नहीं किया।

इसलिए ही उसके उसूल की इशाअत के लिए तकरीर और तहरीरों का साहरा लिया जा रहा है। शायद क़ादयानियों से मुहब्बत का नतीजा है कि अशरफ अली थानवी की तहरीर जो ऊपर बयान हुई है को छुपाया जा रहा है और क़ादयानियों के उसूल को बताया जा रहा है।

खैर यह आपका अपना मसअला है आप जिसे चाहे बयान करे जिसे चाहे छुपाए हमें इससे कोई सरोकार नहीं।

आपने लिखा है ''दौरे रिसालम में 20 रकआत तरावीह'' रिसालम नहीं रिसालत शायद यह कम्पोजर की गलती हो।

आपने गिनती बढ़ाने के लिए न. 1 और न. 4 वाली हदीस भी 20 रकआत में पेश कर दी जबकि इसमें रकआत का ज़िक्र ही नहीं आपको ऐसा नहीं करना

चाहिए था क्या आप आवाम को धोखा देना चाहते है कि मैंने 11 हदीस पेश की है। बाकी जो हदीस है उसमें असर को शामिल करके आपने 9 की तदाद बना दी खेर अभी उस पर बात करने की जरूरत नहीं कि हदीस और असर में क्या फर्क़ है। मुझे तअज्जुब हो रहा है कि जो उसूल आपने हमारे लिए पेश किया उस पर आप खुद क़ायम नहीं है अपनी पेश करदा हदीसों में।

आपने लिखा "इन सवालात का जवाब कुरआन या सही सरीह गैर मअरिज हदीस से पेश करें।"

कुरआन व सही हदीस पर अमल करना आप नेकी का काम समझते है या बदी का जवाब दे? अगर नेकी का काम समझते है तो आपने सही हदीस क्यों पेश नहीं की, आप कुरआन की यह आयत कैसे भूल गए :-

"क्या तुम लोगों का नेकी का हुक्म देते हो और खुद अपने आपको भूल जाते हो (यानी खुद उस पर अमल नहीं करते) हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो, क्या फिर तुम अक़्ल नहीं रखते?" (सूरह बकरा 2/44)

आपने जितनी भी 20 रकआत की हदीसें पेश की है खुद आपके आलीमां की नज़र में वह सही सरीह और गैर मअरिज नहीं।

कही ऐसा तो नहीं कि दूसरों को यहूद व नसारा का ऐजेन्ट बताते बताते खुद ही उनके करीब हो गए हो?

अल्लाह तआला के क़ानून में यह बहुत ही बुरी चीज़ है कि लोगों से कहो और खुद अमल न करों जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमाया :-

"ऐ ईमान वालों! तुम वह बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं। अल्लाह के यहाँ बड़ी नाराज़गी है कि तुम वह बात कहो जो करते नहीं।"(सफ्फ 61/2,3)

आपने क्या सोचा है कि आपको मौत नहीं आएगी, यक़ीनन आएगी कल अल्लाह तआला को क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे कि मैंने सिर्फ अपने मस्लक की इशाअत में जो भी हुआ किया यह नहीं देखा कि क्या सही है क्या गलत? अल्लाह से डरो और वह बात कहो जो अपनी और लोगों की निजात का सबब बने। जईफ और मौजू हदीसे पेश कर के सिर्फ आवाम को धोखा दे सकते हो अल्लाह को नहीं। अल्लाह तआला तमाम मुसलमानों को कुरआन व सही हदीस पर अमल करने की तौफिक़ अता फरमाए आमीन।

आपने लिखा है - हदीस न. 1 हज़रत रेहमान बिन औफ रज़िअल्लाहु अन्हु

फरमाते हैं के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया - बेशक अल्लाह तआला ने तुम पर रमज़ान के रोज़े फर्ज़ किए है, और मैंने तुम्हारे लिए इसमें क़याम यानी तरावीह पढ़ने को सुन्नत करार दिया है। सो जिस शख्स ने ईमान की हालत में और सवाब की नियत से रोज़े रखे और क़याम किया (तरवीह पढ़ी) तो वह अपने गुनाहों से ऐसे निकल गया जैसे के (उस दिन वह गुनाहों के बगैर था) जिस दिन उसको उसकी माँ ने जना था। (नसाई शरीफ जि.1, स.न. 239)

और आप अपनी पहली हदीस में ही उस उसूल पर क़ायम नहीं रहे जिसका आपने हमसे मुतालबा किया है "सही सरीह और गेर मअरिज़" हदीस पेश करें।

यह हदीस हमारे पास मौजूद नुस्खे में है जि. 4, स. 102, ह. न. 2212 है और यह हदीस ज़ईफ है। इसका एक रावी नज़र बिन शैबान है, उसके बारे में इमाम याह्या बिन मुईन ने फरमाया "इसकी हदीस कुछ चीज़ नहीं है।" (अलजिरह वतअदील 8/476)

इस रावी को इब्ने हिब्बान ने किताब असूसिकात में ज़िक्र कर के लिखा है "यह तौसीक़ जम्हूर के मुक़ाबले में मरदूद है नीज़ देखे तहज़ीब उत्तहज़ीव (10/392)

हाफिज़ इब्ने हजर ने कहा "यह हदीस में जईफ है।"(अत्तक़रीव 7136)

इमाम नसाई रह. इस हदीस के बारे में फरमाते है "यह हदीस गलत है।" (सुनन लिलकुबरा 2/89 ह. न. 2518)

जईफ हदीस की तअरीफ (परिभाषा) और उस पर अमल का हुक्म

मैं मुनासिब समझता हूँ कारईने किराम को बतला दूं कि जईफ हदीस क्या है इसके बारे में मुहद्दिसों की राय क्या हैं, क्योंकि एक बार मेरे एक दोस्त मुझे एक आलिम स. के पास ले गए थे उनसे जब जईफ के बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर आपका बाप जईफ हो जाएगा तो क्या उसे घर से निकाल दोगे, अब उन्होंने यह जवाब क्यों दिया यह तो वही जाने? एक मुकल्लिद बन्दा मुझे मिला जिसने मुझसे कहा कि आप पुरानी हदीसो को नहीं मानते हो, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि हदीसें कब से नई पुरानी हो गई? उसकी बात समसने के लिए मैंने पूछा पुरानी हदीसों से तुम्हारी मुराद क्या है उसने कहा जईफ हदीस! मुझे बड़ा

तअज्जुब हुआ कि जो लोग अहले हदीस पर एतराज कर रहे है उन्हें जईफ का मतलब भी नहीं मालूम। हो सकता कुछ कारईन जईफ का मतलब नहीं जानते हो तो उन्हें बतलाना मैं अपना फर्ज़ समझता हूँ।

जईफ हदीस की तअरीफ (परीभाषा) "हर वह हदीस जिसमें न तो सही की सिफात मौजूद हों और न ही हसन हदीस की।" (तदरीबुर रावी लिल सुयूती 1/179, शरह मुस्लिम लिल नौवी 1/19, मुक़दमा तौहफतुल हवज़ी 1/199)

इसको इस तरह समझे "सही हदीस की सिफात व शर्त यह हैं कि उसके तमाम रावी आदील व ज़ाबित हों और वह अपने ही जैसे आदिल व ज़ाबित रावियों से नक़्ल करें और यह कैफियत सनद शुरू से आखिर तक क़ायम रहे, नीज़ उसमें कोई शुज़ुज़ या मखफी इल्लत भी न हो। हसन हदीस की सिफात यह हैं कि ऐसी हदीस जिसके रावी आदिल मगर हाफज़े के एतबार से सही हदीस के रावियों से कुछ कम दरजे के हों और सनद आखिर तक मुतसिल हो और वह शाज़ या मअलूल न हो।" (1500 मशहूर ज़ईफ अहदीस स. 22, 23)

और आसानी के लिए यह भी पढ़े "हर वह हदीस जिसका रावी झूठ बोलता हो या उस पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम हो या वह फासिक़ और बिदअती हो, हाज़िर दिमाग का फुक़दान हो, वहम का शिकार हो या सिक़ा रावियों की मुखालफत करे, या हदीस का मतन कुरआन हकीम की किसी आयत के खिलाफ हो, किसी और सही हदीस के खिलाफ हो या किसी मुस्तनद वाक़िये के खिलाफ हो। इन सब बातों से हदीस ज़ईफ हो जाती है।" (तब्लीग जमाअत की इल्मी व अमली कमज़ोरियां स. 297)

ज़ईफ हदीस को ज़िक्र करने का हुक्म - ज़ईफ हदीस को ज़िक्र करना जाईज़ नहीं अलबत्ता उसे सिर्फ उस सूरत में बयान किया जा सकता है कि उसके ज़ुअफ को भी साथ ही बयान किया जाए। ताकि सामईन या क़ारईन को इल्म हो जाए कि यह बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मन्सबू की गई है मगर साबित नहीं। क्योंकि अगर ज़ईफ हदीस को उसका ज़ुअफ बयान किए बगैर ही आगे नक़ल कर दिया गया तो यक़ीनन एक तरफ यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इफ्तिरा होगा और दूसरी तरफ लोगों को गुमराह करने का ज़रीया जो क़तअन जाईज़ नहीं।

वाज़ेह रहे कि ज़ईफ हदीस को आगे बयान करने वाला दो हालतों से खाली

नहीं।

(1) उसे हदीस के ज़ईफ का इल्म हो, (2) उसे यह इल्म न हो।

अगर उसे हदीस के ज़ईफ होने का इल्म था और उसने फिर भी उसे उसका ज़ुअफ वाज़ेह किए बगैर आगे बयान कर दिया तो लाज़मन उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा यह वईद सादिक़ आएगी :-

"जिसने मुझसे कोई हदीस बयान की और वह जानता भी है कि यह झूठ है तो वह खूद झूठों में से एक है।" (तिर्मिज़ी 2662)

और अगर उसे हदीस के ज़ईफ होने का इल्म ही नहीं था तो फिर भी वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की वजह से गुनाहगार ज़रूर होगा :-

"आदमी के झूठा होने के लिए यही काफी है कि वह जो सुने उसे आगे बयान कर दे।" (मुस्लिम ह. न. 5 मुक़दमा, अबुदाऊद 4992, इब्ने अबी शैबा 8/595, इब्ने हिब्बान 30, हाकिम 1/381)

इस हदीस पर इमाम मुस्लिम रह. ने यह उन्वान क़ायम किया है :-

"हर वह बात जिसे इन्सान सुने (बिला तहक़ीक़) उसे आगे बयान करना मना है।"

साबित हुआ कि जो शख़्स किसी हदीस की सेहत व ज़ुअफ का इल्म नहीं रखता उसे चाहिए कि बिला तहक़ीक़ उसे आगे बयान न करे। नीज़ जब आम मामलात के लिए शरीअत में तहक़ीक़ का हुक्म दिया गया है और अदालत व दियानत का एतबार किया गया है तो दीन के मामले में बा अव्वल तहक़ीक़ व अदालत को मलहूज़ रखना चाहिए। (1500 मशहूर ज़ईफ अहादीस स. 29, 30)

इमाम अबुशामा रह. फरमाते हैं कि ज़ईफ हदीस को ज़िक्र करना जाईज़ नहीं, हाँ सिर्फ इस सूरत में जाईज़ है कि उसका ज़ुअफ भी बयान किया जाए। मुहद्दिसुल असर अल्लामा नासिरउद्दीन अलबानी रह. ने भी यही मोकफ इख़्तियर किया है। (तमामुल मना 32)

इमाम मुस्लिम रह. फरमाते है :-

"जो शख़्स ज़ईफ हदीस का ज़ुअफ जानता है और फिर उसे बयान नहीं करता तो ऐसा करने की वजह से गुनाहगार भी होता है और लोगों को धोका भी देता है। क्योंकि यह इम्कान मौजूद है कि उसकी बयान करदा हदीसों को सुनने

अबु अली निसा पुरी ने कहा यह हदीस में कवी नहीं था।'' (तहज़ीबुत्तहजीब जि. 1 स. 144)

इब्राहीम बिन उस्मान के बारे में उलमा-ऐ-अहनाफ के फैसले

4) अल्लामा जैलई हनफी रह. का फैसला :-

''इब्राहीम बिन उस्मान की वजह से यह हदीस माअलुल (ज़ईफ) है उसके ज़ईफ होने पर तमाम मोहद्दिसीन का इत्तेफाक़ है। (नसबुर्राया जि. 1, स. 293)

5) इमाम इब्नुल हम्माम हनफी रह. का फेसला :-

''बीस रकआत वाली हदीस जिसको इब्ने अबी शैबा ने अपनी किताब में बयान किया है, इब्राहीम बिन उस्मान की वजह से ज़ईफ है, और उसके ज़ईफ होने पर तमाम मोहद्दिसीन का इत्तेफाक़ है।'' (फतहुलकदीर शरह हिदाया छापा मिस्र जि. 1 स. 333 नवलकिशोर जि. 1 स. 205)

6) मौलाना अनवर शाह काश्मिरी हनफी देवबन्दी का फैसला :-

''नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद के साथ आठ रकआत तरावीह साबित है और बीस रकआत वाली हदीस ज़ईफ है और उसके ज़ईफ होने पर तमाम मोहद्दिसीन का इत्तेफाक़ है।'' (अलउरफुश शुज्ज़ी स. 329)

7) अल्लामा अबुतय्यब मुहम्मद बिन अब्दुल क़ादिर सिन्धी हनफी का फैसला :-

''इब्ने अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में बीस रकाअत और वित्र पढ़ते थे, उसे इब्ने अबी शैबा ने रिवायत किया है उसकी सनद ज़ईफ है, और आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा की सहीहैन (बुखारी, मुस्लिम) वाली हदीस के खिलाफ भी लिहाज़ा यह हदीस हुज्जत के लायक नहीं।''(शरह तिर्मिज़ी जि. 1, स. 423)

8) मौलाना ज़करिया कान्धल्वी हनफी का फैसला :-

''इसमे कोई शक नहीं कि बीस रकाअत तरावीह मोहद्दिसीन के उसूल के मुताबिक सही सनद के साथ अल्लाह के रसूल से साबित नहीं और जो इब्ने अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हु से बीस रकाअत वाली रिवायत आई है, वह मोहद्दिसीन के उसूल के मुताबिक ज़ईफ है।''(अवजुजुल मसालिक शरह मुअत्ता इमाम मालिक जि. 1, स. 397)

"किसी इमाम ने भी यह नहीं कहा कि ज़ईफ हदीस से कोई अमल भी वाजिब या मुस्तहब क़रार दिया जा सकता है। जो कोई यह कहता है इज्मा का मुखालिफ है।" (किताबुल वसीला 179)

खुलासा कलाम़ यह है कि न तो ज़ईफ हदीस को बगैर उसकी सनद व जुअफ के ज़िक्र करना और ना ही उस पर अमल करना चाहिए।

आपकी बयान की हुई - **हदीस न 2** अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत है के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक में 20 रकआत तरावीह और वित्र पढ़ा करते थे। (मुसन्नीफ इब्ने अबी शेबा रेह. जि. न. 2 स.न.294)

इस हदीस की सनद इस तरह है यज़ीद इब्राहीम बिन उस्मान से वह हकम से वह मुक्सिम से और मुक्सिम इब्ने अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत करते है बाकी हदीस ऊपर लिखी हुई।

इस हदीस की सनद में एक रावी इब्राहीम बिन उस्मान है जिसकी कुन्नियत अबू शेबा है।

1) उसके मुतअल्लिक़ इमाम बैहक़ी रह. फरमाते है :-

"इस हदीस को बयान करने में इब्राहीम बिन उस्मान मुनफरिद है, और वह ज़ईफ है।" (तलख़ीसुल हबीर स. 119 छापा देहली)

2) इमाम सुयूती रह. ने इस हदीस के बारे में फरमाया :-

"यह हदीस बहुत ही ज़ईफ है इसके जरिये हुज्जत क़ायम नहीं की जा सकती।" (अलमसाबीह स. 2)

3) हाफिज़ इब्ने हजर रह. इब्राहीम बिन उस्मान के बारे में फरमाते है :-

"इमाम अहमद, इमाम याह्या और इमाम अबूदाऊद ने उसे ज़ईफ कहा है और इमाम याह्या ने यह भी कहा है कि वह सिका नहीं है, इमाम बुखारी फरमाते है कि मोहद्दिसीन ने उससे खामोशी इख्तियार कर रखी है, इमाम तिर्मिज़ी फरमाते है कि यह मुन्किरूल हदीस है, इमाम नसाई और इमाम दौलाबी ने उसको मतरूकुल हदीस कहा है, इमाम अबुहातीम फरमाते है कि उसकी हदीस ज़ईफ है मोहद्दिसीन ने उसका नाम तक लेना पसन्द नही किया उसकी रिवायत को छोड़ दिया था, इमाम जोज़जानी फरमाते है कि वह शख्स ज़ईफ है उसकी रिवायत लिखी न जाए, इमाम हाकिम से रिवायत है कि उसकी रिवायत मुन्कीर है, इमाम

अबु अली निसा पुरी ने कहा यह हदीस में कवी नहीं था।'' (तहज़ीबुत्तहजीब जि. 1 स. 144)

इब्राहीम बिन उस्मान के बारे में उलमा-ऐ-अहनाफ के फैसले

4) अल्लामा जैलई हनफी रह. का फैसला :-

''इब्राहीम बिन उस्मान की वजह से यह हदीस माअलुल (ज़ईफ) है उसके ज़ईफ होने पर तमाम मोहद्दिसीन का इत्तेफाक़ है। (नसबुर्राया जि. 1, स. 293)

5) इमाम इब्नुल हम्माम हनफी रह. का फेसला :-

''बीस रकआत वाली हदीस जिसको इब्ने अबी शैबा ने अपनी किताव में बयान किया है, इब्राहीम बिन उस्मान की वजह से ज़ईफ है, और उसके ज़ईफ होने पर तमाम मोहद्दिसीन का इत्तेफाक़ है।'' (फतहुलकदीर शरह हिदाया छापा मिस्र जि. 1 स. 333 नवलकिशोर जि. 1 स. 205)

6) मौलाना अनवर शाह काश्मिरी हनफी देवबन्दी का फैसला :-

''नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद के साथ आठ रकआत तरावीह साबित है और बीस रकआत वाली हदीस ज़ईफ है और उसके ज़ईफ होने पर तमाम मोहद्दिसीन का इत्तेफाक़ है।'' (अलउरफुश शुज़्ज़ी स. 329)

7) अल्लामा अबुतय्यब मुहम्मद बिन अब्दुल क़ादिर सिन्धी हनफी का फैसला :-

''इब्ने अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में बीस रकाअत और वित्र पढ़ते थे, उसे इब्ने अवी शैबा ने रिवायत किया है उसकी सनद ज़ईफ है, और आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा की सहीहैन (बुखारी, मुस्लिम) वाली हदीस के खिलाफ भी लिहाज़ा यह हदीस हुज्जत के लायक नहीं।''(शरह तिर्मिज़ी ज़ि. 1, स. 423)

8) मौलाना ज़करिया कान्धल्वी हनफी का फैसला :-

''इसमे कोई शक नहीं कि बीस रकाअत तरावीह मोहद्दिसीन के उसूल के मुताबिक सही सनद के साथ अल्लाह के रसूल से साबित नहीं और जो इब्ने अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हु से बीस रकाअत वाली रिवायत आई है, वह मोहद्दिसीन के उसूल के मुताबिक ज़ईफ है।''(अवजुजुल मसालिक शरह मुअत्ता इमाम मालिक जि. 1, स. 397)

अब जरा यह भी मालूम कर ले कि जिस हदीस के रावी के ज़ईफ होने पर तमाम मोहद्दिरीन मुत्तफिक़ हो जाएं उसके बारे में आईम्मा ए हदीस का क्या फैसला है:-

"जिस शख्स के ज़ईफ होने पर अईम्मा-ए-हदीस मुत्तफिक़ है उस हदीस से हुज्जत पकड़ना हलाल नहीं है।"(अलमसावीह स. 2)

आपकी पेश की हुई **हदीस न. 3** हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़िअल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाऐ और सहाबा किराम रज़िअल्लाहु अन्हु को 24 रकअतें (4 इशा की फर्ज़) और 20 तरावीह की बढ़ाई और 3 वित्र पढ़ाई। (तारीख जुरजान स. 27)

पढ़ाई को बढ़ाई आपने लिखा है मैंने सिर्फ नक़ल किया है।

अनवर खुर्शीद देवबन्दी की बद्दयानती

यह हदीस आपने हदीस और अहले हदीस से नक़ल की है लेकिन आपने इसको गौर से नहीं पढ़ा कि इसमें अनवर खुर्शीद देवबन्दी ने बद्दयानती की है और उसी बद्दयानती को आपने आगे बढ़ा दिया बगैर कुछ सोचे कि अल्लाह तआला के यहाँ हिसाब भी देना है।

अनवर खुर्शीद की बद्दयातनी यह है "चार रकआत फर्ज़" का अपनी तरफ से इज़ाफा किया है क्योंकि इस मनघड़तं रिवायत से चौबीस रकआत तरावीह का सबूत मिलता था जो अनवर खुर्शीद और आपके खुदसाख्ता मस्लक के खिलाफ है, मिसाल के तौर पर कुछ ज़ईफ रिवयतों में है कि "लोग उमर रज़िअल्लाहु अन्हु के दौर में 23 रकआत पड़ते थे" अनवर खुर्शीद और आपके उसूल और खुद साख्ता तर्जुमे के मुताबिक़ इस रिवायत का तर्जुमा इस तरह होगा "लोग उमर रज़िअल्लाहु अन्हु के दौर में चार रकआत फर्ज़, सोलह रकआत नमाज़ तरावीह और तीन वित्र पढ़ते थे।"

अब आप ही बताएं क्या आपके नज़दीक यह तर्जुमा सही है?!!

इस रिवायत के एक रावी मुहम्मद बिन हुमेद राज़ी के मुताल्लिक़ खान बादशाह बिन चान्दी गुल देवबन्दी ने लिखा है "क्योंकि यह कज्ज़ाब और मुंकरिल हदीस है।" (अलक़ोलुल मुबीन फी इसबातुत्तरावीह उसरैन वर्रद्दु अलल अलबानी

अल मसकीन स. 334)

आले देवबन्द के "मुफ्ती" जमील सा. ने लिखा है "दूसरी सनद में याकूब कुमी से पहले एक नाम मुहम्मद राज़ी का है। इसके मुतआल्लिक़ इमाम ज़हबी रह. कहते हैं "वह ज़ईफ है।"

याकूब बिन शैबा कहते हैं "बहुत मुन्कर हदीसे बयान करता है।"

इमाम बुखारी रह. फरमाते हैं "इसमें नज़र (एतराज़) है।"

अबुज़रआ रह. कहते हैं "मैं गवाही देता हूँ कि वह झूठा है।"

सालेह जज़रह कहते हैं "हर चीज़ के बारे में हदीसें बयान करता है अल्लाह पर इससे ज़्यादा जरी शख़्स मैंने नहीं देखा। लोगों की हदीसों को बदल देता है।"

इब्ने खरराश रह. कहते हैं "अल्लाह की क़सम! वह झूठा है।"

इमाम नसाई रह. फरमाते है "वह मोतबर नहीं।" (मीज़ान अला एतदाल जि. 3 स. 49, 50)

मास्टर अमीन ओकाड़वी ने लिखा है "रहा मुहम्मद बिन हुमैद राज़ी, तो इमाम सखावी, नसाई, याकूब बिन शैबा, जाज़जानी, अबु जरआ, इब्ने खरराश और अबु नईम ने उसकी तज़ईफ की है। इब्ने खुजैमा से अबू अली ने कहा कि आप मुहम्मद बिन हुमैद से हदीस क्यों नहीं लेते हालांकि इमाम अहमद रह. उनसे रिवायत लेते थे, आपने फरमाया इमाम अहमद पर उसका हाल न खुला था जो हम पर खुला, अगर अहमद रह. भी उन के हालात से बाखर होते तो हरगिज़ उसे अच्छा न समझते। इस्हाक़ कूसज कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ वह कज़्ज़ाब था। साहलेह बिन मुहम्मद असदी कहते हैं कि वह हदीसों में रद्दों बदल कर देता था और बड़ा दरेग था।"(तहज़ीबुत्तहज़ीब स. 129, जि. 9, मीज़ानुल एतदाल स. 50 जि. 3)

क़ारईने किराम! मोलाना की नक़ल करदा रिवायत के रावी का हाल आपने आले देवबन्द की किताबों से ही मुलाहिज़ा फरमा लिया, अब ऐसे रावी की रिवायत बयान करने वाले के मुतअल्लिक़ देवबन्दी मास्टर अमीन ओकड़वी का बयान भी मुलाहज़ा फरमा लें। मास्टर ओकड़वी ने लिखा है "हालांकि उम्मत का इज्माई मसअला है कि ऐसी झूठी हदीस को बयान करना हराम है और अल्लाह के नबी पर झूठ बोलना है।

आह! शर्म तुझे मगर नहीं आती

अल्लाह के नबी पर झूठ बोलने वाले! कल क़यामत में तेरा क्या हाल होगा? जहन्नम का ठिकाना तो यक़ीनी है।" (तजलियाते सफदर 6/76,77)

आपकी नक़ल करदा रिवायत का दूसरा रावी उमर बिन हारून भी मजरूह है। देखे नसबुर्राया। (1/351,355, 4/273)

उमर बिन हारून के बारे में अमीन ओकड़वी ने अपनी ताईद में लिखा है :-

अल्लामा ज़हबी इस हदीस के रावी उमर बिन हारून के बारे में फरमाते है। "इस पर इज्माअ है कि वह ज़ईफ है और नसाई रह. ने उसे मतरूक कहा।" (तलखीस मुस्तदरक जि.1 स. 232)

और इज्माअ के मुतअल्लिक़ अमीन ओकड़वी ने लिखा है :-

"यह मसअला भी इज्माई है और इज्मा उम्मत का मुखालिफ बहुकमे कुरआन व हदीस दोज़खी है और हदीस में इज्मा से कटने वाले को शैतान भी कहा गया है।" (तजलियाते सफदर 3/351)

आपकी पेशकरदा **हदीस न. 4** हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रात नमाज़े तरावीह पढ़ाई 23 वीं शब, 25 वीं शब और 27 वीं शब तीन रात के बाद चौथी रात सहाबा का शौक़ और लगन को देख कर तशरीफ नहीं लाए, सहाबा मुन्तज़िर रहे। बाद में फरमाया मैं इस वजह से नहीं आया कहीं अल्लाह तआला तुम्हारे शौक़ की वजह से फर्ज़ न फरमा दे, और तीसरी शब के बाद फरमाया लोगों अपने घरों में नमाज़ पढ़ों फर्ज़ के अलावा। आदमी की नमाज़ अपने घर में बेहतर है। (बुखारी शरीफ जि. 1 स. 101)

इस हदीस से तरावीह जमाअत से पढ़ना सुन्नत साबित हो रही है। आपका एक रोज़ का अमल हो यह ज़िन्दगी भर का अमल सब सुन्नत होता है।

इसके आखरी टुकड़े पर मुक़ल्लिदों का अमल नहीं है। ना ही मुकल्लिद इमामों को बयान करते सुना की घर में नमाज़ बेहतर है नफ्ल व सुन्नत। अल्हमदुल्लिाह अक्सर अहले हदीस इस हदीस पर अमल करते और बेहतर पाते है। लेकिन मुकल्लिद बेहतर अमल को छोड़ कर तमाम नमाज़े मस्जिद में पढ़ता है। उसे नसीहत करो। और सही दीन की पैरवी करो। अल्लाह तआलां सभी को कुरआन व सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए। आमीन।

आपकी पेश करदा **हदीस न. 5** हज़रत साईब बिन यज़ीद रज़िअल्लाहु अन्हु फरमाते है के हज़रत उमर रज़िअल्लाहु अन्हु के दौर से हज़राते सहाबा किराम

रज़िअल्लाहु अन्हु रमज़ान में 20 रकआत पढ़ते थे। और एक सौ से ज़ाईद आयात वाली सूरतें पढ़ते थे, और हजरत उस्माने ग़नी रज़िअल्लाहु अन्हु के दौर में बाज़ लोग शिद्दते क़याम की वजह से लाठियों का सहारा लगा लिया करते थे (बैहिक़ी)

इसको हदीस नहीं असर कहते है जो कि आपको इल्म होगा। इसके बाद आपने सिर्फ असर पेश किए है हदीस नहीं फिर भी उनको हदीस लिखा है क्यों?

हदीस और असर में फर्क

मैं मुनासिब समझता हूँ कि हदीस और असर का आम फर्क़ कराईने किराम को बतला दूँ, ताकि सबको मालूम हो जाए कि हदीस और असर क्या है।

हदीस :- जिस रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फेअल और आपके सामने सहाबा ने कोई अमल किया उस पर आपने उन्हें नहीं रोका का ज़िक्र हो उसे हदीस कहते है।

असर :- जिस रिवायत में सहाबी रज़िअल्लाहु अन्हु के कौल व अमल का ज़िक्र हो उसे असर कहते हैं।

इस असर में जो यह अल्फाज़ हैं कि "हजरत उस्माने ग़नी रज़िअल्लाहु अन्हु के अहदे खिलाफत में भी ऐसा ही था।" इन अल्फाज़ के बारे में मौलाना शौक़ नयमवी हनफी ने कहा है कि यह मुदरज क़ौल है, इमाम बैहकी की तसनीफात में कहीं भी इसका सुराग़ नहीं मिलता और अल्लामा मुबारक पुरी ने मौलाना नयमवी कें इस तबसरे की तस्दीक़ की है। (तोहफतुल अहवजी 3/531)

रही इस असर की इस्तनादी हैसियत तो इस असर को बड़े शद्दो मद्द से पेश किया जाता है क्योंकि ब़ज़ाहिर इसकी सनद सही नज़र आती है।

लेकिन बानज़रे गाईर देखा जाए तो इस असर को ज़ईफ करने वाले कई अवामिल व इलल मौजूद हैं और वह इसे "मुन्कर" की क़िस्म में भी दाखिल कर रहे हैं।

पहली इल्लत :- इनमें से पहली इल्लत या सबब ज़ुअफ यह है कि इब्ने खसीफा अगरचे सिक़ा है लेकिन [illegible] बिन हम्बल ने इसे मुन्करूल हदीस कहा है, इमाम ज़हबी ने इसे मीज़ानुल एतदाल में ज़िक्र किया है जो इसके मुतकल्लम फी रावी होने पर दलालत करता है। और इमाम अहमद के क़ौल से मालूम होता है कि यह कभी कभी ऐसी रिवायत में मुन्फरद रह जाता है जिनको

सिक़ा रावी रिवायत नहीं कर रहे हैं। लिहाज़ा ऐसे रावी की बयान करदा रिवायत को उस वक़्त रद्द कर दिया जाएगा जब वह अपने से ज़्यादा क़व्वीउल हाफ़िज़ रावी की मुखालफत करे।

फिर इस रिवायत में साईब बिन यज़ीद से मुहम्मद बिन यूसुफ और इब्ने खसीफा दो रावी रिवायत बयान कर रहे हैं और उन दोनों का बयान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, मुहम्मद बिन यूसुफ ग्यारह रकआत बयान करते हैं जबकि इब्ने खसीफा इक्कीस रकआत। और इन दोनों में से मुहम्मद बिन यूसुफ की रिवायत को तरजीह हासिल होगी क्योंकि वह इब्ने खसीफा से ज़्यादा सिक़ा हैं, चुनान्चे हाफ़िज़ इब्ने हजर ने मुहम्मद बिन यूसुफ को सिक़ा सब्त लिखा है और इब्ने खसीफा को सिर्फ सिक़ा। इस वज़ाहत को पेशे नज़र ग्यारह रकआत वाली रिवायत को ही तरजीह होगी जैसा कि उसूले हदीस के इल्म को जानने वाले किसी शख्स से यह बात मख़्फ़ी नहीं है।

दूसरी इल्लत :- इस असर को ज़ईफ बनाने वला दूसरा सबब इल्लत यह है कि इब्ने खसीफ़ा की रिवायत में गिनती के यक़ीन के लिहाज़ से इज़्तिराब पाया जाता है, वह साईब बिन यज़ीद से कभी ग्यारह ज़िक्र करते हैं और कभी इक्कीस और बीस के ज़िक्र के साथ "मेरा ख्याल है" कहते हैं, लिहाज़ा इस रिवायत में बीस का ज़िक्र ग्यारह रक़आत वाली हदीस के खिलाफ है और "मेरा ख्याल है" के लफ्ज़ का इस्तेमाल इब्ने खसीफा के इज़्तिराब पर दलालत करता है, खुसूसन जबकि उन्हें इस अदद पर यक़ीन नहीं बल्कि इसका ज़िक्र वह बसूरते ज़न करते हैं, लिहाज़ा अदमे यक़ीन के पेशे नज़र यह असर साक़ितुल एतबार होगा, और फिर जब यह रावी अपने से ज़्यादा क़व्वीउल हाफ़िज़ की मुखालफत कर रहा है तो इस सूरत में इस असर का क़ाबिले हुज्जत होना मुहल्ले नज़र होगा।

तीसरी इल्लत :- मुहम्मद बिन यूसुफ, साईब यज़ीद के भान्जे हैं, इस क़राबत व रिश्तेदारी के पेशे नज़र वह अपने मामू की रिवायत को किसी भी दूसरे रावी से ज़्यादा जानते हैं लिहाज़ा जिस अदद (11 रकआत) को उन्होंने बयान किया है उसे ही तरजीह होगी। नीज़ यह असर उम्मुलमोमिन हज़रत आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा से मरवी मरफ़ू हदीस के भी मुवाफिक़ है।

तम्बीह :- इस रिवायत में क़याम करने वालों का तअरूफ नामालूम है। यह नामालूम लोग अगर अपने घरों में नफ्ल समझ कर बीस रकआत पढ़ते थे तो उमर

रज़िअल्लाहु अन्हु से इसका क्या तअल्लुक़ है? देवबन्दियों का यह दावा है कि "तरावीह बीस रकआत सुन्नते मुअक्किदा हैं।" (फतावा दारूलउलूम देवबन्द 4/296 जवाब सवाल नं. 1872)

यानी देवबन्दियों के नज़दीक "जमाअत के साथ सिर्फ बीस रकआत तरावीह ही सुन्नत मोअक्किदा है, इससे कम या ज़्यादा जाईज़ नहीं" इसलिए रशीद एहमद गंगौही साहब फरमाते हैं "अगर अद्दे तरावीह में शक हो जाऐ कि 18 पढ़ी या 20 तो दो रकआत फरदी पढ़े न बजमाअत। बसबब इतलाके हदीस के ज़्यादा अदा करना मम्नू नहीं। ख्वाह कोई अदद हो। मगर जमाअत बीस से ज़्यादा की साबित नहीं।" (अनवार मसाबीह स. 29)

दर्ज बाला देवबन्दी मोकूफ की रू से देवबन्दियों पर लाज़िम है कि वह अपनी पैस करदा रिवायत में दर्ज ज़ैल शर्त साबित करें :-

(1) उन लोगों के नाम बताऐं जो अहदे फारूक़ में बीस पढ़ते थे।

(2) यह साबित करें कि यह लोग बीस रकअतें सुन्नत मुअक्क़िदा समझ कर पढ़ते थे।

(3) यह साबित करें कि वह यह रकआतें मस्जिदे नब्वी में बाजमाअत पढ़ते थे।

(4) यह साबित करें कि उमर रज़िअल्लाहु अन्हु को इसका इल्म था।

(5) यह साबित करें कि यह लोग बीस से कम ज़्यादा को हराम या नाजाईज़ समझते थे।

(6) यह साबित करें कि इमाम अबु हनीफा ने इस असर से इस्तदलाल कर के यह साबित किया है कि सिर्फ बीस रकआत तरावीह बा जमाअत ही सुन्नत है उनसे कम या ज़्यादा जाईज़ नहीं हैं।

अगर यह साबित न कर सकें तो फिर देवबन्दियों का इन आसारे मजहूला से इस्तदलाल मरदूद है।

आखिर बात यह कि इस ज़ईफ असर में जो तरावीह की कैफियत बयान की गई आपकी मस्जिदों में उसके खिलाफ नज़ारा नज़र आता है कि जितनी देर में अहले हदीस मस्जिदों में 8 रकआत नहीं हो पाती उससे पहले हनफी मस्जिदों में 20 रकआत हो जाती है। और लोग सोने की तेयारी करने लगते है। है ना कमाल की बात की जो असर पेश कर रहे है उस पर अमल भी नहीं कर रहे है पूरी तरह।

आपने लिखा - हदीस 6. हजरत उमर रज़िअल्लाहु अन्हु लोगों को हज़रत उबैय बिन काब रज़िअल्लाहु अन्हु की इमामत में जमा किया के वह 20 रकआत तरावीह और 3 वित्र पढ़ाते थे।

मौलवी साहब ने इस असर को बगैर हवाले के नक़्ल किया है जबकि बाकी रिवायत को हवाले के साथ ज़िक्र किया है, इस रिवायत का हवाला नक़्ल न करने में क्या हिक्मत थी अल्लाह ही बेहतर जानता है?

मैं तो यह समझता हूँ कि शायद वह चाहते थे कि इस असर में जो फेर बदल किया गया है वह अवाम को मालूम न पड़ जाए इसलिए इसका हवाला नक़्ल नहीं किया गया।

इसका हवाला नक़्ल न करने की बहुत सारी वजह है जिनको आपके सामने मुख्तसरन पेश किया जा रहा है:-

1) यह रिवायत बीस रकआत के अल्फाज़ से क़तई तौर पर साबित नहीं बल्कि बाद में अबुदाऊद में तहरीफ की है तफ्सील के लिए देखें तोहफतुल हनफिया, नमाज़े तरावीह (सऊदी औलमा के फतावा और हरमैन शरीफैन में तरावीह की तदाद और रकआत, इज़ाला शुब्हात), आईना देवबन्द, हदीस और अहले तकलीद जवाब हदीस और अहले हदीस, दीने हक़ बजवाब जाअल हक़ और रकआते तरावीह की सही तादाद अहादीसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उलमाए अहनाफ।

2) मतन रिवायत में सही अल्फाज़ बीस रात के है रहा यह मसअला कि जामेउल मसानीद और सियर आल नुबला में रकआत का लफ्ज़ है तो इस सिलसिले में अर्ज़ है कि सियर में तसहीफ है और मसानीद में किताबत की गलती है, हाफिज़ इब्ने कसीर रह. वफात 774 हि. और अल्लामा ज़हबी रह. वफात 748 हि. से पहले इमाम बैहक़ी वफात 458 हि. ने सुननअल कुबरा स. 498 जि. 2 में और अल्लामा इब्ने हमाम हनफी रह. वफात 681 हि. ने फतहुल क़दीर स. 375 जि. 1 में बीस रात के अल्फाज़ नक़्ल किए हैं और हाफिज़ इब्ने कसीर रह. और अल्लामा ज़हबी रह. के साथ के इमाम मुज्ज़ी वफात 742 हि. ने तोहफतुल अशराफ स. 12 जि. 1 अल्लामा इब्ने मुक़लन वफात 504 हि. ने अलबदरूल मुनीर स. 366 जि. 4, में अल्लामा ज़ैलइ हनफी रह. वफात 737 हि. ने नसबुर्राया स. 126 जि. 2 में, और खतीब तबरेज़ी वफात 737 हि. ने अलमिश्कात 1293 में

इस रिवायत को रात के अल्फाज़ से ही अबुदाऊद से नक़्ल किया है। और बाद में अल्लामा इब्ने नजीम हनफी रह. वफात 970 हि. ने अलबहरुर्राइक़ स. 40 जि. 2 में, अल्लामा हलबी रह. वफात 956 हि. ने मुस्मला स. 416 में रात के अल्फाज़ से ही ज़िक्र किया है अबुदाऊद के शारहीन मसलन इमाम खत्ताबी ने मुअल्लिमुल सुनन में और मौलाना मुहम्मद शम्सुल हक़ अज़ीमा वादी ने औनुल माअबुद स. 538, जि. 2 में और मौलाना खलील अहमद सहारनपूरी ने बजलुल मजहूद स. 328 में रात के अल्फाज़ ही लिखे हैं गो आखिर ज़िक्र ने हाशिया में रकआत का लफ्ज़ लिख कर शाह मुहम्मद इस्हाक़ देहलवी के नुस्खे का हवाला दिया है। मगर मतन में रात के अल्फाज़ हैं जिससे मालूम हुआ कि अल्लामा सहरनपूरी के नज़दीक भी सही नुस्खे में रात के अल्फाज़ ही है, वरना वह बाद के मुर्हफ़ीन की तरह रकआत का लफ्ज़ ही मतन में दर्ज करते। हक़ीक़त यह है कि सही अल्फाज़ बीस रात के ही हैं, और रकआत का लफ्ज़ गलत है, और इस पर अन्दुरूनी व बैरूनी शाहदत हैं। बैरूनी शाहदत का ज़िक्र तो अभी गुज़र चुका है कि एक दर्जन के क़रीब औलमा ने अबुदाऊद से यह रिवायत रात के लफ्ज़ से नक़्ल की है अब अन्दरूनी गवाही रिवायत से बयान की जाती है। वज़ाहत से पहलें मुकम्मिल रिवायत हम आपके सामने रखते हैं।

इमाम हसन बसरी बयान करते हैं कि उमर फारूक़ रज़िअल्लाहु अन्हु ने लोगों को उबई बिन कअब रज़िअल्लाहु अन्हु पर जमा कर दिया और उन्हें बीस रातें नमाज़ पढ़ाते और कुनूत सिर्फ आखरी नस्फ में पढ़ाया करते और आखरी दस दिनों में उबई बिन क़अब रज़िअल्लाहु अन्हु नमाज़ घर में ही पढ़ते और लोग कहते उबई भाग गऐ। (सुनन अबीदाऊद ह. नं. 1429)

रिवायत पर गौर करें इसमें रमज़ान महीने को तीन असरों पर तक्सीम किया गया आखरी दस दिनों में उबई बिन कअब रज़िअल्लाहु अन्हु नमाज़ घर में पढ़ा करते थे। जबकि रमज़ान की पहली बीस रातों में से कुनूत सिर्फ निस्फ आखीर में पढ़ा करते थे। बलफ्ज़ दीगर रमज़ान के सिर्फ दरम्यानी दस दिनों में ही कुनूत मांगा करते थे। अग़र यहाँ रात के बजाए रकआत का लफ्ज़ रखा जाऐ तो रिवायत का यह मफहूम बन जाए कि बीस रकआत में आखरी दस रकअतों में कुनूत पढ़ा करते थे, हालांकि बीस रकआत तरावीह के क़ाइलीन भी आखरी दस रकअतों में हर रकआत तो क्या एक बर भी कुनूत के क़ायल नहीं।

साबित हुआ कि लफ्ज़ रकआत नहीं बल्कि रात है इस अन्दरूनी गवाही को छुपाने के लिए मौलवी साहब ने यह चाल चली है कि हवाले को तक़लीदी आरी से ज़ब्ह करते हुए नक़्ल ही नहीं किया। इन्नल्लिलाहि व इन्ना इलाहि राजिऊन।

३) इल्मे हदीस से थोड़ा बहुत भी वाक़फियत रखने वाले हज़रात जानते हैं कि रिवायत की तसहीह के लिए अलल हदीस एक अहम ज़रीया है और उस्ताद से अगर एक शार्गिद कोई लफ्ज़ ऐसा बयान करे जो बाक़िया शार्गिद न बयान करते हों, तो उसकी तीन सूरतें हुआ करती हैं:-

अ. वह इज़फा रिवायत के मुखालिफ न हो बल्कि सिर्फ ज़ाईद चीज़ बयान की गई हो तो उस सिक़ा की ज़यादत के नाम से क़बूल कर लिया जाता है।

ब. अगर रावी भी सिक़ा हो और अवसक (अपने से ज़्यादा सिक़ा रावी) की मुखालफत भी कर रहा हो तो उसका इज़ाफा शाज़ कहलाता है।

त. अगर रावी ज़ईफ हो तो उसका इज़ाफा मुन्कर कहलाता है, इस ऊसूल की रोशनी में हम देखते हैं कि अबीदाऊद की रिवायत हसन बसरी से नक़्ल करने वाले रावी यूनुस बिन अबीद हैं, जबकि यही रिवायत हसन बसरी से इमाम क़तादा भी नक़्ल करते है उनके अल्फ़ाज़ यह हैं :-

"इमाम हसन बसरी बयान करते हैं कि उबई बिन कअब रज़िअल्लाहु अन्हु खिलाफत उमर फारूक़ में लोगों को निस्फ रमज़ान नमाज़ पढ़ाया करते थे और उसमें कुनूत नहीं पढ़ा करते थे जब निस्फ गुज़र जाता तो कुनूत रूकू के बाद पढ़ा करते थे जब (आखरी) अशरा दाखिल होता तो आप उनसे अलग हो जाते और मआज़ अलक़ारी रज़िअल्लाहु अन्हु लोगों को नमाज़ पढ़ाया करते थे खिलाफते फारूक़ी में।" (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा स. 305 जि. 2)

यही रिवायत इमाम सीरीन रह. भी बयान करते हैं, उनके अल्फ़ाज़ हैं:-

"इमाम इब्ने सीरीन फरमाते है कि उमर फारूक़ रज़िअल्लाहु अन्हु के ज़माना खिलाफत में उबई बिन कअब रज़िअल्लाहु अन्हु लोगों को नमाज़ तरावीह पढ़ाया करते थे, जब रमज़ाने का निस्फ हो जाता तो आप कुनूत को बुलंद आवाज़ से रूकू के बाद पढ़ा करते और जब बीस रातें हो जातीं तो वह घर वालों के पास लोट आते और लोगों को अबुहलीमा मआज़ अलक़ारी रज़िअल्लाहु अन्हु नमाज़ पढ़ाया करते।"(मुसन्नफ अब्दुर्रज़ाक़ स. 259 जि. 3 ह. नं. 7724)

इमाम ज़ैलइ हनफी रह. फरमाते हैं :-

"शाफइयों के पास दुआ कुनूत को रमज़ान शरीफ में निस्फे सानी के साथ खास करने की दो दलीलें हैं पहली दलील अबुदाऊद में हैं हसन बसरी रह. बयान करते हैं कि उमर रज़िअल्लाहु अन्हु ने लोगों को अबी बिन कअब रज़िअल्लाहु अन्हु को इमामत में नमाज़ तरावीह पढ़ने पर जमा किया और वह लोगों को बीस रातें नमाज़ पढ़ाते थे।"

दूसरी दलील मुख्तसर सुनन अबी दाऊद लिलहाफिज़ मुन्जरी में है :-

"और हसन बसरी रह. बयान करते हैं कि उमर ने लोगों को अबी बिन कअब रज़िअल्लाहु अन्हु की इक्तिदा में नमाज़ पढ़ने के लिए जमा किया तो वह उन्हें बीस रातें नमाज़ (तरावीह) पढ़ाते थे।"(नसबुर्राया स. 166 जि. 2)

इन दलीलों से साबित हुआ कि रिवायत मे दुरूस्त अल्फाज़ बीस रातें के ही हैं और रकआत का लफ्ज़ क़तई तौर पर गलत है।

4) यह रिवायत ज़ईफ है क्योंकि उमर रज़िअल्लाहु अन्हु से नक़्ल करने वाले इमाम हसन बसरी हैं और हसन बसरी की पैदाइश दौरे फारूक़ी के आखरी दो सालों में हुई थी यही वजह है कि अकाबिर अहनाफ ने इस रिवायत को मुन्क़ता क़रार देते हुए ज़ईफ लिखा है, देखे नसबुर्राया स. 126 जि. 2, फतहुल क़दीर स. 375 जि. 1 बहरूर्राइक़ स. 40 जि. 2, और बज़लुलमजहूद स. 329 जि. 2 वगैरह।

ऐसा नहीं कि इन लोगों ने सिर्फ हदीसों में हेर फेर किया यह काम इन्होंनें कुरआन की आयतों के साथ भी किया है। सिर्फ दो नमूने हम आपके सामने पेश करते है।

कुरआन की आयतों में तहरीफ एक शर्मनाक अमल

1) मौलाना महमूदुल हसन हनफी देवबन्दी जो कि दारूल उलूम देवबन्द के शैखुल हदीस थे, अहनाफ ने उन्हें शैखुल हिन्द के खिताब से नवाज़ा था, उन्होंने एक किताब लिखी ईजाहुल अदिल्लह उसके टाईटल सफे में मौलाना का नाम इस अन्दाज़ में लिखा गया है, हुज्जतुल इस्लाम मुरशिदुलआलम सय्यदुल अतकिया सय्यदना व मौलाना महमूदुल हसन साहब शैखुल हिन्द कद्दसल्लाहु सर्राहुल अज़ीज।

इस किताब में मौलवी साहब लिखते है:-

"यही वजह है कि यह इरशाद हुआ **"अगर तुम किसी चीज़ में झगड़ो तो उसको अल्लाह और उसके रसूल और अपने उलुल अम्र के पास ले जाओ**

अगर तुम अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर ईमान रखते हो।" और जाहिर है उलुल अम्र से मुराद इस आयत में सिवाए अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम के और कोई है। सो देखिए इस आयत से साफ जाहिर है कि हजरात अम्बिया व जुमला उलुल अम्र वाजिबुल इत्तिबा है। आपने आयत **"उसको रूजू करो तरफ अल्लाह के और रसूल के अगर यक़ीन रखते हो अल्लाह और क़यामत के दिन पर।"** तो देख ली और आपको अब तक मालूम न हुआ कि जिस कुरआन मजीद में यह आयत है उसी कुरआन में मजुकरा बाला मारूजा अहकर भी मौजूद है। (इजाहुल अदिल्लह छापा मक्तबा रहीमिया देवबन्द स. 93, छापा मक्तबा क़ासमी देवबन्द स. 97 छापा जमाल प्रिन्टीगं वरकस देहली स. 103)

मौलाना ने यह बात बड़े वूसूक के साथ कही कि आपने फला आयत तो देख ली और आपको अब तक मालूम न हुआ कि जिस कुरआन मजीद में यह आयत है उसी कुरआन में मज्कूरा आयत भी मौजूद है। लेकिन मश्रिक व मग्रिब के तमाम देवबन्दी जमा हो जाए कुरआन मजीद से यह आयत दिखाना चाहे तो नहीं दिखा सकते.आज कल बाज देवबन्दी हजरात ने यह कहना शुरू कर दिया कि यह कातिब की गलती है, छापते वक़्त गलत लिखा गया। लेकिन गौर कीजिए मौलाना तो उसको बाक़ायदा कुरआन की आयत करार देते है कि जिस तरह कुरआन में फलां आयत मौजूद है उसी तरह कुरआन में यह आयत भी है और मौलाना का इस्तिमबात का सारा दारोमदार भी इस मनघड़त आयत पर है फिर इसको कातिब की गलती कैसे कहा जा सकता है।

2) हनफी देवबन्दी मौलवी जो फन्ने मुगालिता के इमाम और देवबन्दियों के बहुत बड़े मुनाज़िर हैं, मास्टर मुहम्मद अमीन सफदर ओकाड़वी उन्होंने मसअला रफाअयदैन के बारे में एक किताब लिखी है जिसका नाम रखा "तहकीक़ मसअला रफायदैन" उस किताब में लिखते है। नीज़ अल्लाह तआला फरमाते है **"ऐ ईमान वालों! अपने हाथों को रोक कर रखो जब नमाज़ पढ़ो।"** इस आयत से बाज़ लोगों ने नमाज़ के अन्दर रफायदैन के मना की दलील ली है। (तहकीक मसअला रफायदैन स. 6 तबा अव्वल)

मोहतरम कारईन इस इबारत को पढ़िए गौर से पढ़िये क्या इसे भी कातिब की गलती कहेगें यहाँ तो अमीन सफदर साहब उन मनघढ़त अल्फाज़ का तर्जुमा भी कर दिया है, और इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह तआला फरमाता है कह कर

यह आयत लिख रहे है।

बहरहाल बात को जाने दीजिए लेकिन यह बात तो हमांरी समझ में आ गई कि अहनाफ जो अपने मसाइल का हल करने के लिए कुरआन व हदीस से मजबूत दलील नहीं रखते अब वह अपने मसअलो के हल के लिए अपने मजहब को सही साबित करने के लिए कुरआन व हदीस में तब्दीली, कमी ज़्यादती करने लगे और उसको अवाम में भी मशहूर करने लगे हैं। अल्लाहुम्मा हफ़ीज़ना मिनहुम।

अगर इन दोनों किताबों के अक्सी (जेराक्स) फोटो देखना हो तो किताब "कुरआन व हदीस में तहरीफ" को पढ़े और देखे। इस किताब को आप "किताब ओ सुन्नत डाट काम" "सिराते मुस्तकिम डाट काम" और "आई आर सी पी के डाट काम" से डाउनलोड कर सकते है।

आपने लिखा - **हदीस 7.** हज़रत उमर रज़िअल्लाहु अन्हु ने तमाम सहाबा को हज़रत उबैय बिन काब रज़िअल्लाहु अन्हु की इमामत में जमा किया और हज़रत उमर रज़िअल्लाहु अन्हु उन खुलफाऐ राशेदीन में से है जिनके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हैं के मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाऐ राशेदीन की सुन्नत जो कि हिदायत याफ्ता हैं पर अमल करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाड़ों से पकड़ने का जिक्र इसी लिए किया के दाड़ों की गिरफ्त मज़बूत होती है। हज़रत उमर रज़िअल्लाहु अन्हु का ये इक़दाम ऐन सुन्नत है (फतावाऐ इब्ने तेमिया रेह. जि. नं. 234)

वाह मौलाना आपने गिनती बढ़ाने के लिए एक ही असर को दो बार लिख दिया कि गिनती बढ़ जाए। यही असर कि "हज़रत उमर रज़िअल्लाहु अन्हु ने तमाम सहाबा को हज़रत उबैय बिन काब रज़िअल्लाहु अन्हु की इमामत में जमा किया" अपने 6 नं. पर भी लिखा था। वहाँ हमने इसका काफी जवाब दे दिया है और यह साबित कर दिया कि इस असर में इज़ाफा है और यह असर ज़ई है, लेकिन आपने इसे दोबारा लिखा है तो इसका जवाब दोबारा से अलग तरीक़े से आपको पेश करते है।

पहली बात इस असर में तरावीह की रकआत की तादाद का ज़िक्र नहीं है फिर आपने इसे 20 रकआत की दलील में क्यों पेश किया?

दूसरी बात आपने उबई बिन कअब रज़िअल्लाहु अन्हु का असर सही सनद से पेश नहीं किया हम उबई बिन कअब रज़िअल्लाहु अन्हु का असर सही सनद

से पेश कर रहे है आप देख लो कि उन्होनें कितनी रकआत पढ़ी और पढ़ाई।

1) उबई बिन कअब रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने रमज़ान में आठ रकअतें और वित्र पढ़ी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ (रद्द) नहीं फरमाया "पस यह रज़ामन्दी वाली सुन्नत बन गई।" (मुस्नद अबी याअला 3/336, ह. 1801)

अल्लामा हैसमी ने इस हदीस के बारे में फरमाया "इसे अबुयाअला ने रिवायत किया और इसी तरह तिबरानी ने औसत में रिवायत किया और इसकी सनद हसन है।" (मजमुआ ज़वाईद 2/74)

सरफराज़ खान सफदर देवबन्दी लिखते हैं :-

"अपने वक़्त में अगर अल्लामा हैसमी को सेहत और सिक़म की परख नहीं, तो और किस को थी?"(अहसनुल कलाम 1/233, तौज़ीहुल कलाम 1/279)

यानी किसी रिवायत को हैसमी ने सही या हसन कहा तो उसे ज़ईफ नहीं कहना चाहिए।

2) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़िअल्लाहु अन्हु फरमाते है कि हज़रत उबई बिन कअब रज़िअल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम)! आज रात मुझसे एक काम हो गया और यह वाक़िया रमज़ान का है। हुज़ूर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया ऐ उबई! क्या हुआ? उन्होंने अर्ज़ किया, मेरे घर में कुछ औरतें थीं। उन औरतों ने कहा, हमने कुरआन नहीं पढ़ा, हम आपके पीछे तरावीह की नमाज पढ़ेंगी। चुनांचे मैने उन्हें आठ रकआत नमाज़ पढ़ाई और वित्र भी पढ़ाई। हुज़ूर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने इस पर कुछ न फरमाया। इस तरह आपकी रज़ामन्दी की बुनियाद पर यह सुन्नत हुई।"(हैसमी, भाग 2 पृ. 74, बहवाला हयातुस्सहाबा भाग 3, पृ 267)

यह अल्फाज़ मौलवी मुहम्मद यूसुफ कांधलवी सा. की किताब के है उन्होंने लिखा है इस हदीस के बारे में कुछ कलम चलाने से पहले अपने अकाबीर के बारे में भी सोच लेना कि उन्हें एक भी सही हदीस या असर नहीं मिला 20 रकआत के बारे में अपनी किताब में दर्ज करने के लिए ऐसा क्यों? उन्होंने पुरे चार सफे में एक भी हदीस या असर नहीं लिखा 20 रकआत तरावीह के बारे में, एक बार उस किताब को भी ज़रूर पढ़ ले।

3) उमर बिन खत्ताब ने उबई बिन कअब और तमीमदारी रज़िअल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि लोगों को (रमज़ान में रात के वक़्त) ग्यारह रकआत पढ़ाएं।" (मुअत्ता इमाम मालिक 1/114 ह. 249, सुनन अलकुबरा लिल बैहक़ी 2/496)

यह हदीस बहुत सी किताबों में मौजूद है। मसलन :-

(01) शरह मानीउल आसार। (1/293)

(02) अलमुख़्तार लिल हाफिज़ ज़ियाउल मुक़द्दसी (बहवाला कन्जुलअमाल 8/407 ह. 23465)

(03) मअरफतुल सुनन वल़ आसार लिलबैहक़ी (2/367, 368, मतबूअ 2/305 ह. 1366)

(04) क़यामुल लैल लिलमरूज़ी (स. 200)

(05) मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ (बहवाला कन्जुल अमाल ह.23465)

(06) मिश्कातुल मसाबिह (स. 115 ह. 1302)

(07) शरहुउस्सुनह लिलबगवी (4/120 ह. 990)

(08) मलहजुब फी इख़्तिसार सुनन लिलकुबरा लिलज़हबी (2/461)

(09) कन्जुलअमाल (8/407 ह. 23465)

(10) सुनन अलकुबरा लिल नसाई (3/113 ह. 4687)

इस फारूक़ी हुक्म की सनद बिल्कुल सही है।

दलील (01) इसके तमाम रावी ज़बरदस्त क़िस्म के सिक़ा हैं।

दलील (02) इस सनद के किसी रावी पर कोई जिरह नहीं है।

दलील (03) इस सनद के साथ एक रिवायत सही बुखारी किताबुल हज में भी मौजूद है। (ह. 1858)

दलील (04) शाह वलीउल्लाह देहलवी ने "अहले हदीस" से नक़्ल किया है कि मुअत्ता की तमाम हदीसे सही हैं। (हुज्ज तुल्लाहिल बालिगा 2/241 ऊर्दु)

दलील (05) तहावी हनफी रह. ने "हाज़ा यदल" कह कर यह असर बतोर हुज्जत पेश किया है। (मआनीउल आसार 1/293)

दलील (06) ज़ियाउल मक़्दुसी ने अलमुख़्तार में यह असर लाकर अपने नज़दीक इस का सही होना साबित कर दिया है। (देखे इख़्तिसार उलूमुल हदीस स. 77)

दलील (07) इमाम तिर्मिज़ी ने इस जैसी एक सनद के बारे में कहा "हसन

सही" (ह. 926)

दलील (08) इस रिवायत को मुतक़द्दमीन में से किसी एक मुहद्दिस ने भी ज़ईफ नहीं कहा।

दलील (09) अल्लामा बाअज़ी ने इस असर को तस्लीम किया है। (मुअत्ता बशरहुज़ुज़रक़ानी 1/238 ह. 249)

दलील (10) मशहूर गैर अहले हदीस मुहम्मद बिन अली नयईमवी (वफात 1322 हि.) ने इस रिवायत के बारे में कहा "और इसकी सनद सही है।" (आसार सुनन स. 250 ह. 776)

लिहाज़ा बाज़ मुतअस्सिब लोगों का 15 वीं हि. सदी में इसे मुज़तरब कहना बातिल और बेबुनियाद है।

4) मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा (वफात 235 हि.) में है कि "बेशक उमर रज़िअल्लाहु अन्हु ने लोगों को उबई (बिन कअब) तमीम (दारी) रज़िअल्लाहु अन्हु पर जमा किया, पस वह दोनों ग्यारह रकआत पढ़ते थे।" (2/392 ह. 7670)

इस रिवायत की सनद बिल्कुल सही है और उसके सारे रावी सही बुखारी व सही मुस्लिम के हैं और बइज्माअ सिक़ा हैं।

5) साईब बिन यज़ीद (सहाबी) रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत है "हम (सहाबा रज़िअल्लाहु अन्हु) उमर बिन खत्ताब रज़िअल्लाहु अन्हु के ज़माने में ग्यारह रकआत पढ़ते थे।" (सुनन सईद बिन मन्सूर बहवाला हावा लिल फतावा 1/349 व हाशिया आसार सुनन स. 250, दुसरा नुस्खा 201)

इस रिवायत के तमाम रावी जुमहूर के नज़दीक सिक़ा व सुदूक़ हैं।

सुबकी सलातुत्तरावीह ने इस रिवायत के बारे मे लिखा है "और यह (ग्यारह रकआत वाली रिवायत) मुसन्नफ सईद बिन मन्सूर में बहुत सही सनद के साथ है। (अलमसाबीह सलातुत्तरावीह लिल सुयूती स. 15, अलहावा लिलफतावा 1/350)

लिहाज़ा साबित हुआ कि ग्यारह रकआत क़यामे रमज़ान (तरावीह) पर सहाबा किराम रज़िअल्लाहु अन्हु का इज्मा है।

इस असर में आपने अपनी तरफ से यह बात बड़ा दी "हज़रत उमर रज़िअल्लाहु अन्हु उन खुलफाऐ राशेदीन में से है जिनके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हैं के मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाऐ राशेदीन की सुन्नत जो कि हिदायत याफ्ता हैं पर अमल करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि

वसल्लम ने दाड़ों से पकड़ने का जिक्र इसी लिए किया के दाड़ों की गिरफ्त मज़बूत होती है।" इससे हमको इन्कार नहीं है और अलहम्दुल्लिाह हम उमर रज़िअल्लाहु अन्हु की बातों पर अमल भी करते हैं।

खुलफाए राशिदीन के इन अमल को मुकल्लिद दाढ़ो से क्यों नहीं पकड़ते

उमर रज़िअल्लाहु अन्हु के कुछ अमल और साथ ही अबु बकर रज़िअल्लाहु अन्हु के भी अमल तो हमने पहले ज़िक्र की है कुछ और आपकी याद ताजा कराने के लिए यह पेश करते है

1. पहली मिसालः खुलफाए राशिदीन उमर बिन खत्ताब रज़िअल्लाहु अन्हु, इब्ने उमर रज़ि, इब्ने मसऊद रज़िअल्लाहु अन्हु से मनकूल है कि "औरत को छुने" से वुजू टूट जाता है जैसा कि दारेकुतनी 1/144, मिश्कात 1/41 में ज़िक्र है।

इसके खिलाफ हनफी कहते हैं कि औरत को छुने से वजू नहीं टूटता। जैसाकि फतावा आलमगीरी 1/13, शरह विक़ाया 1/77, खुलासतुल फ़तावा 1/15।

2. दूसरी मिसाल :- खुलफाऐ राशिद उमर फारूक़ रज़िअल्लाहु अन्हु और उसके साथ अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़िअल्लाहु अन्हु फरमाते है कि जुनबी के लिए तयम्मुम करना जाईज़ नहीं है। (बुखारीः 1/ 67,68)

इसके खिलाफ करते हुऐ अहनाफ कहते है कि जुनबी के लिए तयम्मुम करना जाईज़ है। (कन्ज़ 1/6, हिदाया 1/49, दुरेमुख्तार 1/109)

3. तीसरी मिसाल खुलफाए राशिद उमर फारूक रज़िअल्लाहु अन्हु इसी तरह इब्ने उमर, अबू हुरैरा रज़िअल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि शर्मगाह को हाथ लगाने से वुज़ू टूटता है। (तहावी 1/91, तन्ज़ीमुल असतात 1/132 ऐनी, सुनन कुबरा अलबैहकी 1/91, अब्दुर्रज़्ज़ाक़ 1/114)

इसके बरअक्स अहनाफ कहते हैं कि शर्मगाह छुने से वुज़ू नहीं टुटता।(दुर्रेमुख्तार 1/99, कन्ज़ 1/6)

4. चौथी मिसाल : खुलफाए राशिद उमर बिन खत्ताब रज़िअल्लाहु अन्हु फरमाते है दरिन्दे और भेड़ियों का झूठा पलीद और नापाक नहीं। (मिश्कात 1/51, मूता 1/14, अब्दुर्रज्ज़ाक़ 1/77, फिक्ह उमर बिन खत्ताब स. 598)

इसके बरअक्स अहनाफ कहते हैं कि उनका झूठा पलीद और नापाक है। (हिदाया 1/45, कन्ज़ 1/9 शरह विक़ाया 1/92)

5. पांचवीं मिसाल खुलफाए राशिद अबुबकर सिद्दिक़ रज़िअल्लाहु अन्हु इसी तरह इब्ने अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हु फरमाते हैं: समन्दर के तमाम हैवानात जायज़ और हलाल हैं। (बुखारी 2/825)

इसके खिलाफ अहनाफ कहते हैं कि समन्दर के तमाम हैवानात सिवाए मछली के हराम हैं। (हिदाया 4/442, तन्जीमुल असतात 1/180)

अब कहाँ है दाड़ इनको क्यों नहीं दाड़ों से पकड़ते, सिर्फ उम्मत को लड़वाना जानते हो कभी इस्लाह की भी कोशिश की है। अपने फरेब की चाल को चलना बन्द करो और कुरआन व सुन्नत की दअवत देना शुरू करों तकलीद की दअवत से खुद को और अवाम को रोको।

इब्ने तैमिया ने उमर रज़ि. के किस अमल को ऐन सुन्नत कहा

"हज़रत उमर रज़िअल्लाहु अन्हु का ये इक़दाम ऐन सुन्नत है" फतावाऐ इब्ने तैमिया रह. को आपने खुद पढ़ा है या किसी और को देख कर यह लाईन लिख दी। यक़ीनन आपने फतावा इब्ने तेमिया रह. को नहीं पढ़ा। पढ़ते तो यह गलती नहीं करते। उन्होंने कहीं भी 20 रकआत तरावीह को ऐन सुन्नत नहीं लिखा है। उन्होंने तरावीह की जमाअत को सुन्नत लिखा है। यक़ीन नहीं हो रहा है मैं उनकी किताब से आपको बतलाता हूँ।

इब्ने तैमिया रह. फरमाते है "शरई एतबार से तरावीह को बिदअत कहना सही नहीं बल्कि यह सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ौल व फअल से इसका सबूत है इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमाअत से भी अदा फरमाया है शुरू रमज़ान और आखिर रमज़ान दोनों अवक़ात में। सुनन की हदीस में वारिद है कि तरावीह को इमाम के साथ अदा करने वाले को पूरी रात के क़याम का सवाब मिलता है।

इस हदीस से इमाम अहमद रह. वगैरह ने इस्तिदलाल किया है कि जमाअत के साथ तरावीह की अदायगी तन्हा पढ़ने से अफज़ल है, इससे इमाम के पीछे रमज़ान के क़याम की फज़ीलत साबित होती है और इस नमाज़ का मुतलक़

सुन्नत होना बकुव्वत साबित होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदे मुबारक में सहाबा रज़िअल्लाहु अन्हु ने मस्जिद में जमाअत के साथ तरावीह की नमाज़ अदा की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना नहीं फरमाया इस तरह यह तक़रीरी सुन्नत भी हुई।" (राहे हक़ के तक़ाज़े तर्जुमा इक़्तिज़ाए सिराते मुस्तिक़ीम स. 123)

इस तरह पुरा पेरेग्राफ लिख कर साबित करों। इब्ने तेमिया किस तादाद को मानते थे यह मैं आगे आपको बतलाऊंगा अभी इतना ही।

ऐहदे उसमानी में 20 रकआत तरावीह - ख़लीफऐ राशीद हज़रत उस्माने ग़नी रज़िअल्लाहु अन्हु के ऐहदे मुबारक में भी 20 रकआत तरावीह और वित्र पढ़ा करते थे।

इसका हवाला आपने नहीं दिया हालांकि इस असर को आपने पहले 5 नं. पर बयान किया। वहां पर बैहकी का हवाला दिया है। यह असर साबित नहीं है।

"हज़रत उस्माने ग़नी रज़िअल्लाहु अन्हु के अहदे मुबारक में भी 20 रकआत तरावीह और वित्र पढ़ा करते थे।" इन अल्फाज़ के बारे में मौलाना शौक़ नयमवी हनफी ने कहा है कि यह मुदरज क़ौल है, इमाम बैहक़ी की तसनीफात में कहीं भी इसका सुराग़ नहीं मिलता और अल्लामा मुबारक पुरी ने मौलाना नयमवी के इस तबसरे की तस्दीक़ की है। (तोहफतुल अहवज़ी 3/531)

हदीस 8. हज़रत साईद बिन यज़िद फरमाते हैं के हज़रत उमर रज़िअल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में 20 रकआत तरावीह और वित्र पढ़ा करते थे। (नज़बुर्राया जि. नं. 2, सफा नं. 154)

यह रिवायत सख़्त ज़ईफ है इसलिए कि इसकी सनद में अब्दुल्लाह बिन फन्जवी है और दूसरी सनद में अबू ताहिर ज्यादी और अबू उस्मान बसरी है, और इन तीनों में से किसी का भी सिक़ा होना कुतुबे रिजाल में मौजूद नहीं, बअज़ का तो ज़िक्र भी कुतुबे रिजाल में मौजूद नहीं अबू उस्मान बसरी के बारे में अल्लामा नयमवी हनफी फरमाते है "मैंने उसका तर्जुमा (उसके हालात) कुतुबे रिजाल में नहीं पाया।" (अत्तलिकुल हसन स. 252)

अलगर्ज इस रिवायत की सनद में तीन मजहुल रावी मौजूद है जिससे इस हदीस का ज़ईफ होना बिल्कुल वाजेह है। बरेलवी जमाअत के मुफ्ती साहब जाअलहक़ में इस हदीस के बारे में गुफ्तगू करते हुए लिखते है. कि "(इस हदीस

की सनद के) दरम्यान में मजहुलुलहाल रावी है लिहाज़ा यह रिवायत नाम लेने के काबिल नहीं है के इससे दलील पकड़ी जाए। " (जाअलहक़ जि. 2 स. 56)

गौर तो करें जिस हदीस की सनद में एक रावी मजहुल हो तो वह दलील के लायक़ नहीं तो फिर जिस हदीस की सनद में तीन रावी मजहुल हो वह हदीस दलील कैसे बन सकती है, मालूम हुआ कि उसूले मोहद्दिसीन और खुद ओलमा ए अहनाफ के उसूल के मुताबिक यह हदीस दलील के लायक़ नहीं लिहाजा इस हदीस का दलील बनाकर पेश नहीं किया जा सकता।

दूसरी बात यह रिवायत सही रिवायत के मुखालिफ भी जिसमें साईव बिन यज़ीद बयान करते है, उमर रज़िअल्लाहु अन्हु ने उबई बिन कअब और तमीम दारी को ग्यारह रकात पढ़ाने का हुक्म दिया था इसी तरह साईब बिन यज़ीद बयान करते हैं कि हम उमर रज़िअल्लाहु अन्हु के ज़माने मे ग्यारह रकआत पढ़ा करते थे, जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है।

तीसरी बात यह है कि इस रिवायत से यह साबित नहीं होता कि यह लोग बीस रकआत उमर रज़िअल्लाहु अन्हु के हुक्म से पढ़ा करते थे, उमर रज़िअल्लाहु अन्हु को उनके इस अमल की खबर थी। अब हर मोमिन की जिम्मेदारी है कि साबित और सही हदीस पर अमल करे और ज़ईफ़ हदीस को छोड़ दे।

हदीस 9. ऐहदे अली में भी 20 रकआत तरावीह पढ़ते थे। (बेहिक़ी)

"हजरत अली रज़िअल्लाहु अन्हु के अहद में भी 20 रकआत तरावीह पढ़ते थे।" इन अल्फाज़ के बारे में मौलाना शौक़ नैमवी हनफी ने कहा है कि यह मुदरज कौल है, इमाम बैहक़ी की तसनीफात में कहीं भी इसका सुराग़ नहीं मिलता और अल्लामा मुबारक पुरी ने मौलाना नैमवी कें इस तबसरे की तस्दीक़ की है। (तोहफतुल अहवजी 3/531)

हदीस 10. हजरत अ. रहमान रज़िअल्लाहु अन्हु फरमाते हैं के हज़रत अली रज़िअल्लाहु अन्हु रमज़ान में कुर्रा हज़रात को बुलाया और उनमें से एक को हुक्म दिया के लोगों को 20 रकआत तरावीह पढ़ाऐं। हज़रत रहमान फरमाते हैं के वित्र हज़रत अली पढ़ाते थे। (बैहकी)

इसका जवाब यह है कि यह असर ज़ईफ है और दलील व अमल के लायक़ नहीं इसकी वजह यह है कि इसकी सनद में एक रावी हम्माद बिन शोएब है, और वह जईफ है उसके बारे में इमाम ज़हबी रह. फरमाते है "इमाम इब्ने मोईन ने

हम्माद बिन शोएब को ज़ईफ कहा, इमाम नसाई फरमाते है कि ज़ईफ है, इमाम इब्ने अदी फरमाते है कि उसकी अक्सर रिवायत की कोई मुताबे नहीं, इमाम अकीली फरमाते है कि उसका कोई मुताबे नहीं उसी जैसा या उससे बदतर, इमाम अबूहातिम कहते है कि वह क़वी नहीं है। (मीज़ानुल एतदाल जि. 1 स. 247 दूसरे छापे में जि. 1 स. 596)

मोहतरम कारिईन गौर करे कि इतने सारे मोहद्दिसीन जो अपने अपने ज़माने में इल्म के समन्दर माने जाते थे, वह सब इस हदीस के रावी हम्माद बिन शोएब को ज़ईफ और बेएतबार क़रार देते है, और तो और खुद अहनाफ के मोहद्दिसीन अल्लामा नैमवी हन्फी फ़रमाते है "मैं कहता हुं कि हम्माद बिन शोएब ज़ईफ है।" (अत्तालिकुल हसन स. 254)

जब सारे ही इसको ज़ईफ कहते है तो फिर उसकी बयान करदा रिवायत कैसे सही हो जाएगी हक़ीक़त यह है कि यह रिवायत ज़ईफ है। यह भी याद रखे कि इमाम बुखारी रह. ने हम्माद बिन शोएब के बारे में कहा "फी ही नज़रून।" और इमाम इब्नुल हम्माम हनफी अपनी किताब अत्तहरीर में लिखते है कि "जिस रावी के बारे में इमाम बुखारी फी ही नज़रून कह दे तो उसकी रिवायत को न तो हुज्जत बनाया जा सकता है, और न बतौर शाहीद के पेश किया जा सकता है और न ही वह एतबार के लायक़ होती है।"(बहवलाल तोहफतुल अहवज़ी जि. 2 स. 75)

दूसरी बात यह कि इस हदीस की सनद में एक रावी है जिसका हाफज़ा आखरी उम्र में खराब हो गया था, और वह हम्माद बिन शोएब के उस्ताद अता बिन साईब है, इमाम ज़हबी रह. फरमाते है "अता बिन साईब आखरी उम्र मे मुख्तलत हो गए थे उनका हाफज़ा खराब हो गया था, और इमाम याह्या ने कहा कि उसकी हदीस ज़ईफ है मगर उन हदीसों के जो शोअबा, सुफियान, और हम्माद बिन ज़ैद बयान करें।" (मीज़ानुल एतदाल जि. 2 स. 177 दूसरे छापे में जि. स. 71)

खुलासा कलाम यह है कि इस हदीस की सनद में एक रावी ज़ईफ है तो दूसरे का हाफज़ा खराब अब इस हदीस के ज़ईफ होने में कोई शक बाकी नही रहता।

हदीस 11. आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर व हज़र के साथी

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़िअल्लाहु अन्हु भी 20 रकआत तरावीह और 3 वित्र पढ़ते थे (कयामुल लैल स. नं. 157)

यह असर सही नहीं है इसकी वजह यह है आमश जो अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़िअल्लाहु अन्हु का अमल बयान कर रहे है उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़िअल्लाहु अन्हु का ज़माना ही नही पाया दूसरे लफ्ज़ों में यह कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़िअल्लाहु अन्हु की ज़िन्दगी में आमश की पैदाईश तक नहीं हुई थी, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़िअल्लाहु अन्हु 32 हि. या 33 हि. में वफात पा चुके थे जबकि आमस की पैदाईश 60 हि. के बाद हुई। जैसाकि तक़रिबुत तहज़ीब में हैं :-

"अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़िअल्लाहु अन्हु की वफात 32 हि. या उसके बाद वाले साल में मदीना में हुई।" (तकरिबुत तहज़ीब छापा देहली स. 142)

आमश के बारे मे लिखा है:-

"सलमान आमश की वफात 147 हिज़री या 148 हि. में हुई और उसकी पैदाईश 61 हि. के शुरू में हुई।" (तकरिबतु तहज़ीब छापा देहली स. 102 103)

इसी तरह की बात का खुलासा छापा मिस्र स. 155 और 214 में भी मौजूद है गौर कीजिए आमश जो अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़िअल्लाहु अन्हु की वफात के 28 साल बाद पैदा हुए वह कैसे अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़िअल्लाहु अन्हु का अमल बयान कर सकता है अगर यह कहा जाए कि उसने अपनी पैदाईश से 28 साल पहले ही अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़िअल्लाहु अन्हु का अमल देख लिया था तो यक़ीनन यह बात अक़्ल और नक़ल दोनों के खिलाफ है मतलब यह कि बीस रकआत की यह रिवायत भी सख़्त ज़ईफ है।

इस पूरी बहस से मालूम हुआ कि बीस रकआत के सबूत में जितनी भी रिवायतें पेश की जाती है वह सबकी सब ज़ईफ है।

बहुत बातें करते हो लेकिन सफर व हज़र के साथी के बारे में मशहूर देवबन्दी हुसैन एहमद टान्डवी ने क्या कहा यह भी पढ़ लो "नीज़! मुअत्ता इमाम मालिक रह. में इमाम मालिक अपने बलागात में नक़ल फरमाते हैं। कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद कुबला (बोसा) से वुजू करने का फतवा देते हैं। मगर यह मुनक़ता रिवायत सिहाह की रिवायत का मुक़ाबला नहीं कर सकती। अगर इसे सही भी माना जाए तो यह इब्ने मसऊद का अपना मस्लक और फतावा होगा

जिसका उन सही की रिवायत और रईसुलमुफस्सिरीन इब्ने अब्बास की तफ्सीर की वजह से तर्क कर दिया जाएगा। इब्ने मसऊद रज़िअल्लाहु अन्हु के बाज़ अक़्वाल को अहनाफ ने तर्क भी कर दिया है।"(तक़रीर तिर्मिज़ी 196)

आपने लिखा है "तमाम सहाबा किराम हज़रत उमर रज़िअल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्माने ग़नी रज़िअल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़िअल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़िअल्लाहु अन्हु, हज़रत सुफियान सौरी रह." लेकिन एक भी सही हदीस पेश नहीं की कैसे मान ले कि यह जो नाम आपने दिए है 20 रकआत पढ़ते थे। पहले सही हदीस पेश करो फिर कहना की इनका अमल यही था अपने मुहं मियां मिठ्ठू हर कोई बन सकता है लेकिन साबित करने में पसीना आ जाता है।

आपने लिखा "हजरत इब्ने तैमिया रह." 20 रकआत पढ़ते थे लेकिन वह तो कुछ और फरमा रहे है पढ़ेः-

"सुनन में सराहत की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा रज़िअल्लाहु अन्हु को रमज़ान में नमाज़ पढ़ाते तो ईशा के बाद नमाज़ पढ़ाते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात का क़याम आपका वित्र होता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान व गैर रमज़ान ग्यारह या तेरह रकआत पढ़ते थे।" (फतावा इब्ने तैमिया रह. स. 104 जि. 2, बहवाला मक़ालात राशिदीया जि. 3 स. 122)

अल्लामा इब्ने तैमिया रह. ने सुन्नत सिर्फ यही तदाद बताई है।

"देते हैं धोका यह बाज़ीगर खुला"

चारो इमामों के अमल का फरेब

आपने फरमाया "चारों आईम्माऐ किराम रह." 20 रकआत पढ़ते थे, क्या अल्लाह का खौफ नहीं है मौलाना एक दिन मरना है उस दिन अल्लाह से क्या कहोगे कि मैंने झूठ बोल बोल कर अपने मस्लक की खूब इशाअत की हैं, मैं कर आया जो मुझे करना था अपने मस्लक की इशाअत में।

पढ़े इमाम मालिक रह. (पैदाईश 93 हि. वफात 179) के बारे में कि वह किसी तादाद के क़ायल थेः-

हाफिज़ सुयूती रह. अपनी किताब "अल मसाबीह" में लिखते हैं कि इमाम

मालिक रह. ने फरमाया "वह रकअतें जिन पर हज़रत उमर रज़िअल्लाहु अन्हु ने इकठ्टा किया है वह मुझे ज़्यादा पसंद हैं और वह ग्यारह रकआत हैं और तेरह इसके क़रीब हैं। न मालूम लोगों ने इतनी ज़्यादा रकअतें कहां से घड़ ली हैं।"

अल्लामा ऐनी हनफी रह. ने लिखा हैं "इमाम मालिक रह. और इमाम इब्नुल अरबी ग्यारह रकआत नमाज़े तरावीह अदा करते थे।"(उम्दतुलक़ारी शरह सही बुखारी स. 357 जि. 5)

इमाम शाफई रह. (पैदाईश 150 हि. वफात 204 हि.) का मोकिफ तरावीह के बारे में:-

इमाम बैहक़ी रह. फरमाते है "इमाम शाफई रह. ने कहा कि हमको इमाम मालिक के ज़रिये साईब बिन यज़ीद की रिवायत पहुंची है कि उमर बिन खत्ताब रज़िअल्लाहु अन्हु ने उबई बिन कअब और तमीम दारी को 11 रकआत पढ़ाने का हुक्म दिया था।" (माअरेफतुल आसारूस सुनन स. 447 जि. 1)

इमाम अहमद बिन हम्बल रह. (पे. 164 व. 241) का तादाद के बारे में फैसला:-

इमाम बाग़वी रह. ने अपनी किताब शरह सुन्नह स. 123 जि. 4 में साफ लिख दिया है कि "इमाम अहमद रह. ने कोई फैसला तरावीह के बारे मे नहीं किया।"

उन्हें फेसला करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पढ़ी थी। क्योंकि रात की नमाज़ के बारे में खुद हदीस का फैसला ग्यारह रकआत का इब्ने अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हु से उन्होंने अपनी किताब मुस[illegible] में रिवायत किया है।

इमाम अबु हनीफा रह. (पे. 80 हि. व. 150 हि.) का फैसला तरावीह की तादाद के बारे में:-

आपके नज़दीक भी तरावीह सिर्फ 8 रकआत है। इमाम मुहम्मद रह. ने अपनी मुअत्ता (हदीस न. 241 बाब न. 71 बाब की ह.न. 2 स. 123) पर रमज़ान के क़याम का बाब बान्धा है और उसमें यही आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा की हदीस लाए हैं और लिखा हैं कि "हम क़याम रमज़ान इन हदीसों से लेते हैं।" (स. 139) इस बाब में 20 रकआत का पता भी नहीं है। सिर्फ ग्यारह रकआत का बयान है, इमाम मुहम्मद रह. इमाम अबु हनीफा रह. के तर्जुमान माने जाते हैं। यक़ीनन लायक़े शार्गिद ने अपने उस्ताद का मज़हब बयान किया है जो सिर्फ 8 रकआत

है।

इमाम तहावी हनफी रह. ने शरह मआनी उल आसार पर बयान किया है कि 8 रकआत एक ही सलाम से पढ़ सकते हैं और 8 रकआत से कुछ भी ज़्यादा करना इमाम अबु हनीफा रह. के नज़दीक मकरूह है।"(जि. 2 स. 334, नया नुस्खा जि. 2 स. 232)

आपका चारो इमामों का दावा भी झूठा निकला अब क्या करोगे? कहां जाओगे? क्या बोलोगे? चुप हो गए आवाज़ घुट गई।

शर्म मगर तुम्हें आती नहीं।

इमाम बुखारी रहि. पर झूठ

आपने लिखा "और इमाम बुखारी रह. वगैरह हज़रात 20 रकआत पढ़ते थे" इस झूठ को लिखने से पहले सोच तो लिया होता कि इमाम बुखारी की किताब हर जगह मौजूद है ऊर्दू, हिन्दी और अग्रेंज़ी में लोग उसको पढ़ेंगे तो उसमें उन्हें एक भी हदीस नहीं मिलेगी 20 रकआत के बारे तब आपके इल्म के बारे मे क्या कहेंगे?

आओ मैं बताता हूं कि इमाम बुखारी रह. का फैसला क्या है तादाद रकअते तरावीह के बारे में।

इमाम बुखारी रह. ने बाब बान्धा है "बाब क़ियामे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिललैल फी रमज़ान व गैरिहि" यानी नब्री सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में रात का क़याम। (स. 679 जि. 1)

और हदीस पेश करते हैं

अबुसलमा बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत है, उन्होंने आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा से सवाल किया कि "रमज़ान" में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ कैसे हुआ करती थी? उन्होंने फरमाया कि "रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान या गैर रमज़ान में ग्यारह रकआत से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। पहले चार रकआत पढ़ते, उनकी तवालत और खूबी के मुतअल्लिक़ न पूछो। फिर चार रकआत पढ़ते, उनकी खूबी व तवालत के मुतअल्लिक़ भी सवाल न करो। उसके बाद तीन रकआत वित्र पढ़ते थे।" आयशा रज़िअल्लाहु अन्ह ने फरमाया मैंने आपसे दरयाफ्त किया "अल्लाह के रसूल! क्या आप वित्र पढ़ने से पहले सो जाते हैं?" आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया "आयशा! मेरी

आंखें तो सो जाती है मगर मेरा दिल बेदार रहता है।" (सही बुखारी जि. 1 स. 679 ह. 1147)

इमाम बुखारी रह. अपनी किताब बुखारी में किताब का नाम लिखते "किताबु सलातित्तरावीह" यानी "नमाज़ तरावीह से मुतअल्लिक़ अहकाम व मसाईल"

इसमें बाब बान्धते है "बाब फज़्लि मन क़ाम रमज़ान" यानी "उस शख्स की फज़ीलत जो रमज़ान में रात के वक़्त क़याम करे।" (सही बुखारी जि. 2 स. 446)

इसमें हदीस लाते है :-

अबुसलमा बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत है, उन्होंने आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा से सवाल किया कि "रमज़ान" में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ कैसे हुआ करती थी? उन्होंने फरमाया कि "रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान या गैर रमज़ान में ग्यारह रकआत से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। पहले चार रकआत पढ़ते, उनकी खूबसूरती और तवील होने के मुतअल्लिक़ मत सवाल करो। फिर चार रकआत अदा करते, उनकी भी खूबूसरत और लम्बी होने के बारे में मत पूछो। फिर तीन रकआत (वित्र) पढ़ते थे।" आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा ने फरमाया मैंने आपसे दरयाफ्त किया "अल्लाह के रसूल! क्या आप वित्र पढ़ने से पहले सो जाते हैं?" आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया "आयशा! मेरी आंखें तो सो जाती है अलबत्ता मेरा दिल बेदार रहता है।" (सही बुखारी जि. 2, स. 448, ह. 2013)

मौलाना सा. पूरी बुखारी में एक भी हदीस 20 रकआत तरावीह के बारे मे नहीं बता सकते फिर इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे है? क्या क़सम खा ली है कि जन्नत नहीं चाहिए।

और आप लोग जो अपनी अवाम को सही बुखारी पर अमल करने से रोकते हो यह कह कर कि इमाम बुखारी रह. शाफई मस्लक के थे। तो फिर उनका नाम लेकर 20 रकआत का झूठ क्यों?

आपको बतला दूं कि आपके मोतबर आलीम अनवर शाह काश्मिरी रह. ने इमाम बुखारी रह. को मुकल्लिद नहीं माना हैं। अनवर शाह काश्मिरी रह. इमाम बुखारी के मस्लक की वज़ाहत करते हुए लिखते है "मेरे नज़दीक हक़ बात यह है

कि इमाम बुखारी रह. ने अपनी सही में किसी मस्लक की तक़लीद नहीं की बल्कि इज्तिहाद का रास्ता इख्तियार किया है, उनकी फहम व बसीरत ने जो फैसला किया, उन्होंने उसको आज़ादी के साथ अपनाया।" (फेजुल वारी शरह सही बुखारी 1/335 बहवाला सही बुखारी जि. 1 स. 61)

और वह शाफई मस्लक को नहीं मानते थे इसकी एक मिसाल में आपको उनकी बुखारी से दे दूं तो अच्छा होगा।

शाफई मस्लक के नज़दीक जुमा की अदायगी के लिए कम अज़ कम चालीस आदमियों का होना ज़रूरी है। इमाम बुखारी ने उनकी तरदीद करते हुए यूं बाव बान्धा "बाबुनः इज़ा नफरन नासु अनिल इमामि फी सलातिल जुमुअ़ति फसलतुल इमामि व मन बक़ीय जाईज़" यानी "अगर नमाज़ जुमा में कुछ लोग इमाम को छोड़ कर चले जाए तो इमाम और बाक़ी मानिन्द नमाज़ियों की नमाज़ सही होगी।" (सही बुखारी जि. 1 स. 572, बाव नं. 38)

इसमें इस हदीस को ले कर आऐ है :-

जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि "हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह नमाज़ पढ़ रहे थे कि अचानक एक तिजारती क़ाफिलः आया जिनके साथ ऊंटों पर गल्ला लदा हुआ था। लोग उस क़ाफिले की तरफ दोड़ पड़े हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह सिर्फ बारह आदमी रह गए।" (सही बुखारी जि. 1, स. 572, हदीस नं. 936)

अपने मस्लक को साबित करने के लिए किसी अहले हदीस को मुक़ल्लिद सिर्फ देवबन्दी हनफी मुक़ल्लिद ही लिख सकता है। आप लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी बहुत बड़ा आपका जिगरा है।

आपने लिखा है "आज तक उम्मत में यह सुन्नत जिन्दा है, पूरे आलम में 20 रकआत तरावीह पढ़ी जा रही है।" पूरे आलम की बात तो छोड़ो आपके अपने मौतबर हनफी आलीम 20 रकआत तरावीह को सुन्नत नहीं मान रहे है यक़ीन नही आ रहा है मैं आपकी दलील देता हूं। गौर से पढ़े और तौबा करें।

औलमा ए अहनाफ के नज़दीक तरावीह की रकआत की तदाद

(01) अल्लामा ऐनी हनफी ने उम्दतुल क़ारी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाअत से नमाज़े तरावीह पढ़ने से तअल्लुक़ रखने वाली हदीस की शरह में लिखते है "अगर आप कहें कि इन रिवायत में इस बात की वज़ाहत तो नहीं आई कि उन रातों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमाअत नमाज़े तरावीह की कितनी रकअतें पढ़ाई थी? तो मैं कहूंगा की सही इब्ने खुजेमा व इब्ने हिब्बान में जाबिर रज़िअल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रमज़ान में 8 रकअतें पढ़ाई और फिर वित्र पढ़ाई।"(उम्दतुल क़ारी शरह सही बुखारी 4/7/177)

यही हदीस अल्लामा ज़ैलइ हनफी ने नसबुर्राया में नक़ल की है। और बीस रकअतों वाली हदीस को ज़ईफ क़रार देने के साथ साथ ही उन्होंने आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा वाली हदीस भी ज़िक्र की जिसमें साल भर की "सलातुल लैल" ग्यारह रकअतें ज़िक्र हुई हैं। (नसबुर्राया 2/152-153)

(02) इमाम अबु हनीफा रह. के शागिर्दि खास इमाम मुहम्मद ने अपनी किताब मूअत्ता में उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा से मरवी ग्यारह रकअत वाली हदीस नक़ल करने के बाद लिखा है "हम इसी सब को लेते हैं।"(मूअत्ता इमाम मुहम्मद स. 93, दूसरे नुस्खे में 138-139)

इमाम मुहम्मद ने ग्यारह रकअत वाली हदीस पर यह बाब क़ायम किया है :-

"माहे रमज़ान में क़यामुल लैल का बयान।"(मूअत्ता इमाम मुहम्मद स. 138).

(03) मौलाना अब्दुल हई रह. ने इमाम मुहम्मद के इस बाब पर लिखा है "तरावीह को ही क़यामे माहे रमज़ान भी कहा जाता है।"(तअलीक़ मुमजद अला मूअता इमाम मुहम्मद स. 138)

(04) इमाम इब्नुल हमाम ने फतहुल क़दीर शरह हिदाया में अददे तरावीह से तअल्लुक़ रखने वाली हदीसों को ज़िक्र करने के बाद लिखा है "इस सारी तफ्सील से मालूम हो गया कि क़यामे रमज़ान की मस्नून तअदाद ग्यारह रकअतें मअ वित्र है बाजमाअत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही

किया।" (फतहुल कदीर शरह हिदाया जि. 1, स. 334)

(05) मौलाना अब्दुल हई लखनवी रह. ने मूअत्ता इमाम मुहम्मद के हाशिये "तअलीक मुमजद में लिखते हैं कि इब्ने हिब्बान ने अपनी सही में जाबिर रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत बयान की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़िअल्लाहु अन्हु को वित्र के साथ आठ रकअतें पढ़ाई थी। यह हदीस बिल्कुल सही है।" (तअलीक मुमजद अला मूअत्ता इमाम मुहम्मद स. 93 बाज़ तबआत स. 138) .

(06) अपनी किताब "तुहफतुल अखियार" में उन्होंने लिखा है कि उनसे पूछा गया कि जिन रातों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमाअत कराई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी रकअतें पढ़ाई थी? इसका जवाब यह है कि उनकी तादाद आठ रकअतें थी जैसा कि जाबिर रज़िअल्लाहु अन्हु की हदीस से पता चलता है।"(तोहफतुल अखियार स. 38)

(07) अपनी एक तीसरी किताब उम्दतुर्ररिआया में भी रकअतों की तादाद आठ और तीन वित्र ज़िक्र की है और इब्ने हिब्बान की हदीस से जाबिर रज़िअल्लाहु अन्हु का हवाला दिया है।" (उम्दतुररिआया हाशिया शरह विकाया 1/207)

(08) हिदाया में अपने हाशिये में लिखा है कि 1286 हि. में मुझसे पूछा गया कि जिस ने आठ रकअतें तरावीह पढ़ी जिनका तज़किरा सही इब्ने हिब्बान में है और तीन रकअते वित्र अदा कीं, तो क्या वह तरिकए सुन्नत होगा? तो उसका मैंने जो जवाब दिया उसका खुलासा यह है कि तमाम उलमा ए उसूल सिर्फ उस अमल को "सुन्नत" कहते हैं जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमैशगी की, सुन्नत की तअरीफ की रू से नमाज़े तरावीह की सुन्नत तादाद सिर्फ वही (8 रकअते) होगी जिसका ज़िक्र हुआ है। (हाशिया हिदाया 1/151)

(09) शरह मआनी उल आसार में उमर फारूक रज़िअल्लाहु अन्हु के ऊबई बिन कअब और तमीम दारी रज़िअल्लाहु अन्हु को ग्यारह रकअतें पढ़ाने का हुक्म देने वाली साईब बिन यज़ीद रह. से मरवी हदीस और रिवायत मूअत्ता इमाम मालिक रह. में भी मौजूद है, उससे साबित होता है कि सहाबा किराम रज़िअल्लाहु अन्हुम अहदे नबूव्वत में आठ रकअतें पढ़ते थे और खलीफा सानी उमर फारूक रज़िअल्लाहु अन्हु की सुन्नत भी वित्र समेत ग्यारह रकअतें ही है। (शरह मानी

उल आसार ताहवी)

(10) मुल्ला अली क़ारी मिरक़ात शरह मिश्कात में लिखते हैं कि इसमें शक नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को आठ रकआत नमाज़े तरावीह अलावा वित्र पढ़ाई थी। (मिरक़ात 2/175, बाज़ में 172)

(11) मौलाना मुहम्मद ज़करिया कान्धलवी मूअत्ता इमाम मालिक की शरह अवजुजुल मसालिक में लिखते हैं कि यक़ीनन मुहद्दिसीन के उसूल के मुताबिक़ बीस रकआत तरावीह की तादाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम से साबित नहीं है। (अवजुजुल मसालिक 1/390)

(12) मौलाना अनवर शाह काश्मिरी ने तक़रीर तिर्मिज़ी में लिखा है कि इस बात को तस्लीम किए बगैर कोई चारा नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आठ रकआते तरावीह पढ़ी है। (अलउरफ़ूश शुज्ज़ी स. 309 बाज़ में 329)

एक जगह मौसूफ लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद के साथ आठ रकअत तरावीह ही साबित हैं और बीस रकअतों वाली हदीस ज़ईफ है और उसके जुअफ पर तमाम मुहद्दिसीने किराम का इत्तेफाक़ है। (अलउरफ़ूश शुज्ज़ी स. 309)

(13) अपनी किताब "फैजुल बारी शरह सही बुखारी" में लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी मरफू हदीस में तेरह रकअतों से ज़्यादा नमाज़े तरावीह साबित नहीं है।" (फैजुल बारी 1/420)

(14) जबकि अपनी किताब "कशफुल सतर" में लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़िअल्लाहु अन्हुम को माहे रमज़ान में ग्यारह रकआत तरावीह मय तीन वित्र की जमाअत करवाई थी जैसाकि इब्ने खुजैमा व इब्ने हिब्बान ने अपनी सही में और मुहम्मद बिन नसर मरवुज़ी ने क़यामुल लैल में जाबिर रज़िअल्लाहु अन्हु की रिवायत बयान की है। (कशफुल सतर स. 27)

(15) बानी दारूल उलूम देवबन्द मौलाना मुहम्मद क़ासिम नानोतवी अपनी किताब ताइफे क़ासमिया मक्तूब सोम में लिखते हैं "नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ग्यारह रकअतें मअ वित्र हैं वह बीस से ज़्यादा मोतबर हैं।" (ताइफे क़ासमिया मक्तूब सोम)

(16) फतह सर्रिल मन्नान फी ताईद मज़हबुल नोमान में लिखते है कि जैसा

आज कल बीस रकआत तरावीह को सुन्नत बताया जा रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़मानाए मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बमुताबिक आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा की हदीस पर अमल रहा जैसा कि बुखारी शरीफ में मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में ग्यारह रकआत (मअ वित्र) से ज़्यादा नमाज़े तरावीह नहीं पढ़ी और आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाल से खूब वाक़िफ थी।" (फतह सर्रिल मन्नान फी ताईद मज़हबुल नोमान स. 327)

क्या कहते हो जिस मदरसे के अलमबरदार बने फिरते हो जिस नजरिये के अलमबरदार बने फिरते हो उसके बानी ही नहीं मान रहे 20 रकआत तरावीह को सुन्नत। अब कहां जाओगे कहां मुहं छुपाओगे। और कितना झूठ बोलोगे?

या यह कहोगे कि यह भी अग्रेंज के ऐजंन्ट बन गए थे?

(17) अल्लामा इब्ने नजीम लिखते हैं "हमारे मशाईख के उसूल के मुताबिक़ आठ रकअते तरावीह सुन्नत है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मअ वित्र ग्यारह रकअते तरावीह ही साबित हैं जैसाकि बुखारी व मुस्लिम में आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा वाली हदीस से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान व गैर रमज़ान में ग्यारह रकआत से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे।" (बहरूर्राईक़ 2/72 दूसरे छापे में 2/66)

(18) अल्लामा तहावी लिखते हैं "नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीस तरावीह नहीं पढ़ीं बल्कि आठ रकअतें पढ़ी हैं।"(हाशिया दुर्रे मुख्तार 1/295)

(19) अल्लामा अहमद हमवी लिखते हैं "बिलाशुब्ह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीस रकअतें नहीं बल्कि आठ रकआते तरावीह पढ़ी हैं।" (हाशियतुल अशबाह स. 9)

(20) अबूल सऊद की शरह कन्जुंल दक़ाईक़ में लिखा है "नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावीह बीस रकआत नहीं पढ़ी बल्कि आठ रकअतें पढ़ी हैं।" (शरह कन्ज़ स. 265)

(21) मौलाना मुहम्मद हुसैन नानोतवी ने लिखा हैं "नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावीह की बीस रकअतें नहीं बल्कि सिर्फ आठ रकआत पढ़ी हैं।" (हाशिया कन्ज़ स. 36)

(22) अल्लामा शामी फरमाते हैं "दलील के लिहाज़ से सिर्फ आठ तरावीह ही सुन्नत है और बाकी रकअतें सिर्फ मुस्तहब हैं।" (फतावा शामी 1/495)

(23) शैख अब्दुल हक् देहलवी लिखते हैं "सही यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माहे रमज़ान में ग्यारह रकआत (तराव्रीह) ही पढ़ी हैं जैसाकि कयामुललैल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदते मुबारक थी।" (मासबत सुन्नह स. 292)

(24) अपनी दूसरी किताब में तहरीर करते हैं "तह्कीक् और सही यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहे रमज़ान में ग्यारह रकआत (तरावीह) ही पढ़ा करते थे जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में हमेशा पढ़ा करते थे जैसा कि मारूफ है।" (मदारिजुल नबविह 1/465)

(25) एक और किताब में लिखा है "नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वित्र समेत ग्यारह रकआत तरावीह से ज़्यादा नहीं पढ़ीं, न रमज़ान में और न गैर रमज़ान में।" (नफहाते रशीद बहवाला मसकुल खताम 1/289)

(26) मौलाना अहमद अली सहारनपूरी ने लिखा है "क्यामे रमज़ान (तरावीह) ग्यारह रकअते मअ वित्र सुन्नत है, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमाअत अदा किया है।" (हाशिया बुखारी शरीफ 1/145)

(27) एक और किताब में लिखा है "सही हदीस की रू से वित्र समेत नमाज़े तरावीह की सिर्फ ग्यारह रकअतें ही साबित हैं।"(ऐनुल हिदाया स. 562)

(28) अबुल हसन रह. ने लिखा है "यह बात साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमाअत ग्यारह रकअतें तरावीह मअ वित्र पढ़ाई थी।" (मरक़ियुल फलाह स. 348)

और अपने फतावा में लिखते हैं "नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ग्यारह रकअतें मअ वित्र बाजमाअत पढ़ाई हैं और बीस रकअतें वाली रिवायत ज़ईफ है।"

(29) शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रह. ने मूअत्ता की फारसी शरह में लिखा है "रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से (तरावीह की) ग्यारह रकअतें एक साबित शुदा हक़ीकत है।" (मुसफ्फा शरह मूअता फारसी 1/177)

एक अक्लमंद के लिए यही हवाले काफी है कि उसके खुद के मस्लक के आलीमों ने उसकी बात की तरदीद कर दी। इसके बाद भी अगर यह गुमान है कि तरावीह 20 रकआत है तो हम क्या कर सकते हैं। एक आदमी अगर दिन में आंखें बन्द करके कहे कि रात है और आंख खोलने को तैयार नहीं तो क्या कोई भी उसे दिन मनवा सकता है? यही हाल आपके गिरोह का हो रहा है।

मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा के अमल की मुखालफत

आपने लिखा ''मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, में आज भी 20 रकआत हो रही हैं। इससे बड़ी दलील और क्या चाहिऐ'' हमें तो कोई दलील नहीं चाहिए लेकिन क्या तुम खुद इतने ईमानदार हो कि मक्का मुकर्रमा व मदीना मुनव्वरा के अमल को अपने लिए दलील मान कर उस पर अमल करो। एक कहावत है कि चूहे को चिन्दी मिल गई तो वह बजाज़खाना खोल कर बैठ गया। एक अमल क्या मिल गया ऐसे हो गए जैसे कोई अनोखा तीर मार लिया हो। आओ मैं बताता हूं कि कितने अमल ऐसे है मक्का मदीना के जिन पर तुम अमल नहीं करते हो और लोगों को अमल करने से रोकते हो।

दिल थाम कर बैठ जाओ और आहें भरो कि यह क्या हो गया? हमने क्या सोचा था हमें क्या मिल रहा है?

1) मक्का मदीना में नमाज़ अव्वल वक़्त पर अदा की जाती है। तुम लोग नहीं करते हो।

2) मक्का मदीना में नमाज़े मग़्रिब से पहले दो रकआत नफ्ल नमाज़ अदा की जाती है। तुम लोग न तो खुद ही अदा करते हो न ही दुसरों को अदा करने का टाईम देते हो।

3) मक्का मदीना में अज़ान के कलिमात दो दो बार और तकबीर के कलिमात एक एक बार कहे जाते है। तुम्हारे यहां अज़ान और तकबीर के कलिमात एक जैसे होते है।

4) मक्का मदीना मे सीने पर हाथ बांधा जाता है। तुम्हारे यहां नाफ के नीचे।

5) मक्का मदीना में मुक़तदी जहरी नमाज़ों मे भी इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते है। तुम्हारे यहाँ सिर्री नमाज़ में तक नहीं पढ़ते।

6) मक्का मदीना में आमीन बुलन्द आवाज़ से कही जाती है। तुम लोग मना करते हो।

7) मक्का मदीना में रूकू को जाते और उठते वक़्त और दो रकआत पढ़ कर तीसरी रकआत के लिए उठते वक़्त रफायदैन किया जाता है। तुम नहीं करते और करने वाले को रोकते है।

8) मक्का मदीना में औरतों को आम मस्जिदों में नमाज़ बाजमाअत से अदा करने के लिए आने की इजाज़त है। तुम्हारे यहां मना है और जहां आती वहां की तुम हंसी उड़ाते हो और रोकने की कोशिश करते हो।

9) मक्का मदीना में औरतें ईद व बकरईद की नमाज़ जमाअत के साथ अदा करती है। तुम्हारे यहां नमाज़ के बाद घुमने के लिए जाती है ईदगाह में।

10) मक्का मदीना में ईदैन की नमाज़ों में बारह ज़ाईद तकबीरों का एहतमाम होता है। तुम्हारे यहां सिर्फ 6 तकबीरे होती है।

11) मक्का मदीना में नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में अदा की जाती है। तुम्हारे यहां नहीं।

12) मक्का मदीना में नमाज़े जनाज़ा में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। तुम लोग नहीं पढ़ते।

13) मक्का मदीना में रोज़े की नीयत ज़बान से नहीं कही जाती। तुम्हारे वहां जन्त्री पर लिखी जाती हैं और कई मस्जिदों से ऐलान होता है।

14) मक्का मदीना में अज़ान से पहले सलात व सलाम नहीं पढ़ा जाता। तुम्हारे ही अपने पढ़ते है।

15) मक्का मदीना में नमाज़ से पहले ज़बान से नीयत नहीं कही जाती। तुम लोग कहते हो और सिखाते हो।

16) मक्का मदीना में फर्ज़ नमाज़ों के बाद इज्तिमाई दुआ नहीं होती है। तुम लोग करते हो।

17) मक्का मदीना में नमाज़ ईद से पहले तकरीर या खुत्बा नहीं होता। तुम्हारे यहां होता है।

18) मक्का मदीना में नमाज़े जनाज़ा में सना नहीं पढ़ी जाती। तुम लोग पढ़ते हो।

19) मक्का मदीना में नमाज़े वित्र की आखरी रकआत में किराअत के बाद

रफायदैन नहीं किया जाता। तुम लोग करते हेा।

20) मक्का मदीना में तीन रकआत वित्र के दरम्यान में क़ाअदा नहीं किया जाता। तुम लोग करते हो।

21) मक्का मदीना में जुमे की फजर की फर्ज नमाज़ की पहली रकआत में सज्दा तिलावत किया जाता है। तुम लोग नहीं करते।

22) मक्का मदीना में कुर्बानी चार दिन होती है तुम लोग नहीं करते, और करने वालों को रोकते हो।

यह 22 अमल बतौर नमूने के दिए है। अगर और चाहिए तो और भी अमल पेश कर दूंगा। इन्शाअल्लाह।

और कितनी बड़ी बड़ी दलीले चाहिए बिल्कुल सच लिखा आपने "ये हैं के अल्लाह जिसको हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता।"

अगर एक अमल पर अहले हदीस का अमल नहीं तो वह गुमराह है तुम्हारे उसूल से, तो तुम खुद तुम्हारे उसूल की रोशनी में 22 गुना गुमराह हो। पहले अपनी गुमराही दूर करो। फिर हमसे बात करने की सोचना।

अगर बीस रकआत तरावीह पर मक्का मदीना का अमल अहनाफ के यहां दलील है तो मक्का मदीना के बाकी अमलों को भी कुबूल करना चाहिए इसे सिर्फ बीस रकआत तरावीह तक ही क्यों महदूद कर दिया गया? बाकी मसअलों में उसको दलील क्यों नहीं बनाया ज़ाता? कहीं यह बाज़ पर ईमान लाना और बाज़ का इन्कार वाला मामला तो नहीं। और अगर अहनाफ उसको अहले हदीस पर दलील बनाकर पेश करते हैं तो उनको यह जान लेना चाहिए कि अहले हदीस के यहां भी दलाईल सिर्फ वही है जो सल्फ सालिहीन के यहां थी।

आपने लिखा है "फतवा इब्ने तेमिया रह. शैखुल इस्लाम इब्ने तेमिया रह. फरमांते हैं जिसने खुलफाऐ राशेदीन की सुन्नत को थामा उसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की (फतवा इब्ने तेमिया जि.नं. 4,स.नं.209)।"

इससे अहले हदीस को कभी भी इन्कार नहीं रहा, हाँ मुक़ल्लिद को रहा है इसकी चन्द मिसाले मैं पहले पेश कर चुका हूं। इन्शा अल्लाह आगे भी पेश करूंगा अभी तो सिर्फ एक हवाला कि तुम खुलफाए राशेदीन और जुमला सहाबा रज़िअल्लाहु अन्हु के अमल को नहीं मानते हो।

दिल थाम लो तुम्हारी मक्कारी का पर्दा चाक हो रहा है, बहुत झूठ बोल बोल कर और अय्यारी मक्कारी कर करके अवाम को गुमराह कर लिया इन्शाअल्लाह बहुत जल्द ही लोगों को मालूम पड़ेगा कि कौन गुमराह कर रहा है और कौन हिदायत की तरफ बुला रहा है।

गौर से पढ़ो तुम्हारे अपने घर का हवाला है तुम्हारा अपना आलीम।

साहबी की समझ मुकल्लिद के नज़दीक दलील नहीं

शिबली नोमानी साहब के बारे में सरफराज़ सफदर ने लिखा है "मशहूर मुवर्रिखे इस्लाम और हनफी आलिम।" (अहसनुल कलाम जि. 1 स. 37)

इन्हीं शिबली नोमानी साहब ने लिखा है "सहाबी की समझ कोई दलील नहीं।" (सीरते नौमान 'कामिल' स.138)

लगाओ फतावा अगर वाक़ई ईमानदार हो तो यह तुम्हारा अपना ही आलिम है। अहले हदीस नहीं। मौलाना दूसरो को इल्जाम लगाने से पहले अपना दामन भी देख लेना चाहिए कि उसमें कितने दाग है।

हम खामोश है सिर्फ इसलिए यह वक्त नहीं है आपस में इख्तिलाफ करने का तो आपने यह सोच लिया कि अहले हदीस के पास दलील नहीं वह तुम्हारी तरह बेदलील अमल कर रहा है मौलाना अपनी सोच बदलो आप जिस मक़ाम पर हो उसका कुछ लिहाज़ करो उम्मत को एक करो आपस में फुट मत डलवाओ। तुम्हारे ही आलिम तकी उस्मानी ने तक़लीद की शरई हैसियत में लिखा है उन मसअलों के बारे में लिखा जिन मसअलो को लेकर तुम अहले हदीस के खिलाफ ज़बान दराजी करते हो कि "यह मसअले फुरूई है इनका नासिख मन्सूख का मामला नहीं अफजलियत और गैर अफजलियत का मामला है।" अपनी इन हरकतो से बाज़ आओ हमारे पास भी दलीलें मौजूद है। तुम जितना दोगे इन्शाअल्लाह उससे ज़्यादा हम दे सकते है। लैकिन इससे फायदा क्या है जरा अवाम को बतलाना, मगर कुछ बोलने से पहले यह सोच लेना जिन अमल के बारे में भी तुम बोलोगे उन पर तुम्हारे बड़े ओलमा कह चुके है यह मन्सूख नहीं है।

झूठ बोल कर बातिल इल्ज़ाम लगा कर अपनी आखिरत क्यों बरबाद कर रहे हो? क्या मिलेगा तुम्हें अल्लाह के यहां?

आपने लिखा है "हज़रत उमर रज़िअल्लाहु अन्हु के 20 रकआत तरावीह के

फैसले को तमाम सहाबा किराम और मुहाजिरीन और अंसार के इज्तिमाई तौर पर क़ुबूल कर लेने के बाद 20 ही रकआत तरावीह असल सुन्नत है''

तमाम सहाबा के बारे में एक हदीस तो पेश कर दें सही सनद से। यह तुम कभी नहीं कर सकते क्योंकि एक भी हदीस नहीं सही सनद के साथ 20 रकआत तरावीह की जैसा कि में हनफी औलमाओं के 29 हवाले पेश कर चुका हुं चार सफे पहले पढ़ ले। उसमें से एक दलील दुबारा पेश कर रहा हूँ पढ़े आपके आलीम 20 रकआत को सुन्नत कहना आज कल की बात कह रहे है।

फतह सर्रिल मन्नान फी ताईद मज़हबुल नोमान में लिखते है कि ''जैसा आज कल बीस रकआते तरावीह को सुन्नत बताया जा रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बमोजूब आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा की हदीस पर अमल रहा जैसा कि बुखारी शरीफ में मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में ग्यारह रकआत (मअ वित्र) से ज़्यादा नमाज़े तरावीह नहीं पढ़ी और आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाल से खूब वाक़िफ थी।'' (फतह सर्रिल मन्नान फी ताईद मज़हबुल नोमान स. 327)

इज्मा क्या है और उसकी शर्त क्या है

इज्मा की बहुत बाते करते हो कभी अवाम को यह बतला देते कि उसूले फिक्हा में इज्मा कहते किसे है। आपको तो शायद अहले हदीस के खिलाफ झूठ बोलने से फुरसत नहीं मिलेगी। मैं ही बतला देता हूं कि इज्मा किसे कहते है?

1) ''यह कि किसी ज़माने में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के तमाम मुज़तहिदीन का किसी शरई मसअले पर मुत्तफिक़ हो जाना इज़्मा कहलाता है।'' (फतहुल बारी जि. 1 स.245, तौज़ीह तलवीह स. 513)

इसी तरह की बात मुसल्लिमुस सुबूत स. 214 और दीगर उसूल की किताबों में लिखी गई है।

2) शैख अबूज़ुहरा लिखते हैं ''किसी ज़माने में उम्मते इस्लामियां के मुजतहिदीन का किसी शरई हुक्म पर जमा होना इज्मा कहलाता है।'' (हयात इमाम अबू हनीफा स. 422)

इज्मा के कयाम के लिए दूसरी बात यह कि अगर एक मुजतहिद भी बकिया मुजतहिदीन के मुखालिफ हो तो इज्मा मुनअकीद नहीं होता।

हाफिज़ इब्ने हजर रहि. लिखते है कि "अगर किसी मसअले में तमाम सहाबा मुत्तफिक हों और अकेले इब्ने अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हु मुखालिफ हो तो इज्मा नहीं माना जाएगा।" (फतहुलबारी जि. 13 स.257)

इमांम अबू इस्हाक इब्राहीम बिन अली फिरोज़ाबादी (वफात 476 हि.) लिखते है "अगर तमाम सहाबा किसी मसअले में एक बात कहे मगर उसके खिलाफ सिर्फ एक या दो साहबी दूसरी बात कहे तो इज्मा नहीं होगा।" (तबसीरा फी उसूलिल फिक्ह स. 361)

अलमुस्तसफा मअ वफातिहुर रहमूत में है कि "(अगर किसी मसअले में) उम्मत के एक या दो अहले इल्म इख्तिलाफ करे तब भी इज्मा नहीं माना जाएगा।" (जि. 1 स. 202)

इरशादुल फुहूल में है "अगर आम इज्मा करने वालों में सिर्फ एक मुजतहिद ने भी इख्तिलाफ कर रखा हो तो जमहूर अहले इल्म का मज़हब यह है कि इस सूरत में न तो इज्मा होगा और न हुज्जत होगी।" (इरशादुल फुहूल स. 88, हुसूलूल मालूल मिन [illegible]लमिल उसूल स. 72, छापा जामिया सलफिया बनारस 1972 ई.)

[illegible] तरह मनार मअ नूरूल अनवार में है "इज्मा के लिए तमाम का इत्तिफाक शर्त है कि एक का इख्तिलाफ भी इज्मा के नाफिज़ होने में इसी तरह रूकावट बनेगा जिस तरह अक्सर का इख्तिलाफ रूकावट है इसलिए अगर इज्मा के वक्त एक भी मुखालिफ होगा तो इज्मा नाफिज़ नहीं होगा। क्योंकि उम्मत के लफ्ज़ हदीस में पूरी उम्मत शामिल है जैसाकि हदीस मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी। पस हो सकता है कि सवाब (हक बात) मुखालिफ की जानिब हो (और अक्सर गलती पर हो)।" (मनार मअ नूरूल अनवार स. 221 बहस इज्मा)

इसी तरह नूरूल हिदाया उर्दु तर्जुमा शरह वकाया में है कि "उसूले फिक्ह में यह है कि खिलाफ एक शख्स का भी माने इनअकादे इज्मा है, और इज्मा नहीं होता मगर सबके इत्तिफाक से।"(नूरूल हिदाया उर्दू तर्जुमा शरह वकाया जि. 3 स. 59)

इस पूरी बहस का खुलासा यह है कि इज्मा के लिए दो चीज़ें जरूरी हैः-

1) किसी शरई मसअले में तमाम मुजतहिदीन का इत्तेफाक हो।

2) अगर एक या दो ही उसमें इख़्तिलाफ करे तो इज्मा नहीं माना जाएगा।

अब इज्मा का मतलब जान लेने के बाद यह बात बिल्कुल साफ तौर पर समझ में आती है कि किसी भी इख़्तिलाफी मसअले पर इज्मा का दावा बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रह. फरमाते है "जिस बात में इज्मा का दावा किया जाए वह झूठ है, और जो शख़्स इज्मा का दावा करे वह झूठा है।" (अलमुहल्ला इब्ने हज़्म जि. 2 स. 242 शरह मुसल्लमुस सुबुत स. 494, एलामुल मुवक्किईन जि. 1 स. 11)

तुम्हारी ज़ईफ हदीसों के ज़ईफ इज्मा के खिलाफ एक सही रिवायत पेश है। पढ़ो और अपने खुद साख़्ता इज्मा का मातम मनाओ।

मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा (वफात 235 हि.) में है कि "बेशक उमर रज़िअल्लाहु अन्हु ने लोगों को उबई (बिन कअब) तमीम (दारी) रज़िअल्लाहु अन्हुम पर जमा किया, पस वह दोनों ग्यारह रकआत पढ़ाते थे।" (2/392 ह. 7670)

इस रिवायत की सनद बिल्कुल सही है और उसके सारे रावी सही बुखारी व सही मुस्लिम के हैं।

अल्लामा मुबारकपूरी रह. लिखते हैं कि "(इज्मा का) यह दावा बिल्कुल बातिल है, क्योंकि खुद अल्लामा ऐनी रह. ने उम्दतदुलक़ारी में कहा है कि अददे रकअते तरावीह के बारे में बकसरत अक़्वाल पाए जाते हैं और इमाम मालिक रह. ने कहा है कि वाक़या हिरा से पहले यानि तक़रीबन सौ और चन्द साल से ज़्यादा अर्से से लेकर आज तक मदीना मुनव्वरा में 38 रकआते तरावीह और 1 वित्र पर अमल होता रहा है, जबकि खुद अपने लिए इमाम दारूल हिज्र इमाम मालिक रह. ने 11 रकअतें इख़्तियार फरमाई। और मारूफ फिक़्ह असद बिन यज़ीद 40 रकआते तरावीह और 7 वित्र पढ़ा करते थे। और उनके अलावा बाक़ी अक़्वाल भी पेशे नज़र रखें जो अल्लामा ऐनी ने ज़िक्र किए हैं।

अब इन सब अक़्वाल को पेशे नज़र रख कर हमें कोई बताए कि बीस तरावीह पर इज्मा कहां हुआ? और तमाम शहरों में इस पर अमल बरक़रार कैसे रहा?" (तोहफतुल अहवज़ी 3/531,532)

शैख अलबानी रह. का नज़रिया:-

अल्लामा मुबारकपूरी के इस इज्मा को बिल्कुल बातिल क़रार देने का

तज़किरा क़रने के बाद शैख अलबानी लिखते हैं कि "इसकी मज़ीद ताईद इस बात से भी होती है कि अगर इज्मा का यह दावा सही होता तो मुताअख्खरीन फ़िक़्ह इसकी मुखालिफत न करते हालांकि तरावीह के बारे में 8 से कम और ज़्यादा दोनों किस्म के अक़्वाल पाए जाते हैं लिहाज़ा सिर्फ किसी किताब में इज्मा का ज़िक्र कर देने से इज्मा साबित नहीं हो जाता और फिर जब किसी ऐसे इज्मा की हकीकत मालूम करने के लिए जुस्तुजू की जाती है तो हम इस नतीजे पर पहुंचते है कि इज्मा के बारे में ऐसे अक्सर दावे गलत हैं मसलन बाज़ लोग 3 रकआत वित्र पर इज्मा का दावा करते हैं, हालांकि अक्सर सहाबा रज़िअल्लाहु अन्हु से 1 वित्र पढ़ना भी साबित है।" (नमाज़े तरावीह स. 179 उर्दू, स. 76 अरबी)

आपने लिखा है "अब इसका इन्कार करने वाला बक़ौल इब्ने तेमिया रेह. के गुमराह बिदअती बल्के काफिर है। इब्ने तेमिया फरमाते हैं फतवा नं. 202 गैर मुक़ल्लिदीन इस फतवे को सामने रख कर अपना अंजाम सोच लें।" हालांकि मुझे यक़ीन नहीं कि इब्ने तेमिया रह. सही हदीस के खिलाफ कोई फतावा देंगे है, और मैंने इमाम इब्ने तैमिया रह. का 8 रकआत तरावीह के बारे में फतावा भी दिया है और यह भी साबित कर दिया कि सुन्नत जमाअत को कहा है न की 20 रकआत को।

अभी फिलवक़्त मेरे पास इब्ने तेमिया रह. का फतावा मौजूद नहीं है उसको मंगवाया है इन्शाअल्लाह कभी मौक़ा मिला तो उससे सही इबारत पेश करूंगा अभी तो आपकी खिदमत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसें पेश कर रहा हूं। पढ़े और गौर करे।

अबूहुरैरा रज़िअल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया "मुसलमान सारे का सारा उसका माल, उसकी इज्ज़त और उसका खून दूसरे मुसलमान के लिए हराम है और आदमी के लिए इतनी बुराई ही काफी है कि वह अपने भाई को हक़ीर समझे।" (अबूदाऊद 4882, तिर्मिज़ी 1927)

अबुज़र रज़िअल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया "अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को फासिक़ या काफिर कहे और वह शख्स फासिक़ या काफिर न हो तो तोहमत का वह कलाम कहने

वाले पर लौट आता है।।"(बुखारी 6045)

अब अपनी खैर मनाओ बड़ी आसानी से लिख दिया काफिर व बिदअती अगर इब्ने तेमिया रह. का फतावा नहीं हुआ तो डबल गुनाहगार, नहीं तो सिंगल गुनाहगार तो बन ही गए। अपना अजांम सोच लो।

रोजा सही वक्त पर कौन अफ्तार करवाता है?

आपने लिखा है "रोजा वक़्त से 5 मिनट पहले अफ्तार करा के बर्बाद कर दिया" इस बात को पढ़ कर बड़ा तअज्जुब हुआ कि आपने यह क्या लिख दिया अगर एक बेवकूफ यहां बात लिखता तो कोई बात नहीं थी आपने लिखने के पहले क्या तहक़ीक़ की है कि हक़ीक़त क्या है, एक कम इल्म आदमी भी अपना रोजा 13, 14 घन्टे रखने के बाद सिर्फ 5 मिनट पहले नहीं अफ्तार करेगा। फिर आपने पूरी जमआत पर इल्जाम लगा दिया क्या अल्लाह का खौफ नहीं है या यह हदीस आपके सामने से नहीं गुजरी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया "आदमी के झूठा होने के लिए यही काफी है कि वह जो सुने उसे आगे बयान कर दे।" (मुस्लिम ह. न. 5 मुक़दमा, अबुदाऊद 4992, इब्ने अबी शैबा 8/595, इब्ने हिब्बान 30, हाकिम 1/381)

अगर गुजरी है तो फिर क्यों यह हरकत की है। यह वही बात हुई कि "उल्टा चोर कोतवाल को डाटें।" रोज़ा तुम लेट खुलवाते हो हदीसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत तुम करते हो और अपना गुनाह छुपाने के लिए इल्जाम हमें देते हो। तुम्हारे लोग जो जन्त्री बनवाते है रमज़ान के लिए उसमें कहीं 5 मिनट कहीं 10 मिनट बड़ा देते हैं। अगर वाकई सच्चे हो तो साल भर जिस जन्त्री से मग्रिब की आज़ान देते हो उससे ही रमज़ान में आज़ान दिलवाओ मालूम पड़ जाऐगा कि तुम कितने सच्चे हो।

रोज़ा तुम बर्बाद कर रहे हो लेट अफ्तार करवा कर और साथ ही रसूल की मुखालफत का गुनाह भी लाद रहे हो।

सहल बिन सईद रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया "लोग हमेशा खैरो बरकत और नेकी पर रहेंगे जब तक वह रोज़ा जल्दी इफ्तार करते रहेंगे।" (सही बुखारी जि. 2 स. 425 ह. नं. 1957, तिर्मिज़ी जि. 1 स. 417 ह. नं. 699)

इस हदीस पर इमाम बुखारी ने बाब बान्धा "बाबु तअ्जीलिल इफ्तार"

यानी "रोज़ा खोलने में जल्दी करना।"

इमाम तिर्मिज़ी ने बाब बान्धा है "बाबु मा जा अ फी तअ्जीलिल इफ्तार" यानी "जल्द रोज़ा खोलने का बयान"

अबू हुरैरा रज़िअल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया "दीन उस वक़्त तक़ गालिब रहेगा जब तक लोग अफ्तार करने में जल्दी करते रहेंगे क्योंकि यहूद व नसारा ताखीर से अफ्तार करते हैं।"(अबूदाऊद जि. 2 स. 707 ह. नं. 2353)

सहल बिन सईद से बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है "मेरी उम्मत मेरी सुन्नत पर बाक़ी रहेगी जब तक कि वह अपने अफ्तार में सितारों का इन्तिज़ार नहीं करती। सहल कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब रोज़ा होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को हुक्म देते, वह किसी (ऊंची) जगह से (ऊफक़ को) झांकता (और सूरज के गुरूब होन का मुशाहिदा करता रहता) पस जब वह कहता गुरूब हो गया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा खोल लेते।"(सही इब्ने खुजेमा जि. 2 स. 791 ह. नं. 2061)

अब आप एक दलील ही दे दे कुरआन व सही हदीस से कि कहां लिखा है कि रोज़ा सूरज गुरूब के 5 मिनट बाद अफ्तार करो या एहतयादी करो और 5 मिनट रूक जाओ। अल्लाह की क़सम तुम क़यामत तक दलील पेश नहीं कर सकते न तो कुरआन से न ही सही हदीस से।

तुम्हारे एक मुक़ल्लिद इमाम ने जन्त्री बनाई थी नमाज़ के वक़्तों की। रमज़ान में उसे अपने चाहने वालों को दे दो कुरआन व सुन्नत की इत्तेबा करने वालों की मस्जिद के पास रहते है और उनसे कहो कि वह चेक करे हम कब आज़ान देते है। 5 मिनट तो बहुत बड़ी बात है वह साबित कर दे कि 10 सेकेंड पहले आज़ान देते हैं और रोज़ा अफ्तार करवाते हैं, तो 25 हजार रू. ईनाम ले जाना।

और आपने जो लिखा उसको आपको लोटा रहा हूं "और 20 रकआत तरावीह का हवाला देकर 8 रकआत तरावीह की सुन्नत से मेहरूम कर दिया, पूरे रमज़ान की इबादत ख़त्म करा दी लेट रोज़ा अफ्तार करा कर।"

और आपने लिखा है कि "ये दो सुन्नतें अलग अलग हैं जिस पर पूरी उम्मत

हुज़ूर के दौर से अमल करती आ रही है" का जवाब यह हदीस है साईब बिन यज़ीद (सहाबी) रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत है "हम (सहाबा रज़िअल्लाहु अन्हु) उमर बिन खत्ताब रज़िअल्लाहु अन्हु के ज़माने में ग्यारह रकआत पढ़ते थे।" (सुनन सईद बिन मन्सूर बहवाला हावी लिल फतावा 1/349 व हाशिया आसार सुनन स. 250, दूसरा नुस्खा 201) इस तरह की कोई हदीस पेश करो जिसमें 20 रकआत तरावीह पर अमल कर ज़िक्र हो सही सनद के साथ पेश तो करो बस हवा में तीर मत चलाओ अल्लाह का खौफ खाओ एक दिन मरना है, उस दिन क्या जवाब दोगे।

आपने लिखा है "पूरे रमज़ान 20 रकआत तरावीह पढ़ना सुन्नत है" के बारे मे एक हदीस या असर साबित नहीं हुआ फिर भी झूठ पर झूठ, तुम्हारे इस अमल पर तबसरा अबुल हसन देवबन्दी की कलम से मुलाहिजा करें "लेकिन नास हो तअस्सुब का जिसको यह मर्ज़ लग जाता है उसकी अक़्ल पर परदा डाल कर सोचने की सलाहियत से महरूम कर देता है। वरना आप खुद ही बताएं झूठ कि जिस को बोलने वाले पर खुद अल्लाह तआला ने लअनत फरमाई है उसे कौन अपनी आदत बना सकता है। यह तो मौलाना का जिगरा है जो जान बूझ कर झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं गोया तअस्सुब की आग ने जहन्नम की आग की फिक्र ही खत्म कर डाली है।" (क़ाफिला....... जि. 3 सुमारा नं. 1 स. 18,19)

आपने लिखा है "और तरावीह में पूरा कुरआन सुन्ना यह अलग सुन्नत है" आपको कहां से गलत फहमी हो गई जब तक आपके लोग 20 रकआत पढ़ कर घरों में सोने की तैयारी करते है जब अहले हदीस की 8 रकआत तरावीह खत्म होती है। और तुम्हारी तरह 27 वीं शब को नहीं 29 वीं शब तक हमारी मस्जिदों में कुरआन पढ़ा जाता है। कुरआन तरतील व तजवीद के साथ पढ़ा जाता है तुम्हारी मस्जिदों की तरह आलामुना तालामुना नहीं किया जाता है कि लोग यह देखते है कहां पर 20 मिनट या 25 मिनट में तरावीह खत्म हो रही है।

इतनी बदगुमानी मत करो कहीं ऐसा नहीं की तअस्सुब की आग तुम्हें दोजख के किनारे ले जा कर खड़ा कर दे। आपको मालूम है बदगुमानी गुनाह होती है जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमाया है "ऐ ईमान वालों! बहुत सी बदगुमानियों से बचो, बिलाशुब्हा बाज़ बदगुमानियां गुनाह हैं।" (हुजरात 49/12)

क्यों गुनाह अपने सर ले रहे हो बदगुमानी करके हम रोज़ा वक़्त पर खोलते

है और कुरआन भी तरावीह में पूरा सुनते है, अलहम्दुलिल्लाह।

आपने लिखा है "इन दोनों सुन्नतों को आठ रकआत तरावीह का धोखा देकर उम्मत को दोनों सुन्नतों से मेहरूम कर दिया" आठ रकआत तरावीह ही सुन्नत है इसको मैंने कई दलील और हनफी आलिमों के क़ौल से साबित कर दिया है। धोखा तो तुम दे रहे हो कभी हदीस के नाम से कभी खुलफा के नाम से कभी इज्मा उम्मत के नाम से, और साबित कुछ नहीं कर सके चन्द ज़ईफ रिवायत पेश कर कर दी जिन पर खुद हनफी अकाबिर मुत्तफिक़ नहीं।

आपकी बात आपको लोटा रहा हूं हमने भी पढ़ी है ठन्डे दिल से आप भी पढ़े थोड़ा सा फेरबदल किया है "कोई इनसे पूछे के अल्लाह के नबी से सहावा से आईमाऐ किराम से उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हें क्या दुश्मनी हैं भोले भाले मुसलमानों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो इनके रमज़ान की इबादत को मुक़ल्लिदों तुम ने बर्बाद कर दिया।

और अल्लाह के यहां तुम्हारा क्या अंजाम होगा सोच लो बाज़ आ जाओ।

आज 22/08/2014 बरोज जुमा वक्त असर के बाद फ्रन्ट पेज का जवाब पूरा हुआ अगले पेज से इन्शा अल्लाह बेक पेज का जवाब शुरू होगा।

आपने लिखा है "8 रकआत तरावीह की इब्तिदा यानी शुरूआत - हिन्दूस्तान में जब अंग्रेज़ी हुकूमत थी उस दौर में गैरमुक़ल्लिद आलीम मुफ्ती मोहम्मद हुसैन बट्टलवी ने पहली दफा 1248 हि. में बज़ाब्ता तौर पर यह फतवा जारी कर दिया के आठ रकआत तरावीह सुन्नत है और 20 रकआत तरावीह बिदअत है। इस अनोखे फतवे से मुसलमानाने हिन्द में इज़तिराब की लहर दौड़ गई ओलमाए ऐहले सुन्नत ने इस के रद्द में बहुत कुछ लिखा। मशहूर गैर मुक़ल्लिद आलीम गुलाम रसूल साहब ने भी इस फतवे की सख्त मुखालफत की। इस फतवे से पहले किसी ने भी 8 रकआत तरावीह का सोचा भी नहीं था। इसके बाद 8 रकआत तरावीह का रिवाज पढ़ा है। इससे पहले कोई भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक 8 रकआत तरावीह का काईल नहीं है।

इमाम इब्ने जौज़ी रहि. की नजर में मुकल्लिद

अन्डर लाईन इबारत को एक बार गौर से पढ़ो। इस इबारत को पढ़ने के बाद उस पर गौर करो कि क्या इमाम इब्ने कय्यूम ज़ौजी ने सही लिखा है?

इब्ने कय्यूम ज़ौजी रह. (पे. 651 हि. व. 751 हि.) लिखते हैं "इमाम अबू उमर रह. फरमाते हैं कि अहले इल्म व नज़र का क़ोल है कि इल्म कहते हैं ज़ाहिर हो जाने और मालूम की हक़ीक़त को जान लेने को। पस जिस पर जो चीज़ ज़ाहिर हो गया उसने उसका इल्म हासिल कर लिया और मुक़ल्लिद पर किसी मसअला की हक़ीक़त न ज़ाहिर होती हे न व उससे वाक़िफ होता है, इसलिए मुक़ल्लिद को आलीम कहना इल्म की हक़ीक़त से नावक़िफ होना है।" (एलामुल मुवक्क़िईन जि. 1 स. 433)

इब्ने कय्यूम ज़ौजी रह. फरमाते हैं "इब्ने मसऊद रज़िअल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि या तो आमिल बनो या तालिबे इल्म बनो, इन दोनों के दरम्यान मुक़ल्लिद अन्धे न बनो।"(एलामुल मुवक्क़िईन जि. 1 स. 430)

इब्ने कययूम ज़ौजी रह. फरमाते हैं "इमाम मालिक रह. जवाबात की कसरत को बहुत मकरूह समझते थे और कहते थे अपनी तहक़ीक़ और इल्म के बाद जवाबे सवाल दो न कि तक़लीद का बदतरीन पट्टा गले में डाल लो।" (एलामुल मुवक्क़िईन जि. 1 स. 425)

अगर जरा सी तहक़ीक़ कर ली होती तो इतना झूठ नहीं लिखते। जो आपने

लिखा है। अब जरा तहक़ीक़ की बात भी पढ़ लो। और देख लो कि तक़लीद के चक्कर में कहां से कहां पहुंच रहे हो। क्या लिख रहे हो।

8 रकआत्त तरावीह की इब्तिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से

मैं आपके सामने ताबई रह. के दौर से लेकर 911 हि. तक के चन्द हवाले पेश कर रहा हूँ गौर करे आपकी बात कहां तक सही है।

1) इमाम मालिक रह. (वफात 179 हि.) फरमाते हैं :-

"मैं अपने लिए क़यामे रमज़ान (तरावीह) ग्यारह रकअतें इख्तियार करता हूँ, इस पर उमर बिन खत्ताब रज़िअल्लाहु अन्हु ने लोगों को जमा किया था और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ है, मुझे पता नहीं कि लोगों ने यह बहुत सी रकअतें कहाँ से निकाल ली हैं?" इसे इब्ने मुगीस मालकी ने ज़िक्र किया है। (किताबुत्तहज्जुद स. 176 फिक़रा 890, दूसरा नुस्खा स. 287 अब्दुल हक़ सबली वफात 581 हि.)

2) इमाम शाफई रह. (व. 204 हि.) ने बीस रकआत तरावीह को पसंद करने के बाद फरमाया :-

"इस चीज़ (तरावीह) में जर्रा बराबर तंगी नहीं है और न कोई हद है, क्योंकि यह नफ्ल नमाज़ है, अगर रकअतें कम और क़याम लम्बा हो तो बेहतर है और मुझे ज़्यादा पसंद है और अगर रकअतें ज़्यादा हो तो भी बेहतर है।" (मुख्तसर क़यामुल लैल लिलमरवुज़ी स. 202, 203)

मालूम हुआ कि इमाम शाफई रह. ने बीस को ज़्यादा पसंद करने से रूजू कर लिया था और वह आठ और बीस दोनों को पसंद करते और आठ को ज़्यादा बेहतर समझते थे। वल्लाहु आलम।

3) क़ाज़ी अबुबकर अलअरबी मालकी रह. (व. 543 हि.) ने कहा :-

"और सही यह है कि ग्यारह रकआत पढ़नी चाहिए, यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ और यही क़याम (तरावीह) है। इसके अलावा जितनी रकअतें मरवी हैं उनकी (सुन्नत में) कोई अस्ल नहीं है। (और नफ्ली नमाज़ होने की वजह से) उसकी कोई हद नहीं है।"(आरज़तुल अहवज़ी 4/19 ह. 806)

4) इमाम कुरतबी रह. (व. 656 हि.) ने फरमाया :-

"तरावीह की तदाद में ओलमा का इख्तिलाफ है, इमाम मालिक ने (एक रिवायत में) छत्तीस रकअतें इख्तियार की हैं....... और अक्सर ओलमा यह कहते हैं कि ग्यारह रक़अतें हैं, उन्होंने सय्यदा आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा की हदीस से इस्तदलाल किया है।" (अलमफहूमुल़ माशकिल मिन तलखीस किताब मुस्लिम 2/389, 390)

5) इमाम हम्माम हनफी रह. (व. 681 हि.) ने कहा :-

"इस सारी बहस से यह नतीजा हासिल हुआ कि वित्र के साथ तरावीह ग्यारह रकअतें हैं, इसे नवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमाअत के साथ पढ़ा है।" (फतहुल क़दीर शरह हिदाया 1/407)

6) ऐनी हनफी रह. (व. 855 हि.) फरमाते हैं "और कहा जात है कि तरावीह ग्यारह रकअतें हैं, इसे इमाम मालिक और अबु बकर अलअरबी ने अपने लिए इख्तियार किया है।" (उम्दतुल क़ारी 11/126 ह. 2010)

7) अल्लामा सुयूती रह. (व. 911 हि.) ने कहा :-

"बेशक तरावीह की तादाद में ओलमा का इख्तिलाफ है।" (अलहावा लिलफतावा 1/348)

यह सारे हवाले 1248 हि. के पहले के हैं लिहाज़ा साबित हुआ कि "इसके बाद ही 8 रकआत तरावीह का रिवाज़ पढ़ा है। इससे पहले कोई भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक 8 रकआत तरावीह का काईल नहीं है।" का दावा बातिल है। और पूरी उम्मत के अमल का जो आपने दावा किया था वह झूठा है।

उम्मीद करता हूँ कि आप ठन्डे दिल व दिमाग से इन हवालों को पढ़ कर अपनी बात से रूजू करेंगे। और उम्मत को इख्तिलाफ से बचाऐंगे।

आपने लिखा है "सिर्फ इस अंग्रेजी ऐजेन्ट मोलवी मुफ्ती मोहम्मद हुसैन बट्टवलवी ने इजाद किये है।"

अर्ज़ है कि आपने यह नहीं बतलाया कि उन्होंने किस बात की ऐज़न्टी की थी। आप बतला भी नहीं सकते क्योंकि आप अपने बड़ो के चबाऐ हुए लुक्मे ही खा रहे हो खुद ने कभी तहक़ीक़ नहीं की। मैं आपको बतलाता हूँ कि मुहम्मद हुसैन बट्टलवी रह. ने क्या किया था? लेकिन इसके पहले एक बात की वज़ाहत बहुत ज़रूरी है कि अग्रेंज के दोर में वहाबी किसको कहा जाता था और अहले

देवबन्द की नज़र में वहाबी कौन थे और उनके बारे में देवबन्द का नज़रिया क्या था।

वहाबी कौन?

1)(हुसैन अहमद टन्डवी देवबन्दी ने लिखा है "सहाबो! मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब नज्दी इब्तिदन तेरवही सदी नज्द अरब से ज़ाहिर हुआ। और चूंकि यह ख्यालात बातिला और आक़ाईद फासिदा रखता था...... अलहासिल वह एक ज़ालिम व बाग़ी खूंखार फासिक़ शख्स था।" (शिहाब साक़िब स. 42 दूसर नुस्खा 221)

2)(अनवर शाह कश्मिरी ने कहा "मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब नज्दी निहायत बेवकूफ और कम इल्म शख्स था और वह मुसलमानों पर कुफ्र का हुक्म लगाने में बहुत तेज़ था।" (फेजुल बारी जि. 1 स. 170, 171)

3)(मुहम्मद आलम ऊकड़वी ने लिखा है "मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब के सलाह मश्वरा से हरमैन् की जानिब चढ़ाई की और एक नया मज़हब आज़ादी इस्लाम के परदे में बग़र्ज मुल्क गिरी ज़ाहिर किया, और बज़रिये ऐलान अमल बिल सुन्नह के तमाम मक़ाबिरे शुहदा, मज़ारात ओलिया किराम को मुनहदम कर के उन मुसलमानों पर जिहाद का हुक्म जारी कर दिया जो हरमैन में रिहाइश पज़ीर थे, और उनके माल की लूट और क़त्ल को जाईज़ रखा और उन पर बड़ा जुल्म किया।" (अनवारात सफदर 1/115)

यह अक़ीदा और सोच है अब्दुलवहाब रह. के बारे में देवबन्दियों के आलिमों की तो यह कैसे वहाबी हो सकते है और किस तरह इनको वहाबी कोई कहेगा। यह भी सनद रहे कि अनवर शाह कश्मिरी अग्रेंजों के दौर के है।

यह लोग मुहम्मद बिन अ. वहाब के क्यों दुश्मन है इसकी भी वजह जान ले ताकि आपको यक़ीन हो जाए कि यह वहाबी नहीं। इनके अक़ीदे और मुहम्मद बिन अ. वहाब के अक़ीदे नहीं मिलते जिस अकीदे के खिलाफ मुहम्मद बिन अ. वहाब ने "किताबुत तोहीद" लिखी उसके खिलाफ इनके अक़ीदे है पढ़े :-

1) गंगोही, नानोतवी और थनवी के पीर हाजी इमदादुल्लाह ने लिखा है :-

"और ज़ाहिर में बन्दा और बातिन में खुदा हो जाता है।" (कुल्लियाते इमदादिया स. 36)

2) मुहम्मद क़ासिम नानोतवी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद के लिए पुकारते हुए कहा :-

"मदद कर एक करम अहमदी कि तेरे सिवा
नहीं है क़ासिम बेकस का कोई हामी कार।"

(क़साइद क़ासमी, कसीदा बहारिया दर नअते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स. 8)

3) रशीद एहमद गंगोही ने अल्लाह तआला को मुखातिब करके लिखा :-

"और जो मैं हूँ वह तू है और मैं और तू खूद शिर्क दर शिर्क है।" (फज़ाइले सदक़ात हि. 2 स. 556, मकातिबे रशीदिया स. 10)

4) अशरफ अली थानवी देवबन्दी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद के लिए पुकारते हुए कहा :-

"दस्तगीरी कीजिए मेरे नबी   कशमकश में तुम ही हो मेरे नबी।"

(नशरूत तयब स. 194)

अल्लाह तआला इन फासिद और शिर्किया अक़िदे से उम्मते मुस्लिमा की हिफाज़त करे आमीन।

इन हवालो से साबित हुआ कि देवबन्दी वहाबी नहीं है। वहाबी पहले भी अहले हदीस थे आज भी अहले हदीस ही हैं। इससे कोई यह नहीं समझे कि हम अब्दुल वहाब रहि. की तकलीद करते हैं। बल्कि हक़ीक़त यह है कि जिस तरह अब्दुल वहाब रहि. शिर्क, बिदअत और क़ब्रपरस्ती के खिलाफ थे उसी तरह अहले हदीस भी है, इसलिए अहले हदीस को लोग वहाबी कहते हैं। और यह आपके अपने मोलवी भी कहते है। इसका हवाला पेश है।

अहले हदीस पर तन्ज करते हुऐ इस्माईल झन्गवी देवबन्दी ने लिखा है "एक नया हवाला मुलाहिज़ा फरमाए और वहाबी की फहमदानी की वुसअत का अन्दाज़ा लगाऐं।" (तोहफा अहले हदीस हि. 2 स. 49)

अब आए यह जाने कि मुहम्मद हुसैन बट्टलवी रह. को अंग्रेज का ऐजेन्ट कहने की वजह क्या है? यह तो सभी को मालूम है आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का जो अन्दोलन हुआ उसका नाम वहाबी अन्दोलन था। अब जबकि यह साबित हो गया कि देवबन्दी वहाबी नहीं तो फिर कौन बरेलवी तो हो नहीं सकते अब बचे अहले हदीस तो उस दौर में अंग्रेजों ने आजादी के मतवाले अहले

दीसों के साथ साथ आम अहले हदीस को जो नमाज़ पढ़ना रोजा रखना और दीन शरीअत के जो काम आम मुसलमानों पर फर्ज है उनको अदा करना ही उनका काम था को भी वहाबी के नाम से शहीद करना शुरू कर दिया तो मोलाना के दिल में आया कि कहीं ऐसा न हो कि एक कर के सारे अहले हदीसों को अंग्रेज खत्म कर दे। इस कत्ल गारतगीरी से आम अहले हदीसों को बचाने के लिए मोलाना ने मांग की कि हमें वहाबी का नाम न दिया जाए हमें हमारे नाम अहले हदीस से पुकारा जाए। वहाबी की तरफ मन्सूबियत से इन्कार की एक बड़ी वजह यह भी थी की अहले हदीस अपने आपको किसी उम्मती की तरफ मन्सूब करना सही नहीं समझते हम अगर मन्सूब होंगे तो अल्लाह के दीन और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तरफ। फिर यहा बात भी जहन नशीन रहे कि अहले हदीस नाम अंग्रेजों ने नहीं रखा यह नाम तो पहले से चला आ रहा था इस नाम को तो अंग्रेजों से मनवाया है न कि बनवाया है। अगर नाम को मनवाना अग्रेंज हुकूमत की ऐजेन्टी है तो आज जितने मदरसे और मस्जिद है सब गर्वमेन्ट के ऐजेन्ट हुए क्योंकि सब ही गर्वमेन्ट के वक्फ बोर्ड से, मदरसा बोर्ड से या स्कूल बोर्ड से रजिस्टर्ड करवा कर ही अपनी कारगुज़ारी को अन्जाम देते है। मोलाना इसके अलावा कोई और वजह हो तो बतलाओ। झूठे इल्जाम लगा कर क्यों अपने आपको दोज़ख का हिस्से दार बना रहे हो।

अंग्रेज़ों के ऐजेन्ट कौन?

अब थोड़ा यह भी देख लो कि कौन ऐजेन्ट था मोलाना हम या तुम?

1) हुसैन अहमद मदनी ने अशरफ अली थानवी के भाई के बारे में लिखा है:-

"मौलाना मरहूम के भाई, महकमा सी.आई.डी. में बड़े ओहदेदार आखिर तक रहे उनका नाम मज़हर अली है।" (मक्तूबात शैखुल इस्लाम जि. 2 स. 319)

वाह मोलाना वाह खूब उल्टा चोर कोतवाल को डाटें।

थोड़ा अग्रेंज हुकूमत की सी.आई.डी. का हाल भी पढ़ ले कि वह कैसी थी।

शोरिश कश्मिरी ने लिखा है "हकीक़त यह है कि ब्रतानवी अमलदारी में सी.आई.डी. के हिन्दूस्तानी अहले कार क़ौम फरोशी और मुल्क दुश्मनी की शर्मनाक तस्वीरों का एलबम थे।" (पसे दिवार ज़िन्दाँ स. 416)

आलीम नहीं है बल्कि तुम्हारे बहुत बड़े आलीम है। मौलाना कुछ भी लिखने से पहले अपना घर भी देख लेते तो अच्छा होता।

आपने लिखा है "नबी और खुलफाऐ राशेदीन रज़िअल्लाहु अन्हु की सुन्नतो पर अमल करने वाले नहीं, नबी व खुलाफाऐ राशेदीन रज़िअल्लाहु अन्हु की सुन्नतों पर अमल करने वाले पूरे रमज़ान 20 रकआत पढ़ने वाले हैं।" क्या खूब लिखा है आपने। यक़ीन नहीं होता कि कभी आपने आईना नहीं देखा आओ में आईना दिखलाता हूँ।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इन्कार

अबूहुरैरा रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया "जब नमाज़ खड़ी कर दी जाए तो फर्ज़ों के अलावा और कोई नमाज़ नहीं।"(सही मुस्लिम ह. 710)

इस हदीस में सभी नमाज़ों का इन्कार है कज़ा, सुन्नत और नफ्ल को। देख लो अपनी मस्जिदों में फजर की जमआत खड़ी रहती है और बाद में आने वाले मुक्तदी धड़ाधड़ दो सुन्नेत पढ़ते है। यह रसूल की सुन्नत का इन्कार नहीं तो क्या है। इस सही हदीस पर अमल करके दिखलाओ तावीले मत करना।

जब इमाम से गलती हो जाऐ तो मुक्तदी क्या करें? अबूहुरैरा रज़िअल्लाहु अन्हु ने फरमाया "मर्द के लिए सुब्हानअल्लाह कहना है और ख्वातीन को ताली बजानी चाहिए।" (सही बुखारी 1203, सही मुस्लिम 422)

आपकी मस्जिदों में तो इमाम से गलती हो जाए तो अल्लाहु अकबर की पुकार लगती है। इन दोनों सुन्नतों या आपके क़ौल के हिसाब से इन दोनों अमल पर अहले हदीस तो अमल करते है आप के वहाँ अमल नहीं होता है। कौन अमल का इन्कारी है। और अगर ज्यादा अमल से इन्कार देखना हो तो देखे "अहनाफ का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इख्तिलाफ" और देखे "फिक़्ह व हदीस" इनके अलावा भी बहुत सी किताबे हैं। आप तो इन दोनों किताबों को देख लो मालूम पड़ जाऐगा कौन कितना बड़ा मुन्कर है।

खुलफाए राशिदीन की सुन्नतों का इन्कार

आओ खुलफाए राशिदीन के भी कुछ अमल पेश कर दू ताकि मालूम पड़े की झूठ कौन बोल रहा है और अमल कौन नहीं कर रहा है।

1) अबूबकर सिद्दीक़ रज़िअल्लाहु अन्हु नमाज़ में रूकू से पहले और रूकू के बाद दोनों जगह रफायदैन करते थे। (सुनन कुबरा लिलबेहक़ी जि. 2 स. 73)

अबूबकर सिद्दीक़ रज़िअल्लाहु अन्हु से रफायदैन करना साबित है और न करना साबित नहीं जबकि इसके खिलाफ आपका अमल है आप रफायदैन नहीं करते।

2) उमर फारूक़ रज़िअल्लाहु अन्हु ने लिखा कि जुहर का वक़्त एक ज़िरअ साया होने से लेकर आदमी के बराबर साया होने तक है।" (अल ओवस्त इब्नुलमन्जर जि. 2 स. 328)

मालूम हुआ कि उमर रज़िअल्लाहु अन्हु के नज़दीक अस्र का वक़्त एक मिस्ल होने से शुरू हो जाता है मगर इस फतवे के मुखालिफ आपकी मस्जिदों में दो मिस्ल के बाद असर की आज़ान देते हैं।

3) उमर फारूक़ रज़िअल्लाहु अन्हु से एक ताबई ने क़िराअत खलफुल इमाम के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया "सूरह फातिह पढ़ो।" उसने कहा : अगर आप क़िराअत बिलजेहर कर रहे हों तो? उन्होंने फरमाया "अगरचे मैं जेहर से पढ़ रहा हूँ तो भी पढ़ो।" (अलमुस्तदरक लिल हाकिम ज़ि.1 स. 230)

मगर आपके यहाँ सूरह फातिहा पढ़ने वाले के मुहँ में अंगारे भरने का फतवा है।

4) उस्मान रज़िअल्लाहु अन्हु ने सिर्फ एक रकआत वित्र पढ़ा और फरमाया "यह मेरा वित्र है।" (सुनन अलकुबरा लिलबेहक़ी जि. 3 स. 25)

जबकि आपके यहाँ एक वित्र जाईज़ नहीं।

5) अली रज़िअल्लाहु अन्हु ने फरमाया "जो औरत भी वली के बगैर निकाह करे तो उसका निकाह बातिल।" (सुनन अल कुबरा लिलबेहक़ी जि.7 स. 111)

जबकि आपके मस्लक में वली के बगैर निकाह हो जाता है।

यह कुछ सबूत है और कुछ सबूत मैं इसी किताब में पहले भी पेश कर चुका हूँ। मैं यह समझता हूँ इतने सबूत काफी है। अब फैसला कारईने किराम को करना है कौन दावे में सच्चा है और कौन झूठा है?

रही बात 20 रकआत तरावीह की तो मोलाना एक भी सही हदीस या असर आपने पेश नहीं किया। और जो आपने पेश किया था वह आपके औलमा की कलम से मैं जईफ साबित कर चूका हूँ। और मैंने आपके सामने आपके औलमाओ के कौल पेश कर दिए है जो 20 को नहीं 8 रकआत को सुन्नत मानते है। कुछ तो इंसाफ की बात करो। अल्लाह का खौफ नहीं है क्या?

आपने लिखा है "ग़ैर मुक़ल्लिद उलामा व अवाम से चंद सवालात" मौलाना आपने क्या सोचा कि जो सवाल आप कर रहे हो उनको पढ़ कर अहले हदीस उलमा और अवाम के हाथ पैर फूल जाऐंगे वह घरों में छुप जाऐंगे। आपने लिखा क्या है जो सब को आपने शामिल कर लिया यह सवाल इतने आम है कि एक मामूली पढ़ा लिखा अहले हदीस भी इन के जवाब दे सकता है आप उलमा से मांग रहे है उनका जवाब आपको अहले हदीस का एक तालीबे इल्म दे रहा है हमारे आलीमों को इन मामूली सवालों के जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं।

आपने लिखा है "इन सवालात का जवाब कुरआन या सरीह गैर मआरिज़ हदीस से दें।"

मौलाना इस बात को लिख कर आप क्या साबित करना चाहते है? अगर आपका कहना यह है कि इनका कुरआन हदीस में जवाब नहीं मिलेगा तो मतलब यह हुआ कि आप मानते है कि कुरआन व हदीस में दीन का पूरा इल्म नहीं है। अल्लाह ऐसे अक़ीदे से हमारी हिफाज़त करें। आमीन। और अगर आप यह मानते है की इनका जवाब मौजूद है तो पूछ क्यों रहे हेा? क्या हमारा इम्तेहान लेना चाहते है। तो हमने तो आपको यह हक़ नहीं दिया कि आप हमारा इम्तेहान लें? फिर किस बिना पर जवाब मांग रहे है?

अगर आपका मानना है कि इनका जवाब कुरआन हदीस में नहीं मिलेगा तो आपने अपने घर की किताबे ही नहीं पढ़ी जिनमें साफ लिखा है कि दीन की हर बात कुरआन हदीस में मौजूद है। यक़ीन नही हो रहा मैं सबूत पेश कर रहा हूँ। पढ़े।

कुरआन व हदीस में पूरा दीन है

अशरफ अली थानवी ने लिखा है "अल्लाह व रसूल स. (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने दीन की सब बातें कुरआन व हदीस में बन्दों को बता दीं।" (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा 1 स.31 बाब अक़ीदों का बयान अक़ीदा नं. 23)

हनफी मस्लक में हर मसअले का हल नहीं

आपने अपने आलीम की बात पढ़ ली जो कह रहे है कि दीन की सब बातें कुरआन व हदीस में मोजूद है। अब एक और सच्चाई भी पढ़ ले आपके आलीम कह रहे है कि हनफी मस्लक में सब मअसलों का हल नहीं है यानी हनफी मस्लक मुकम्मिल नहीं हैं। यक़ीन नहीं आएगा लेकिन यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ आपके मुफ्ती जस्टीस तक़ी उस्मानी कह रहे हैं पढ़े :-

मौलाना तक़ी उस्मानी लिखते है "ऐसी ख्वातीन जिन्होंने निकाह के वक़्त तफयूज़ तलाक़ के तरीक़े को इख्तियार न किया हो, अगर बाद में किसी शदीद मजबूरी के तहत शोहर से गलू खलासी हासिली करना चाहे, मसलन शोहर इतना जालिम हो कि न नफ्क़ा देता हो, न आबाद करता हो, या वह पागल हो जाए या मफकूदुल खबर हो जाए या नामर्द हो और अज़ खुद तलाक़ या खुला पर आमादा न हो, तो अस्ल हनफी मस्लक में ऐसी औरतों के लिए शदीद मुश्किलात हैं, खास तौर उन मक़ामात पर जहाँ शरीअत के मुताबिक़ फैसले करने वाला कोई क़ाज़ी मौजूद न हो, ऐसी औरतों के लिए अस्ल हनफी मस्लक में शौहर से रिहाई की कोई सूरत नहीं है...... हज़रत हकीमुल उम्मत (मौलाना थानवी) कुद्दूस सरा ने ऐसे बेश्तर मसाईल में मालिकी मज़हब के मुताबिक फतावा दिया है।" (अल हीलतुनाजज़ह फी हीलतुल आजज़ा स. 9, 10)

और अनवर शाह कश्मिरी ने कहा "जो यह ख्याल करता है कि सारा दीन फिक़्ह में है उससे बाहर कुछ भी नहीं वह राहे सवाब से हटा हुआ है।"(फेजुलबारी जि.2 स.10)

इलियास घुम्मन के काफिला बातिला में लिखा है "ताहम बहुत से मसाईल ऐसे मिलेंगे और हैं जिनका ज़िक्र मोजूदा फिक़्ह हनफी के अज़ीमुश्शान ज़खीरे में नहीं मिलता।" (काफिला हक़ यानी काफिला बातिला जि. 4 सु. 3 स. 13)

फिर भी कुरआन व सुन्नत पर अमल करने वालों पर उंगली उठाते हो। कुछ तो अल्लाह का खौफ खाओ कुछ तो शर्म करो।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया "इब्तिदा से तमाम अम्बिया का जिस बात पर इत्तेफाक़ रहा है वह यह है कि जब हया न हो तो जो चाहे करो।" (सही बुखारी 3/430 तर्जुमा ज़हूरूल बारी देवबन्दी।)

अगर आप यह कहना चाहते हो कि हम अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल की

दअ़्वत देते है, इसलिए हम इज्माअ उम्मत और क़यासे सही को नहीं मानते तो मौलाना यह आपकी गलत फहमी हैं। इसका जवाब यह है कि अशरफ अली थानवी ने लिखा है ''मैं न साहबे करामत हूँ और न सहाबे कशफ। न साहबे तअरीफ हूँ और न आमिल। सिर्फ अल्लाह और रसूल स. (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के अहकाम पर मुत्तलअ करता हूँ। (बीस बड़े मुसलमान स. 305)

देवबन्दी मुफ्ती ज़ोरवली खान ने लिखा है ''इमाम अबू हनीफा रह. के क़ौल ही का एतबार होगा क्योंकि हम हनफी है न कि यूसुफी।'' (अहसनुल मक़ाल स. 53)

पढ़ा आपने जब इनके इन क़ौलो के बाद भी यह इज्मा उम्मत को और क़यासे सही को मानने वाले हो सकते है तो हम क्यों नहीं?

अहले हदीस के ऊसूल

हमारी बात हमारी किताबों से साबित होगी या आपके झूठे क़ौलों से। हम अपनी किताबों के हवाले पेश करते है।

हाफिज़ अब्दुल्लाह ग़ाज़ी पूरी रह. (वफात 1337 हि.) फरमाते है :-

''हमारे मज़हब का अस्ल ऊसूल सिर्फ इत्तेबा किताब व सुन्नत है।''

इसके हाशिये में लिखते है:-

''इससे कोई यह न समझे कि अहले हदीस को इज्माऐ उम्मत व क़यास शरई से इन्कार है, क्योंकि जब यह दोनों किताब व सुन्नत से साबित हैं तो किताब व सुन्नत के मानने में उनका मानना आ गया।'' (इबराअ अहले हदीस वल कुरआन बिमा जामेउ शवाहिद मिन तोहमत वल बोहतान स. 32)

हाफिज़ मुहम्मद गौन्दलवी रह. (वफात 1985 ई.) लिखते है :-

''अहले हदीस के ऊसूल किताब व सुन्नत, इज्मा और अक़वाले सहाबा हैं। यानी जब किसी एक सहाबी का क़ौल हो और उसका कोई मुखलिफ न हो, अगर इख़्तिलाफ हो तो उनमें से जो क़ौल किताब व सुन्नत के ज़्यादा क़रीब हो उस पर अमल किया जाए और उस पर किसी अम्त्ल राय या क़यास को मुक़द्दम न समझा जाए, और बवक़्ते ज़रूरत क़यास पर अमल किया जाए। क़यास में अपने से बेहतर पर एतमाद करना जाईज़ है। यही मस्लक इमाम अहमद बिन हम्बल रह. और दीगर आईम्मा और अहले हदीस का है।'' (अलइस्लाह बंवहाला अहले हदीस का मनहज और अहनाफ से इख़्तिलाफ की हक़ीक़त व नोईयत स. 28,29)

मौलाना अबुल वफा सनाउल्लाह अमृतसरी रह. जिनकी तरफ रूजू करने के बारे में अशरफ अली थानवी ने अपने फतवे में लिखा है जो इस किताब के शुरूआत में पेश कर चुका हूँ ने एक बहुत ही क़ीमती और अज़ीम किताब लिखी जिसका नाम है "इज्तिहाद व तक़लीद" (मतबूअ 1916 ई.)। इस किताब में अदिल्ला अरबा, उसूले खमसा, निसाबे इज्तिहाद, इज्माअ व क़यास वगैरा पर नफ़ीस बहस है।

इस किताब पर जमाअत के 70 से ज़्यादा ओलमा किराम ने तक़रीज़ लिखीं हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह साहब मुहद्दिस ग़ाज़ीपूरी रह. अपनी तक़रीज़ में लिखते है "मेरे नज़दीक उस इज्मा के हुज्जत शरई होने में कोई कलाम नहीं है और न हो सकता है जो इज्मा ऐसे हुक्म पर हुआ हो जिसकी कोई सनद किताब व सुन्नत साबिता में मौजूद हो, ख्वाह वह सुन्नत साबिता क़ौली हो या फेअली या तक़रीरी और ख्वाह सरीह हो या हुक्मी।

लेकीन जिस हुक्म की कोई सनद न किताब से हो और न सुन्नत साबिता से बल्कि उसकी बिना महज़ रिवाज आम पर हो ख्वाह वह रिवाज आम किसी ज़माने का हो, उसका हुज्जत शरई होना मुझे किसी आयत या सही हदीस से मालूम नहीं होता।" (बहवाला बारह मसाईल बीस लाख ईनाम का हक़ीक़त पसंदाना जायज़ा स. 35)

इस बहस से यह साबित हो गया कि अहले हदीस के नज़दीक दलील कुरआन, सही हदीस, इज्मा और क़यासे सही है।

इन्ही उसूलों के तहत आपको जवाब दिया जाएगा इन्शाअल्लाह तआला।

मौलाना का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ

आपका सवाल नं. 1 :- गैर मुक़ल्लिद पूरे रमज़ान 8 रकआत तरावीह पढ़ते हैं जबके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ तीन रोज़ पढ़ी है।

जवाब :- मौलाना इस सवाल को लिखने के बाद पढ़ लिया होता। आपको इतना बड़ा झूठ लिखते हुए कुछ भी अहसास नहीं हुआ कि इसका असर क्या होगा और आपका क्या बनेगा। पहले आप यह समझ ले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया "जिस शख्स ने मुझ पर

ऐसी बात कही जो मैंने नहीं कही तो वह अपना ठिकाना आग में बना ले।" (सही बुखारी 109)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया "जिसने मुझसे कोई हदीस बयान की और वह जानता भी है कि यह झूठ है तो वह खूद झूठों में से एक है।" (तिर्मिज़ी 2662)

मोलाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे रमज़ान नमाज़े तरावीह पढ़ी है। दलील यह हदीस है:-

अबुसलमा बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत है, उन्होंने आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा से सवाल किया कि "रमज़ान" में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ कैसे हुआ करती थी? उन्होंने फरमाया कि "रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान या गैर रमज़ान में ग्यारह रकआत से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। पहले चार रकआत पढ़ते, उनकी तवालत और खूबी के मुतआल्लिक़ न पूछो। फिर चार रकआत पढ़ते, उनकी खूबी व तवालत के मुतअल्लिक़ भी सवाल न करो। उस के बाद तीन रकआत वित्र पढ़ते थे।" आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा ने फरमाया मैंने आपसे दरयाफ्त किया "अल्लाह के रसूल! क्या आप वित्र पढ़ने से पहले सो रहते हैं?" आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया "आयशा! मेरी आंखें तो सो जाती है मगर मेरा दिल बेदार रहता है।" (सही बुखारी जि. 1 स. 679 ह. 1147)

इमाम बुखारी रह. ने इस हदीस पर बाब बान्धा है "बाब क़ियामे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिललैल फी रमज़ान व गैरहि" यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में रात का क़याम। (स. 679 जि. 1)

और इसी हदीस को एक और जगह नकल किया है वहाँ पर किताब का नाम लिखते है "किताबु सलातित्तरावीह" यानी "नमाज़ तरावीह से मुतअल्लिक़ अहकाम व मसाईल" इसमें बाब बान्धते है "बाब फज़्लि मन क़ाम रमज़ान" यानी "उस शख्स की फज़ीलत जो रमज़ान में रात के वक़्त क़याम करे।" (सही बुखारी जि. 2 स. 446)

अब अल्लाह के हुजूर तौबा करो अपने झूठ के बारे में। अल्लाह ऐसे तअस्सुब से हमे बचाए कि हम अपना मस्लक साबित करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोले।

अगर आप इस बात पर ही डटे है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ तीन दिन ही तरावीह पढ़ी है, तो मौलाना एक ही सही हदीस पेश कर दे इन्शाअल्लाह हम अपनी इस्लाह करेंगे और आगे से हम अमल नहीं करेंगे पूरे महीने भर वाला।

आपका स. नं. 2 :- गैर मुक़ल्लिद ने हजरत आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा की 8 रकआत वली हदीस को तरावीह के लिए दलील बनाया इस हदीस में तरावीह का लफ्ज दिखाऐं।

जवाब :- मौलाना मैंने अगर यह पूछ लिया कि नमाज़ या रोज़ा लफ्ज हदीस में दिखा दो तो पूरे आले देवबन्द को पसीना आ जाएगा। ऐसे सवाल मत करो कि अगर किसी ने पलट कर सवाल कर लिया तो बगले झाकना पड़े।

इस नमाज़ का नाम हदीस में क़यामुललैल, क़यामुररमज़ान आया है। और उरफे आम में इसे तरावीह कहते हैं जैसाकि इमाम बुखारी ने सही बुखारी में किताब का नाम "किताबु सलातित्तरावीह" लिखा है, इसके हवाले की दलील ऊपर पढ़ ले।

आपका स. नं. 3 :- हज़रत अबू सलमा रज़िअल्लाहु अन्हु हज़रत आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा से हुजूर सल्लललाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज़ की कैफियत के बारे मे सवाल किया, रमज़ान व गैर रमज़ान में 8 रकआत पढ़ते थे, 2 सलाम के साथ। क्या रमज़ान के अलावा भी तरावीह होती है।

जवाब :- आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा ने साईल को जवाब भी उसके सवाल ही के मुताबिक दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में 11रकआत से ज़्यादा न पढ़ते थे, और मज़ीद वजाहत के लिए मसअले के दूसरे पहलु पर भी रोशनी डालते हुए गैर रमज़ान की नमाज़ भी बता दी कि जिस तरह रमज़ान में 11 रकआत से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे इसी तरह गैर रमज़ान में भी 11 रकआत से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे।

इस तरह सवाल की मज़ीद वज़ाहत के साथ जवाब देने की मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मिलती है, वह इस तरह कि सहाबी रसूल ने समन्दर के पानी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो आपने जवाब में फरमाया "समन्दर का पानी पाक है और उसका मुर्दा हलाल है।" (मुअत्ता इमाम मालिक स. 116, किताबुल इल्म, सुनन नसाई जि. 1 स. 11,

सुनन इब्ने माज़ा जि. 1 स. 62, अबूदाऊद जि. 1 स. 11)

हालांकि सवाल करने वाले ने सिर्फ समन्दर के पानी के बारे में सवाल किया था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद वज़ाहत करते हुए समन्दर के मुर्दा जानवर का हुक्म भी सुना दिया, इसी तरह सवाल करने वाले ने आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा से सिर्फ रमज़ान की नमाज़ के बारे में सवाल किया था, यह बात यकीनी है आप रमज़ान व गैर रमज़ान में 11 रकआत से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, यानी रमज़ान में तरावीह और गैर रमज़ान में तहज्जुद एक नमाज़ के दो नाम है।

आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा की हदीस में एक सवाल का जवाब है, अबू सलमा (ताबई) ने सवाल किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान की नमाज़ कैसी थी, साईल ने खास रमज़ान की नमाज़ के बारे में सवाल किया था और इस बात पर सब मुत्तफिक़ है कि रमज़ान में पढ़ी जाने वाली खास नमाज़ तरावीह ही है, मतलब यह कि सवाल करने वाले ने खास नमाज़े तरावीह के बारे में सवाल किया था, अब दो ही सूरते हैं या तो यह कहा जाऐ कि आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा का जवाब सवाल के मुताबिक नहीं था, सवाल करने वाले ने तो तरावीह का हाल दरयाफ्त किया और आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा ने उसको तहज्जुद का हाल बताया या यह कहा जाए कि आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा का जवाब सवाल के ऐन मुताबिक था, और उन्होंने मज़ीद वज़ाहत के लिए गैर रमज़ान का भी ज़िक्र कर दिया।

अब कोई बेगैरत शख्स पहली सूरत इख्तियार करे तो करे मगर हम मोमिनों की माँ आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा के इल्म व फहम के बारे में यह सोच भी नहीं सकते कि वह एक सवाल का मतलब भी न समझ सकी। अब यहाँ दूसरी सूरत ही इख्तियार करना पड़ेगी और यह मानना पड़ेगा कि हदीसे आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा का तअल्लुक तरावीह से है तो यह बात वाजेह हो जाती है कि तरावीह की रकआतों की तदाद ग्यारह ही है, आईये इस मामले में एक और पहलु पर गौर करें, यह बात सबको मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामे रमज़ान की बड़ी फज़ीलत ब्यान फरमाते थे और उसकी खुब तर्गीब देते थे और हदीस आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा से यह बात साबित है कि रमज़ान की तरह गैर रमज़ान की रातों में आप ग्यारह रकआतें ही पढ़ते थे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, अब अगर यह कहा जाए कि यह तहज्जुद की नमाज़ थी तरावीह न थी, तो उसके

साफ माना यह होगें कि आप तरावीह की नमाज़ पढ़ते ही न थे दूसरे लफ्ज़ों में यह कि आप जिस चीज़ की लोगों को तर्गीब देते थे, नअऊज़ुबिल्लाह उस पर खुद अमल पैरा न थे, वरना यह कहिए कि आप दोनों नमाज़ अलग अलग पढ़ते थे लेकिन आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा से पूछे जाने के बावजूद न सिर्फ यह कि एक नमाज़ को छुपा लिया बल्कि यह कह कर उसकी नफी भी कर दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्यारह से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। याद रहे कि आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा से तरावीह या तहज्जुद का नाम लेकर सवाल नहीं किया गया था, बल्कि मुतलक रमज़ान की रातों की नमाज़ के बारे में सवाल था, इसलिए अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़े दो थी तो आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा का बयान खिलाफे वाक्या होगा, क्योंकि उन्होंने एक ही नमाज़ बयान की और दूसरे की नफी कर दी।

अल्लाह के लिए गौर तो कीजिए क्या कोई मुसलमान आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा के बारे में इस तरह की बदगुमानी कर सकता है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह सोच भी सकता है कि नआऊज़ुबिल्लाह आप जिस चीज़ की लोगों को तर्गीब देते थे उस पर खुद अमल नहीं करते थे।

दरहक़ीक़त यह सारी खराबी इसलिए लाज़िम आ रही है कि रमज़ान के तहज्जुद और तरावीह को दो अलग अलग नमाज़े समझ लिया गया है, वरना अगर यह तस्लीम कर लिया जाए कि रमज़ान में तहज्जुद का दूसरा नाम तरावीह है, तो इस तरह की कोई खराबी लाज़िम नहीं आएगी। आईये इस मामले में एक और पहलु से गौर करते हैं, यह बात हम सब जानते है कि वित्र रात की आखरी नमाज़ है जैसा कि सही मुस्लिम किताबुस सलातुल मुसाफिरीन में मौजूद है और अहनाफ जो इब्ने अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हु वाली हदीस बीस रकआत के सबूत में पेश करते है, उस हदीस में तीन रकआत वित्र का भी जिक्र है यानि बीस रकआत तरावीह और तीन वित्र पढ़ते थे, अब अगर ये कहा जाये के तरावीह के अलावा भी तहज्जुद पढ़ते थे तो मतलब यह होगा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र के बाद भी नमाज अदा कर रहे है, हालाकिं ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ होगी कि वित्र रात की आखरी नमाज़ है।

दूसरी बात यह के इब्ने अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हु की बीस रकआत वाली हदीस में भी वित्र का जिक्र है, इसी तरह आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा की आठ

रकाअत की हदीस में भी वित्र का जिक्र हैं, अगर अहनाफ के कौल के मुताबिक आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा हदीस को नमाजे तहज्जुद के बारे में मान लें, और इब्ने अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हु वाली हदीस को तरावीह के बारे में मान लें, तो मतलब ये होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावीह म अ वित्र पढ़ लेने के बाद तहज्जुद म अ वित्र पढ़ते थे, और ये बात खिलाफे वाक़िया होगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक रात में दो वित्र की नमाज़ें नहीं और आपका यह फरमान मुस्नद अहमद, सुनन अबू दाऊद, सुनन नसई, और जामेअ तिर्मज़ी में मौजूद है अब फैसला आपके हाथ में है या तो ये कहे के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सिर्फ नमाजे तरावीह म अ वित्र अदा करते थे, और उसमें बहुत लम्बा कयाम करते थे, बाज दफा तो तुलूए फज्र के करीब तक करते थे, या ये कहा जाये के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को तो तालीम दे रहे है, के एक रात में दो वित्र नहीं और खुद उसके खिलाफ अमल कर रहे है, नअऊजुबिल्लाह मिन जालिक।

आपका स. नं. 4 :- हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि न ये 8 रकआत तहज्जुद 2 सलाम के साथ 4-4 रकआत पढ़ी है, जबकि गैरमक़ल्लिदीन 2-2 रकआत पढ़ते हैं क्या यह हदीस के खिलाफ नहीं हैं?

जवाब :- क्या अहनाफ के यहाँ तहज्जुद चार चार रकआत करके पढ़ी जाती है नहीं हरगिज नहीं हमने खुद देखा है, और अहनाफ के कुछ मुफ्ती भी यही कहते हैं कि तहज्जुद दो दो रकआत कर के पढ़ी जाए अब सवाल यह है कि अगर तहज्जुद दो दो रकआत कर के पढ़ी जाए और पढ़ी भी जाती है तो तो फिर इस हदीस से तहज्जुद मुराद क्यों लिया जाता है जबकि इस हदीस में चार चार रकआत पढ़ने का ज़िक्र है।

दूसरी बात यह है कि जब तरावीह भी दो दो रकआत कर के पढ़ना है और तहज्जुद भी दो दो रकआत कर के पढ़ना है तो अब मौलाना साहब की ज़िम्मेदारी है कि वह उस नमाज़ की वज़ाहत करे जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान व गैर रमज़ान में चार चार रकआत कर के अदा करते थे और उसके बाद तीन रकआत वित्र पढ़ते थे क्यों अब तक उलमा ऐ अहनाफ ने इस नमाज़ को लोगों से छुपा रखा है। क्यों वह इस को जाहिर नहीं करते अब यह बात उलमा ए अहनाफ पर फर्ज़ है कि वह लोगों के सामने इस नमाज़ को जाहिर करे जो चार

चार रकआत कर के पढ़ी जाती है।

यह बात भी गौर तलब है कि अहनाफ जो बीस रकआत की ज़ईफ हदीस पेश करते है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में बीस रकआत पढ़ते थे तो क्या उसका भी यही मतलब लिया जाएगा कि बीस रकआतें एक सलाम से पढ़ते थे क्योंकि हदीस में तो इशारतन भी इस बात का ज़िक्र नहीं कि आप दो दो रकआत कर के बीस पढ़ते थे, मौलाना साहब के सवाल के मुताबिक तो यही मतलब होगा की बीस एक सलाम से पढ़ते थे अब यहाँ भी यही बात कही जा सकती है कि तरावीह तो दो दो रकआत कर के पढ़ी जाती है और इस हदीस में तो बीस रकआत मुसलसल पढ़ने का ज़िक्र है, लिहाज़ा इस हदीस से मुराद नमाज़े तरावीह नहीं बल्कि और कोई नमाज़ है और उस नमाज़ की वज़ाहत करना भी उलमा ए अहनाफ के जिम्मे बाकी है।

तीसरी बात यह है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात की नमाज के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया "रात की नमाज़ दो दो रकआत कर के है।"(सही मुस्लिम जि. 2 स. 668 ह.1750, सुनन नसाई 1672, 1673) एक दूसरी हदीस में है :-

अब्दुल्लाह बिन उमर रज़िअल्लाहु अन्हु रिवायत करते है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया "रात की नमाज़ दो, दो रकआत है।".. ...फिर इब्ने उमर रज़िअल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि दो, दो रकआत के क्या मानी हैं? उन्होंने कहा "हर दो रकआत के बाद सलाम फेरा जाए।" (सही मुस्लिम जि. 2 स. 670 ह. 1763) तो क्या यह गुमान किया जा सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तो दो दो रकआत पढ़ने की तालीम दे और खुद चार चार रकआत कर के पढ़े नअऊजुबिल्लाह।

हक़ीक़त तो यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो दो रकआत कर के रात की नमाज़ पढ़ते थे, जैसा कि आयशा रज़ि की रिवायत में वज़ाहत है।

आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि "रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु इशा की नमाज़ से फजर तक ग्यारह रकआत पढ़ते। सलाम फेरते हर दो रकआत के बाद और एक रकआत वित्र पढ़ते।" (सही मुस्लिम जि. 2 स. 659 ह. 1718)

और आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा ने जो चार चार का ज़िक्र किया है वह इस वजह से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो दो रकआत कर के चार अदा

करते थे फिर कुछ देर आराम करते फिर दो दो रकआत कर के चार पढ़ते फिर कुछ देर आराम करते, उसके बाद तीन रकआत वित्र पढ़ते थे।

आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा ने तो यह कभी नहीं कहा कि चार रकआत एक सलाम से पढ़ते थे, अगर चार पढ़ने का मतलब यही है कि एक सलाम से पढ़ते तो फिर उन हदीसों का क्या किया जाएगा जो अहनाफ बीस के सबूत में पेश करते है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीस रकआतें और वित्र पढ़ते थे क्या उसका मतलब लिया जाऐगा कि बीस रकआत एक सलाम से अदा करते थे, नहीं कोई भी हनफी इसका यह मतलब नहीं लेता तो फिर अगर आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा ने यह कह दिया कि चार पढ़ते थे तो इसका यह मतलब कैसे लिया जा सकता है कि एक सलाम से चार पढ़ते थे हालांकि उसका हदीस में इशारतन भी ज़िक्र नहीं है।

चौथी बात यह कि मौलाना ने स. 3 में भी और इसमें भी ज़िक्र किया है 4 रकआत एक सलाम का हम मौलाना से गुजारिश करते है कि आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा वाली हदीस में 4 रकआत एक सलाम या 8 रकआत 2 सलाम का लफ्ज़ दिखा दे हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे और इन्शाअल्लाह अपने अमल की इस्लाह करेंगे।

पाँचवी बात यह है कि मौलाना मैं आपकी बात मन्जूर भी कर लेता अगर मैंने आपका और आपके फिरक़े का अमल देखा होता कि आप तहज्जुद चार रकआत एक सलाम से पढ़ते हैं। लेकिन मौलाना बड़े अफसोस की बात है जो आप हम पर थोप रहे हो उस पर पहले थोड़ा सा गौर कर लिया होता तो यह झूठ आपके दामन में नहीं आता।

आपका स. नं. 5 :- ये 8 रकआत तहज्जुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले पढ़ी है। और गैरमुक़ल्लिदीन जमाअत के साथ पढते हैं।

जवाब :- मौलाना आपको यह गलत फहमी कैसे हो गई कि हम तहज्जुद जमाअत से पढ़ते है हम तो जमाअत से तरावीह पढ़ते है। जिसकी दलील आपके सवाल नं. 6 व 7 में आ रही है। किसी के बारे मे गलतफहमी पालना अच्छी बात नहीं है। और वह भी आप जैसे इन्सान को यह अमल ज़ैब नहीं देता।

ईशा की नमाज़ के बाद तरावीह पढ़ने का सबूत और जमाअत के साथ पढ़ने का

आपका स. नं. 6 व 7 :- हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाजे तहज्जुद रात के आखिर हिस्से में पढ़ी है। गैरमुक़ल्लिदीन ईशा के फोरन बाद पढ़ते हैं।

और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नमाज़ घर में पढ़ते थे, और गैरमुक़ल्लिदीन जमाअत के साथ मस्जिद में पढ़ते हैं।

जवाब :- आपने खुद फैसला कर लिया और फैसला सुना भी दिया कि हम जो रमज़ान में नमाज़ पढ़ते है वह तहज्जुद है।

इसके बाद अब इन दोनों सवालों में आपके कुल दो पाईंट बनते है वह इस तरह है:-

1. हम ईशा के फोरन बाद तरावीह पढ़ते है।

2. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नमाज़ पढ़ते थे, हम मस्जिद में जमाअत के साथ अदा करते हैं।

इन पाईटों के जवाब के लिए नीचे लिखी रिवायतों पर गौरो फिक्र करें।

अबू जर्र रज़िअल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि के साथ रमज़ान के रोज़े रखे, आपने हमारे साथ कोई क़याम न किया, यहाँ तक महीने में एक हफ्ता बाक़ी रह गया, तो आपने हमें क़याम करवाया, यहाँ तक तिहाई रात हो गई। जब (आखिर से) छटी रात आई तो आपने क़याम न कराया। जब पाँचवीं आई तो हमें क़याम करवाया, यहाँ तक कि आधी रात गुज़र गई। मैंने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल! काश आप हमें बक़िया रात भी इस का क़याम करवा देते? आपने फरमाया "इन्सान जब इमाम के साथ नमाज़ पढ़ता और उसके फारिग़ होने तक उसके साथ रहता है तो उसके लिए पूरी रात का क़याम शुमार किया जाता है।" जब चोथी रात आई तो आपने अपने अक़ारिब, बीवियों और दूसरे लोगों को जमा फरमाया और हमें क़याम कराया, यहाँ तक कि हमें फिक्र हुई कि कही हमारी "फलाह" ही न रह जाए। (जुबेर ने कहा) मैंने पूछा कि "फलाह" से क्या मुराद है? उन्होंने कहा "सहरी।" फिर बक़िया रातों में आपने हमको क़याम नहीं कराया।"
(अबूदाऊद जि. 2 स. 105, 106 ह. 1375, इब्ने माज़ा 1327)

इस हदीस में तरावीह को रात के तीनों हिस्सों मे पढ़ने का ज़िक्र है। पहली

रात में तिहाई रात तक यानी रात को तीन हिस्से में बाटों तो पहले हिस्से में नमाज़ अदा की। दूसरी रात को आधी रात में और तीसरी रात में रात के आखरी हिस्से में कि सहाबा रज़िअल्लाहु अन्हु को सहरी न करने का खौफ हो गया।

इसी बात को इस रिवायत से समझेः-

अली रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया "रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के हर हिस्से में वित्र पढ़े हैं। रात के शुरू में भी और दरम्यान में भी और आपके वित्र सहर तक खत्म होते थे।"(सुनन इब्ने माज़ा जि. 2 स. 250 ह.1186, मुस्नद अहमद 1/86, 137)

जब वित्र शुरू में पढ़े तो तरावीह कैसे आखिर रात में पढ़ी? इस रिवायत से भी साबित हुआ कि आपने रात के हर हिस्से में तरावीह पढ़ी हैं।

अबूदाऊद की रिवायत से जमाअत भी साबित हो रही है, और औरतों की जमाअत भी साबित हो रही है जिसके आप मुन्कर है।

क़यामे रमज़ान का नाम तरावीह भी है

आपका स. नं. 8 :- और इस नमाज़ का नाम तरावीह है दलील पेश करें।

जवाब :- इसका जवाब 2 नं. सवाल के जवाब में गुजर चुका है। एक बार दुबारा से पढ़ लें।

इमाम बुखारी रह. अपनी किताब सही बुखारी में किताब का नाम लिखते है "किताबु सलातित्तरावीह" यानी "नमाज़ तरावीह से मुतअल्लिक़ अहकाम व मसाईल।" (सही बुखारी जि. 2 स. 446)

मौलाना क्या इज्मा को नहीं मानते है जो यह सवाल कर रहे हैं। पूरी उम्मत क़यामे रमज़ान को तरावीह कहती है। हम तरावीह कहते है क्योंकि हम इज्मा उम्मत को मानते है कुरआन हदीस के ताबे आपकी तरह नहीं की जब अपने पसंद की बात है मान लो जब अपने खिलाफ हो छोड़ दो।

वित्र तरावीह के बाद जमाअत से पढ़ने का सबूत

आपका स. नं. 9 व 10 :- वित्र तरावीह के बाद पढ़ना किस हदीस से साबित है।

जमाअत के साथ वित्र पढ़ना किस हदीस से साबित है।

जवाब :- इन दोनों सवालों का जवाब एक ही हदीस में आ गया है। पढ़े :-

जाबिर बिन अब्दुल्लाह से बयान किया, वह फरमाते हैं "एक रमज़ान में नबी

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आठ रकआत और वित्र की नमाज़ पढ़ाई।" (सही इब्ने खुजैमा जि. 2 स. 54 ह. 1070)

दारूल उलूम देवबन्द के बानी मौलाना कासिम नानोतवी ने लिखा है "वित्र समेत ग्यारह का अदद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित वह बीस रकआत के मुक़ाबले में ज़्यादा सहीह है।" (लताइफे क़ासमिया जि. 3 स.8)

इस हदीस में वित्र तरावीह के बाद और जमाअत से पढ़ना दोनों आ गया है।

वित्र के बारे में मेरा एक सवाल

मौलाना स. वित्र के बारे में मेरे एक सवाल का जवाब भी दे दें।

अली रज़िअल्लाहु अन्हु कहते है कि "वित्र ऐसा ज़रूरी नहीं जैसे फर्ज़ नमाज़ हो, लेकिन सुन्नत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुक़र्रर किया है।" (तिर्मिज़ी जि. 1 स. 300 ह. 454)

अली रज़िअल्लाहु अन्हु ने फरमाया "न तो वित्र फर्ज़ है और न ही तुम्हारी फर्ज़ नमाज़ की तरह है अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वित्र नमाज़ अदा फरमाई फिर फरमाया "ऐ कुरआन वालों! वित्र पढ़ा करो! बेशक अल्लाह वित्र है और वित्र को पसंद करता है।"(सही इब्ने खुजेमा जि. 2 स. 52 ह. 1067)

उबादा बिन सामित रज़िअल्लाहु अन्हु से वित्र के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया "(यह एक) अच्छा और उम्दा हुक्म (है) जिस पर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अमल फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों नें भी (इस पर अमल किया) अलबत्ता यह वाजिब नहीं है।" (सही इब्ने खुजेमा जि. 2 स. 53 ह. 1068)

(इमाम इब्ने खुज़ेमा रह. फरमाते हैं) हमें अय्युब बिन इस्हाक ने, वह कहते हैं हमे अबूमाअमर ने, अब्दुल वारिस बिन सईद से बयान किया वह कहते हैं "इमाम अबू हनीफा रह. से मैंने खूद या किसी ने उनसे वित्रों के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया "(वित्र) फर्ज़ हैं।" मैंने कहा या किसी दूसरे ने पूछा कि "फिर फर्ज नमाज़ें कितनी हो गई?" तो उन्होंने फरमाया "पाँच" उनसे दोबारा पूछा गया "आप वित्र के बारे में क्या कहते हैं?" उन्होंने फरमाया "(वह) फर्ज़ (है)....... ।" (सही इब्ने खुजेमा जि. 2 स. 53 ह. 1069)

अब सवाल यह है कि आप वित्र को क्या मानते है फर्ज़ वाजिब या सुन्नत

!!! अगर सुन्नत मानते है तो गैरमुकल्लिद हो जाएंगे क्योंकि आपके इमाम फर्ज़ मानते है। अगर फर्ज़ मानते है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़िअल्लाहु अन्हु के मुन्कर हो जाओगे क्योंकि यह वित्र को सुन्नत मानते है। बकौल तुम्हारे काफिर व बिद्अती बन जाओगे। जैसे कि आपने ख़ुद अपने पर्चे में लिखा मैं नहीं कहा रहा हूँ।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तावील या इन्कार के पहले इस आयत पर गौर करे। अल्लाह तआला का फरमान है:-

"आप (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के हुक्म की मुखालफत करने वालों को इस अम्र से डरना चाहिए कि वह किसी आज़माईश से दो चार न हो जाएें या उन्हें कोई दर्दनाक अज़ाब न आ पहुँचे।"(नूर 24/63)

अल्लाह तआला का फरमान है:-

"और जो शख्स सीधा रास्ता मालूम होने के बाद रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की मुखालफत करे और मोमिनों के रास्ते के सिवा और रास्ते पर चले तो जिधर वह चलता है हम उसे उधर ही चलने देंगे और (क़यामत के दिन) जहन्नम में दाखिल करेंगे और वह बुरी जगह है।"(निसा 4/115)

इस आयत में मोमिनों से मुराद सहाबा किराम रज़िअल्लाहु अन्हु है। अब आप फेसला करे कि किसका क़ौल आप लेंगे।

इमाम अबू हनीफा के क़ौल को रद्द करने के पहले दुर्रे मुख्तार की यह इबारत भी पेशे नजर रखना जिसमें लिखा है "जिसने हमारे इमाम के किसी क़ौल को रद्द किया उस पर रेत के ज़र्रात के बराबर लअनत।" (दुर्रे मुख्तार जि.1 स. मुक़द्मा दुर्रेमुख्तार)

अब क्या बनना पसंद करोगे जवाब जरूर देना। ऊपर पेश की गई सभी रिवायत सही है।

बहुत शोर सुनते थे पहलु में दिल का
जो चीरा तो एक क़तरा खून न निकला

आपका स. नं. 11 :- गैरमुक़ल्लिदीन के नज़दीक तहज्जुद और तरावीह एक ही नमाज़ है। साबित करें।

जवाब :- अहले हदीस की बात तो आप छोड़े आपके अपने मुकल्लिद आलिम अनवर शाह काश्मिरी के नज़दीक भी दोनों एक नमाज़ है। पढ़े अनवर

शाह कश्मिरी ने लिखा है "मेरे नज़दीक मुख्तार (राजेह और क़ाबिले इख्तियार) यह है कि यह दोनों एक ही नमाज़ है।" (फेज़ुल बारी जि. 2 स. 420)

अब आपसे गुजारिश है अपनी शर्त "सही सरीह गैर मआरिज" के मुताबिक एक हदीस पेश कर दे जिसमें मौजूद हो कि आपने पहले 23 रकआत तरावीह पढ़ी और बाद में 11 रकआत तहज्जुद पढ़ी हो। हम मान लेगें कि यह दोनों नमाज़ अलग-अलग है।

और अगर नहीं पेश कर सको तो अपने आलिम की बात को तस्लीम कर लों।

आपका स. नं. 12 :- गैर मुक़ल्लिदीन के नज़दीक 11 महीने तक यह नमाज़ तहज्जुद रही और रमज़ान में तरावीह बन गई।

जवाब :- इसका जवाब तो स. नं. 11 के जवाब में गुजर चुका है बाकी इस हदीस को पढ़ ले जो कि मैंने पहले भी पेश की है इसे फिर पढ़ ले।

अबुसलमा बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत है, उन्होंने आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा से सवाल किया कि "रमज़ान" में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ कैसे हुआ करती थी? उन्होंने फरमाया कि "रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान या गैर रमज़ान में ग्यारह रकआत से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। पहले चार रकआत पढ़ते, उनकी तवालत और खूबी के मुतआल्लिक़ न पूछो। फिर चार रकआत पढ़ते, उनकी खूबी व तवालत के मुतअल्लिक़ भी सवाल न करो। उस के बाद तीन रकआत वित्र पढ़ते थे।" (सही बुखारी जि. 1 स. 679 ह. 1147)

इब्ने हम्माम हनफी लिखते है "रमज़ान में वित्र समेत ग्यारह रकंआत तरावीह सुन्नत हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही अमल था।" (फतहुल क़दीर जि. 2 स. 205)

अब अपने घर की गवाही के बारे में क्या कहते हो।

इस घर को आग लग गई घर के चिराग़ से।

आपका स. नं. 13 :- गैर मुक़ल्लिदीन लोगों को तहज्जुद से रोकते है ये कह कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में तहज्जुद नहीं पढ़ी, जबके तहज्जुद पढ़ना अल्लाह के हुक्म से और तरावीह नबी के हुक्म से।

जवाब :- मेरा सवाल आप पर उधार है उसका जवाब दे दो इन्शाअल्लाह

इसका जवाब खुद आपको मिल जाएगा। आप एक हदीस पेश कर दे जिसमें मौजूद हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 23 रकआत तरावीह पढ़ी और बाद में 11 रकआत तहज्जुद पढ़ी हो। हम दोनों नमाज़े अलग-अलग अदा करने लगेंगे इन्शाअल्लाह और आपके शुक्रगुजार भी रहेंगे कि जो रिवायतें 1400 सालों से पोशिदा है उसे आपने उजागर कर दिया। हदीस सही सरीह और गैर मआरिज़ होनी चाहिऐ।

आपके सवाल के अन्डर लाईन हिस्से का ज़वाब आपकी पेश करदा हदीस नं. 1 के जवाब में आ गया है। वहाँ पढ़ ले।

आपके स. नं. 14 :- गैर मुक़ल्लिदीन खुलाफाए राशेदीन की इक़्तिदा नहीं करते, कौनसी हदीस में है के खुलफाऐ राशेदीन की इक़्तिदा मत करो।

जवाब :- जब एक आदमी के दिल में ही तअस्सुब आ जाए तो उसे किसी में कोई अच्छाई नज़र नहीं आती है। जैसे कि कहावत है "सावन के अन्धे को हरा हरा दिखता है।" यही हाल मुक़ल्लिदीन का हैं वह अहले हदीस के खिलाफ तअस्सुब में इतना अन्धा हो गया है कि उसे हर जगह अहले हदीस में ही ऐब नज़र आता है, ख़ुद का ऐब उसे नज़र नहीं आता। अभी तक मैं तीन मुक़ामत पर देवबन्दियों के 22 अमल पेश कर चुका खुलफाए राशिदीन के अमल के खिलाफ फिर भी हम पर इल्ज़ाम है कि हम इक़्तिदा नहीं करते है। हमारा तो अक़ीदा है कि "हम तमाम सहाबा रज़िअल्लाहु अन्हुमा को अदिल और महबूब मानते हैं। तमाम सहाबा को हिजबुल्लाह और ओलिया अल्लाह समझते हैं, उनके साथ मुहब्बत को जुज़्वे ईमान तसव्वुर करते हैं। जो उनसे बुग्ज़ रखता हैं हम उससे बुग्ज़ रखते हैं।" (जन्नत का रास्ता स. 1)

खुलफाए राशिदीन और सहाबा रजिअल्लाहु अन्हुमा का कौल व अमल मुकल्लिदीन के नज़दीक हुज्जत नही

आईये एक बार फिर नये सिरे से बतलाता हूँ मुक़ल्लिदीन का नज़रिया तमाम सहाबा रज़िअल्लाहु अन्हु के बारें में जिनमें खुलफाए राशिदीन भी शामिल है क्या है? गौर करे कि यह लोग इल्ज़ाम लगाने में कितने आगे हैं।

मैं सबसे पहले जो हवाला नक़्ल कर रहा हूँ वह किसी सड़क छाप मोलवी की बात नहीं है देवबन्दियों के "शैखुल हिन्द" महमूद हसन देवबन्दी की बात है।

महमूद हसन देवबन्दी ने कहा था "बाक़ी फेअले सहाबी वह कोई हुज्जत

नहीं।'' (तक़ारीर शैखुल हिन्द स. 30)

अमल ही नहीं कौल भी हुज्जत नहीं इनके यहाँ। पढ़े दूसरी जगह कहा है ''यह एक सहाबी का क़ौल हनफ़िया पर हुज्जत नहीं हो सकता।'' (तक़ारीर शैखुल हिन्द स. 43)

खलील अहमद सहारनपूरी देवबन्दी ने लिखा है ''और यह सहाबी का मज़हब है, जो किसी एक पर भी हुज्जत नहीं है।'' (बज़लुल महमूद 5/39 ह. 821)

मुक़ल्लिदीन खुलाफाए राशेदीन की इक्तिदा नहीं करते

1) अबूबकर सिद्दीक़ रज़िअल्लाहु अन्हु ''अमामा पर मसह के क़ायल थे।'' (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जि. 1 स. 305, फिक़्ह अबूबकर रज़िअल्लाहु अन्हु स. 270)

जबकि मुक़ल्लिदीन अमामा पर मसह के मुन्कर हैं। (हिदाया जि.1 स. 61 बाब मसह अलल खफ्फैन)

2) अबूबकर सिद्दीक रज़िअल्लाहु अन्हु का फतवा है कि ''गैर शादी शुदा ज़ानी को कोड़े लगा कर एक साल के लिए जिलावतन कर दिया जाएगा।'' (तिर्मिज़ी किताबुल हुदूद, फिक्ह अबूबकर रज़िअल्लाहु अन्हु स. 160, 161)

जबकि मुक़ल्लिदीन इसके बिल्कुल खिलाफ जिलावतनी के क़ायल नहीं हैं। (हिदाया जि.1 स. 512 किताबुल हुदूद)

3) अबू बकर रज़िअल्लाहु अन्हु का फतवा है कि ''मुरतदा (मुरतद होने वाली औरत) को क़त्ल कर दिया जाए।'' (सुनन अल कुबरा लिल बेहकी जि. 8 स. 204, फिक्हा अबूबकर रज़िअल्लाहु अन्हु 143, 144)

जबकि मुक़ल्लिदीन इसके सरासर मुखालिफ है उनका फतवा है कि मुरतदा को क़त्ल नहीं किया जाएगा। (हिदाया जि. 1 स. बाब अहकामुल मुरतद)

4) उमर बिन खत्ताब रज़िअल्लाहु अन्हु ''मरवुज्जा हलाला के सख्त खिलाफ थे बल्कि वह सज़ा देने के क़ायल थे।'' (फिक्ह रज़िअल्लाहु अन्हु उमर स. 497)

जबकि मुक़ल्लिदीन हलाला के क़ायल व फायल हैं।

5) उमर फारूक़ रज़िअल्लाहु अन्हु ''रज़ाअत (दूध पिलाने) में दो साल की मुद्दत के क़ायल थे।'' (फिक्ह उमर रज़िअल्लाहु अन्हु स. 341)

मुक़ल्लिदीन के नज़दीक उसकी मुद्दत ढाई साल है। (तफ्सीर उस्मानी स.

548 सूरह लुक्मान आयत 14 हाशिया 10)

6) खलीफा उमर रज़िअल्लाहु अन्हु "ज़ब" (साडां) खाना जाईज़ समझते थे। यह एक क़िस्म का ज़मीनी जानवर है। (फिक्ह उमर रज़िअल्लाहु अन्हु स. 478)

जबकि मुक़ल्लिदीन उसे मकरूह समझते हैं बल्कि एक क़ौल हुरमत का भी है। (फिक्हुल इस्लामी जि. 3 स. 509)

7) उस्माने गनी रज़िअल्लाहु अन्हु का फतवा है "मुरतदा (मुरतद होने वाली औरत) को क़त्ल कर दिया जाए।" (फिक़्ह उस्मानी रज़िअल्लाहु अन्हु स. 211)

जबकि मुक़ल्लिदीन इसके सरासर मुखालिफ है उनका फतवा है कि मुरतदा को क़त्ल नहीं किया जाएगा। (हिदाया जि. 1 स. बाब अहकामुल मुरतद)

8) क़ौमे लूत का अमल करने वाले शख्स पर खुलफाऐ राशिदीन अमीरूलमोमिनीन उस्मान रज़िअल्लाहु अन्हु की यह हद है उसको क़त्ल कर दिया जाए। (फिक़्ह उस्मानी रज़िअल्लाहु अन्हु 374) और इसी पर सहाबा रज़िअल्लाहु अन्हु का इज्मा है।

मुक़ल्लिदीन इसके मुखालिफ है देखे नसरूलमअबूद (मसअला 2)

9) उस्मान रज़िअल्लाहु अन्हु एक रकआत वित्र के क़ायल व फाएल थे।(फिक्ह उस्मान रज़िअल्लाहु अन्हु स. 280)

जबकि मुक़ल्लिदीन एक रकआत के मुन्कर है। (हिदाया जि.1 स. 144 बाब सलातुल वित्र)

10) अली रज़िअल्लाहु अन्हु जुराबो पर मसह के क़ायल व फाएल थे। (फिक़्ह अली रज़िअल्लाहु अन्हु 95)

जबकि मुक़ल्लिदीन इसके सख्त मुन्कर है।

11) खलिफा राशिद अली रज़िअल्लाहु अन्हु सज्दों के दरम्यान दुआ के क़ायल थे। (फिक़्ह अली रज़िअल्लाहु अन्हु 480)

इसके खिलाफ मशहूर किताब "जामेउस सगीर" में इमाम अबू हनीफा से मन्कूल है कि "और इसी तरह दोनों सज्दों के दरम्यान खामोश रहेगा (दुआ नहीं पढ़ेगा)।" (स. 88)

12) अली रज़िअल्लाहु अन्हु बारह तकबीरात ईदैन के क़ायल थे। सात पहली रकआत में और पाँच दूसरी रकआत में। (फिक़्ह अली रज़िअल्लाहु अन्हु स. 501)

मुक़ल्लिदीन सिर्फ छः तकबीरात के क़ायल व फाएल है। (हिदाया जि. 1 स. 73 बाब ईदैन)

मेरा सवाल अब आपसे है कि बताओ किस हदीस में लिखा है खुलफाए राशिदीन की इक़्तिदा मत करो, उनकी मुखालफत करो और अमल करने वालों को बदनाम करों। अल्लाह का खौफ खाओ। जितने अमल खुलफाऐ राशिदीन के पेश किए गऐ अल्हमदुलिल्लाह अहले हदीस अहले सुन्नत का उस पर अमल है। अब तक में 34 हवाले पेश कर चुका हूँ खुलफाए राशिदीन के जिनके खिलाफ मुक़ल्लिदीन के अमल है।

आपका स. नं. 15 :- पूरी उम्मत सहाबा को मियारे हक़ मानती है, शिया और गैर मुकल्लिदीन नहीं मानती, कौनसी हदीस में है के सहाबा मियारे हक़ नहीं हैं।

जवाब :- आप तो हुज्जत ही नहीं मानते हो इसके कुछ हवाले में आपके स. 14 में दे चुका हूँ कुछ और यहाँ भी पढ़ लो, आपके मार्फत आवाम को भी मालूम हो जाऐगा कि हाथी के दाँत दिखाने के और होते है और खाने के और होते है कि तरह मुक़ल्लिदीन का अमल भी होता है।

देवबन्दियों के इमाम मुल्ला अली क़ारी ने लिखा है "और यह सहाबी का मज़हब है, जो किसी एक पर भी हुज्जत नहीं है।" (मिरक़ातुल मफातीह शरह मिश्कातुल मशाबीह 2/549 ह. 823)

मुहम्मद तक़ी उस्मानी देवबन्दी ने लिखा है "अब सिर्फ हज़रत अबूबकर सिद्दीक रज़िअल्लाहु अन्हु का असर रह जाता है, उसका जवाब यह है कि अव्वल तो इसमें शदीद इज़्तिराब है, दूसरे अगर बिलफर्ज उसे सनदन सही मान भी लिया जाए तो भी वह एक सहाबी का इज्तिहाद हो सकता है, जो हदीसे मरफू के मुक़ाबले में हुज्जत नहीं।" (दर्से तिर्मिज़ी जि. 1 स. 283)

सरफराज़ सफदर देवबन्दी ने लिखा है "हज़रत उबादा बिन सामित ने सही समझा या गलत बहर हाल यह बिल्कुल सही बात है कि हज़रत उबादा रज़िअल्लाहु अन्हु इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने के क़ायल थे और उनकी यही तहक़ीक़ और यही मस्लक व मज़हब था मगर फहम सहाबी और मोकूफे सहाबी हुज्जत नहीं है।" (अहसनुल कलाम जि. 2 स. 142, दूसरा नुस्खा जि. 3 स. 64)

मौलाना ज़करिया देवबन्दी ने कहा "इस तरह बअज़ सहाबा किराम रज़िअल्लाहु

अन्हु से बअज़ बड़ी बड़ी खताऐं सरज़द हो जाने पर कभी भी कोई खिलजान तबीयअत में नहीं आया जबकि मशाईखे इज़्ज़ाम से ऐसी खताओं का सुदूर बईदतर है।" (शरीअत व तरीकृत का तलाजुम स. 11, सवानेह....मुहम्मद ज़करिया स. 278, तसनीफ अबुल हसन नदवी)

अगर कोई कहे कि हमारे मज़हब में सहावी का क़ौल हुज्जत नहीं तो ऐसे शख़्स के बारे में अब्दुल ग़नी तारीक़ लुधयानवी ने लिखा है "आईन्दा ऐसी बात ज़बान से निकाली तो ज़बान खींच कर कुत्ते के सामने डाल दूंगा।" (शादी की पहली दस रातें स. 9)

मैं यह समझता हूँ कि अब आपके सामने यह बात बिल्कुल वाजेह हो गई होगी कि मुक़ल्लिदीन किस को मियार मानते हैं। अल्लाह हमें ऐसी दो रूखी पालीसी से बचाऐ आमीन।

सहाबा रज़िअल्लाहु अन्हुमा के अमल जिन पर मुकल्लिदीन का अमल नहीं

अब आपके सामने सहाबा रज़िअल्लाहु अन्हु के चन्द अमल पेश करता हूँ, ताकि आपको मालूम हो जाए कि मुक़ल्लिदीन का मियारे हक़ का पैमाना क्या है?

1) मसअला तक़लीद

मआज़ बिन जबल रज़िअल्लाहु अन्हु ने फरमाया "अगर आलिम हिदायत पर भी हो तो अपने दीन में उसकी तक़लीद न करो।" (हलियतुल ओलिया 5/97)

अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़िअल्लाहु अन्हु ने फरमाया "तुम अपने दीन में लोगों की तक़लीद न करो।" (सुनन अलकुबरा लिलबेहक़ी 2/10)

मुक़ल्लिदीन तो सहाबा के इन क़ौल के मुखालिफ तक़लीद को वाजिब कहता है। सहाबा रज़िअल्लाहु अन्हु की मुखालिफत कर के मुक़ल्लिद बन गया, और जो सहाबा को मियारे हक़ मान कर तक़लीद न करे उसे गैर मुक़ल्लिदीन कहो बहुत अच्छा इंसाफ है।

2) सूरह फातिहा

अबूहरैरा रज़ि.ने फरमाया "हर नमाज़ में क़िराअत की जाती है।" (सही बुखारी 772, सही मुस्लिम 43/396 व दारूस्सलाम 883)

इब्ने उमर रज़िअल्लाहु अन्हु चारो रकअतो में क़िराअत करते थे। (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 1/371 ह. 3730)

इसके मुक़ाबले में आले तक़लीद कहते हैं कि "चारों रकअतों वाली नमाज़ में आखरी दो रकअतों में क़िराअत न की जाए तो नमाज़ हो जाती है।" (कुदूरी बाब नवाफिल स. 23,24)

3) आमीन बिलजेहर

नाफेअ रह. से रिवायत है कि "इब्ने उमर रज़िअल्लाहु अन्हु जब इमाम के साथ होते तो सूरह फातिहा पढ़ते। फिर लोग आमीन कहते (तो) इब्ने उमर रज़िअल्लाहु अन्हु आमीन कहते और इसे सुन्नत समझते थे। (सही इब्ने खुज़ैमा 1/287)

सही बुखारी में तअलीक़न रिवायत है कि अता (बिन अबी रबाह रह.) ने फरमायाः "आमीन दुआ है" इब्ने अल ज़ुबैर रज़िअल्लाहु अन्हु और उनके मुक़्तदीयों ने आमीन कही यहाँ तक की मस्जिद गूँज उठी। (किताबुल आज़ान 780 हदीस के पहले)

मुकल्लिदीन आमीन बिलजेहर के मुन्कर है।

4) मसला रफयदैन

मशहूर ताबई नाफेअ रह. फरमाते है कि "वह (इब्ने उमर रज़िअल्लाहु अन्हु) जनाज़े की हर तकबीर के साथ रफायदैन करते थे।" (मुसन्नफ इब्ने अबी शेबा 3/296 ह. 11380)

इसके मुक़बले में मुक़ल्लिद जब नमाज़े जनाज़ा पढ़ते हैं तो हर तकबीर के साथ रफायदैन नहीं करते।

5) नमाज़े जनाज़ा में सूरह फातिहा

तल्हा बिन अब्दुल्लाह बिन औफ रह. (ताबई) से रिवायत है "मैंने इब्ने अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हु के पीछे नमाज़े जनाज़ा पढ़ी तो उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ी। इब्ने अब्बास रज़ि. ने फरमाया "ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि यह सुन्नत है।" (सहीं बुखारी 1335)

इसके मुक़ाबले में आले तक़लीद नमाज़े जनाज़ा में सूरह फातिहा नहीं पढ़ते और कहते हैं कि जनाज़े में सूरह फातिहा बतोर क़िराअत (कुरआन समझ कर) पढ़ना जायज़ नहीं है।

6) नमाज़े फजर का वक्त

उमर रज़िअल्लाहु अन्हु ने अबुमूसा अशअरी रज़िअल्लाहु अन्हु को हुक्म

दिया

"सुबह की नमाज़ पढ़ो और सितारे साफ गहरे हुए हों।" (मूताअ इमाम मालिक 1/2 ह. 6)

इसके मुक़ाबले में मुक़ल्लिदीन सूबह की नमाज़ खूब रोशनी में पढ़ते हैं।

तम्बीह : जिस रिवायत में आया है कि सुबह की नमाज़ खूब रोशनी में पढ़ों, वह मन्सूख है। देखे अननासिख वल मन्सूख लिलहाज़मी 77

7) तअदीले अरकान

हुजैफा रज़िअल्लाहु अन्हु ने एक शख़्स को देखा जो रूकू व सुजूद सही तरीके से नहीं कर रहा था तो फरमाया "तूने नमाज़ नहीं पढ़ी और अगर तू मर जाता तो इस फितरत पर न मरता जिस पर अल्लाह तआला ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मामूर किया था।" (सही बुखारी 791)

इसके मुक़ाबले मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि तअदीले अरकान फर्ज़ नहीं हैं। देखे हिदाया (1/106,107)

8) जुराबों पर मसह

अली रज़िअल्लाहु अन्हु ने पेशाब किया फिर वुज़ू किया और जुराबों पर मसह किया। (अलओवस्त लि इब्ने मुनजिर 1/462)

बराअ बिन आज़िब रज़िअल्लाहु अन्हु ने जुराबों पर मसह किया। (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 1/189 ह. 1984)

ऊक़बा बिन उमर रज़िअल्लाहु अन्हु ने जुराबों पर मसह किया। (इब्ने अबी शैबा 1/189 ह. 1987)

सहल बिन सईद रज़िअल्लाहु अन्हु ने जुराबों पर मसह किया (इब्ने अबी शैबा 1/189 ह. 1990)

अबू उमामा रज़िअल्लाहु अन्हु ने जुराबों पर मसह किया। (इब्ने अबी शैबा 1/188 ह. 1979)

इन आसार के मुक़ाबले में मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि जुराबों पर मसह करना जायज़ नहीं है।

10) नमाज़ में सलाम और उसका जवाब

अब्दुल्लाह बिन उमर रज़िअल्लाहु अन्हु ने एक आदमी को सलाम किया और वह नमाज़ पढ़ रहा था उस आदमी ने ज़बान से जवाब दे दिया तो इब्ने उमर

रज़िअल्लाहु अन्हु ने फरमाया "जब किसी आदमी को सलाम किया जाए और वह नमाज़ पढ़ रहा हो तो ज़वान से जवाव न दे बल्कि हाथ से इशारा करे।" (सुनन अल कुबरा लिल बैहक़ी 2/259, मुसन्नफ इब्ने अवी शैवा 2/74 ह. 4816)

इसके मुक़ावले में मुक़ल्लिदीन के नज़दीक हालाते नमाज़ में सलाम करना और उसका जवाब देना सही नहीं है।

11) सज्दा तिलावत

उमर रज़िअल्लाहु अन्हु ने जुमा के दिन खुत्बा दिया "ऐ लोगो! हम सज्दों (वाली आयतों) से गुज़रते हैं, पस जिसने सज्दा किया तो सही किया और जिसने सज्दा न किया तो उस पर कोई गुनाह नहीं है और उमर रज़िअल्लाहु अन्हु ने सज्दा नहीं किया। (सही बुखारी 1077)

इस फारूक़ी हुक्म से मालूम हुआ कि सज्दा तिलावत वाज़िब नहीं है जबकि उसके बरअक्स मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि सज्दा तिलावत वाजिब है।

12) एक वित्र

अबू अय्युब अन्सारी रज़िअल्लाहु अन्हु ने फरमाया "वित्र हक़ है, जो शख्स पाँच रकआत वित्र पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, जो तीन रकआत वित्र पढ़ना चाहे तो पढ़ ले और जो एक रकआत वित्र पढ़ना चाहे तो पढ़ ले।" (सुनन अलसुगरा लिलनसाई 3/238,239 ह. 1713, सुनन अल कुबरा लिलनसाई 443)

साअद बिन अबी वक़ास रज़िअल्लाहु अन्हु को एक सहाबी ने एक रकआत वित्र पढ़ते हुए देखा। (सही बुखारी 6356)

माविया रज़िअल्लाहु अन्हु ने ईशा के बाद एक वित्र पढ़ा। (सही बुखारी 3764)

उस्मान बिन अफ्फान रज़िअल्लाहु अन्हु ने एक रकआत पढ़ कर फरमाया कि यह मेरा वित्र है। (सुनन अलकुबरा लिल बेहक़ी 3/25)

इन के अलावा और भी बहुत से आसार हैं जिनमें से बाज़ को नोमवी हनफी ने सही या हसन क़रार दिया है। देखे आसार सुनन बाव वित्र।

इन आसार की मुखालफत करते हुए मुक़ल्लिदीन एक वित्र पढ़ना सही नहीं समझते।

13) तीन वित्र दो सलामों से पढ़ना

अब्दुल्लाह बिन उमर रज़िअल्लाहु अन्हु वित्र की एक रकआत और दो

रकअतों में सलाम फेरते थे। (सही बुखारी 991)

मुक़ल्लिदीन इस तरीके से वित्र पढ़ने को जायज़ नहीं समझते।

14) बिस्मिल्लाहिर्रिमार्रहीम जहरन पढ़ना

अब्दुर्रहमान बिन अबज़ा रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने उमर रज़िअल्लाहु अन्हु के साथ नमाज़ पढ़ी, आपने बिस्मिल्लाह बिलजहर (ऊँची आवाज़ से) पढ़ी। (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 1/412 ह. 4757, शरह मआनी उल आसार 1/137 सुनन अल कुबरा लिल बैहक़ी 2/48)

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हु और अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर रज़िअल्लाहु अन्हु से भी बिस्मिल्लाह जहरन पढ़ना साबित है। (जुज़ अलखतीब व सहीहुज जहबी फी मुख्तसर अलजहर बिलबसमलतुल लिलखतीब स. 180 ह. 41)

इन आसार के बरअक्स मुक़ल्लिदीन के नज़दीक नमाज़ में बिस्मिल्लाह जहर से पढ़ना जायज़ नहीं है।

15) तकबीराते ईदैन

नाफेअ रह. से रिवायत है कि मैंने अबूहुरैरा रज़िअल्लाहु अन्हु के पीछे ईदुलअज़्ज़हा और ईदुल फ़ित्र की नमाज़ पढ़ी, आपने पहली रकआत में सात तकबीरें कहीं और दूसरी में पाँच। (मूताअ इमाम मालिक 1/180 ह. 435)

बारह तकबीरात अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हु से भी साबित हैं। (अहकामुल ईदि लिल फरयाबी 127)

इन आसार के मुक़ाबले में मुक़ल्लिदीन बारह तकबीरात ईदैन पर कभी अमल नहीं करते।

16) बारिश में दो नमाज़ें जमा करना

इब्ने उमर रज़िअल्लाहु अन्हु बारिश में दो नमाज़ें जमा करके पढ़ लेते थे। (मूताअ इमाम मालिक 1/145 ह. 329)

इसके सरासर खिलाफ मुक़ल्लिदीन बारिश में दो नमाज़ें जमा करके पढ़ने को कभी ज़ायज़ नहीं समझते।

17) पगड़ी पर मसह

अनस बिन मालिक रज़िअल्लाहु अन्हु अमामे पर मसह करते थे। (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 1/22 ह. 224)

अबू उमाम रज़िअल्लाहु अन्हु ने अमामे पर मसह किया। (इब्ने अबी शैबा

1/22 ह. 222)

इन आसार से मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स अमामे पर मसह करना चाहे तो जायज़ है। इसके मुक़ाबले में आले तक़लीद कहते हैं कि अमामे पर मसह जायज़ नहीं है।

18) सफर में दो नमाज़े जमा करना

अबू मूसा अशअरी रज़िअल्लाहु अन्हु सफर में ज़ोहर व असर और मग्रिब व ईशा की नमाज़ें जमा कर के पढ़ते थे। (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 2/457 ह. 8235)

सअद बिन अबी वक्कास रज़िअल्लाहु अन्हु भी जमा बैनस-सलातीन फी सफर के क़ायल थे। (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 2/457 ह. 8234)

इन आसार के खिलाफ मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि सफ़र में दो नमाज़ें जमा करना जायज़ नहीं है।

19) ऊँट का गोश्त खाने से वुजू

जाविर बिन सुमरा रज़िअल्लाहु अन्हु फरमाते हैं "हम ऊँट का गौश्त ख़ाने से वुजू करते थे। (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 1/46 ह. 513)

इसके मुक़ाबले में मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि ऊँट का गौश्त खाने से वुजू नहीं टूटता।

तम्बीह : जिस रिवायत में आया है कि इब्ने उमर रज़िअल्लाहु अन्हु ने ऊँट का गोश्त खाया और वुजू नहीं किया। (इब्ने अबी शैबा 1/47 ह. 515) यह रिवायत यह्या बिन कैस अत्ताइफी की जहालते हाल की वजह से जईफ है। यह्या मज़कूर को इब्ने हिब्बान के सिवा किसी ने सिक़ा नहीं कहा। वल्लाहु आलम।

20) अपनी बीवी का बोसा लेना और वुजू?

अब्दुल्लाह बिन उमर रज़िअल्लाहु अन्हु ने फरमाया "बोसा लेने में वुजू है।"(सुनन दारे कुत्नी 1/145 ह. 513)

इसके मुक़ाबले में मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि बोसा लेने में वुजू नहीं है।

21) नमाज़ का इख्तिताम सलाम से

अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़िअल्लाहु अन्हु ने फरमाया "नमाज़ की चाबी तहारत, इसका एहराम (आग़ाज़) तकबीर और इख्तिताम सलाम से है।" (सुनन अलकुबरा लिलबैहक़ी 2/16)

इसके बरअक्स मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि नमाज़ से खुरूज सलाम के अलावा किसी और मनाफी सलात अमल से भी हो सकता है। देखे अलमुख्तसर लिलकुदूरी (स. 22 बाब जुमाअ)

22) नमाज़े जनाज़ा में सिर्फ एक तरफ सलाम फेरना

नाफेअ रह. से रिवायत है कि इब्ने उमर रज़िअल्लाहु अन्हु जब नमाज़े जनाज़ा पढ़ते तो रफायदैन करते फिर तकबीर कहते, फिर जब फारिग होते तो दाँयें तरफ एक सलाम फेरते थे। (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 3/307 ह.11491)

इसके बरअक्स मुक़ल्लिदीन के नज़दीक जनाज़ा में सिर्फ एक तरफ सलाम फेरना सही नहीं है।

23) नमाज़े जुमा में क़िराअते सूरह आला में "सुब्हान रब्बियल आला" कहना

आमिर बिन सईद रह. से रिवायत है "मैंने अबू मूसा (अशअरी रज़िअल्लाहु अन्हु) के साथ जुमे के दिन नमाज़ पढ़ी तो उन्होंने "सब्बिहिस्म रब्बिकल आला" की क़िराअत के बाद नमाज़ में "सुब्हान रब्बियल आला" पढ़ा। (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 2/508 ह. 8640)

अब्दुल्लाह बिन जुबेर रज़िअल्लाहु अन्हु ने "सब्बिहिस्म रब्बिकल आला" की क़िराअत के बाद नमाज़ में "सुब्हान रब्बियल आला" पढ़ा। (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 2/509 ह. 8646)

इसके बरअक्स मुक़ल्लिदीन का इस पर अमल नहीं है बल्कि उनके आम इमाम नमाज़े जुमा में सूरह आला की क़िराअत नहीं करते।

24) नाबालिग़ बच्चे की इमामत

उमर बिन सलमा से रिवायत है कि लोगों ने मुझे इमाम बनाया मैं छः या सात साल का (बच्चा) था। (सही बुखारी 4302)

इसके खिलाफ मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि नाबालिग़ बच्चे की इमामत मकरूह या नाजायज़ है।

25) सफ में साथ वाले के कन्धे से कन्धा और क़दम से क़दम मिलाना

अनस बिन मालिक रज़िअल्लाहु अन्हु सफबन्दी के बारे में फरमाते हैं "और हमसे हर एक अपने साथी के कन्धे से कन्धा और क़दम से क़दम मिलाता था।"(सही बुखारी 725)

इसके मुक़ाबले में मुक़ल्लिदीन इस अमल की सख़्त मुखालिफत करते हैं और एक दूसरे से दूर खड़े होते हैं।

26) नमाज़े ज़ुहर में एक आयत जेहरन पढ़ना

हुमैद अत्तवील रह. से रिवायत है "मैंने अनस रज़िअल्लाहु अन्हु के पीछे ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी, आपने सूरह आला पढ़ी और हमें एक आयत सुनाने लगे।" (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 1/362 ह. 3643)

आले तक़लीद इसके क़ायल नहीं हैं।

27) नमाज़ में दोनों हाथ ज़मीन पर रख कर उठना

अबूक़लाबा रह. ने अम्र बिन सलमा रज़िअल्लाहु अन्हु और मालिक बिन हुवैरिस रज़िअल्लाहु अन्हु के बारे में फरमाया "जब वह दूसरे सज्दे से सर उठाते, बैठ जाते और ज़मीन पर (हाथों से) एतमाद करते फिर खड़े हो जाते। (सही बुखारी 824)

अज़रक़ बिन क़ैस रह. ने फरमाया "मैंने इब्ने उमर रज़िअल्लाहु अन्हु को देखा, आप नमाज़ में अपने दोनों हाथ ज़मीन पर टेक कर खड़े होते।" (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 1/395 ह. 3996)

इसके बरअक्स आले तक़लीद हाथ टेके बग़ैर और बैठने के बग़ैर नमाज़ में खड़े हो जाते हैं।

28) सूरह हज में दो सज्दे

उमर रज़िअल्लाहु अन्हु ने सूरह हज की तिलावत फरमाई तो उसमें दो सज्दों किए। (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 2/11 ह. 4288)

इब्ने उमर रज़िअल्लाहु अन्हु भी सूरह हज में दो सज्दों के क़ायल थे। (सुनन अल कुबरा लिल बैहक़ी 2/318)

इन आसार के मुक़ाबले में आले तक़लीद सिर्फ एक सज्दे के क़ायल हैं दूसरे सज्दे के बारे में कहते हैं "सज्दा इन्दल शाफई" (शाफई के नज़दीक सज्दा)।

29) नफ्ल नमाज़ में कुरआन मजीद देख कर तिलावत करना

आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा का गुलाम रमज़ान में कुरआन देख कर उन्हें नमाज़ पढ़ाता था। (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 2/216)

अनस रज़िअल्लाहु अन्हु नमाज़ पढ़ते तो उनका गुलाम कुरआन पकड़े हुए लुक़्मा देता था। (इब्ने अबी शैबा 2/338)

इसके मुक़ाबले में मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि कुरआन मजीद देख कर नमाज़ पढ़ने से नमाज़ फासिद हो जाती है।

30) फर्ज़ नमाज की इक़ामत के बाद सुन्नतें और नफले पढ़ना

अबूहुरेरा रज़िअल्लाहु अन्हु ने फरमाया "जब नमाज़ की इक़ामत हो जाए तो फर्ज़ नमाज़ के अलावा दूसरी नमाज़ नहीं होती। (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 2/76 ह. नं. 4841)

इसके खिलाफ मुक़ल्लिदीन सुबह फजर में सुन्नते पढ़ते रहते हैं और फर्ज़ नमाज़ हो रही होती है।

31) खुत्बा जुमा के दौरान में दो रकअतें पढ़ना

अबू सईद खुदरी रज़िअल्लाहु अन्हु ने खुत्बे के दरम्यान दो रकअतें पढ़ी। (सुनन तिर्मिज़ी 511, मसनद हुमैदी 741)

इसके मुक़ाबले में मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि खुत्बे के दौरान में दो रकअतें नहीं पढ़नी चाहिए। कुछ मस्जिदों में तो यह तक लिखा है कि जुमे की तकरीर के दरम्यान भी नमाज़ न पढ़े।

32) नमाज़े मग्रिब की आज़ान के बाद फर्ज़ नमाज़ से पहले दो रकअतें पढ़ना

उबई बिन कअब रज़िअल्लाहु अन्हु और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़िअल्लाहु अन्हु मग्रिब की नमाज़ से पहले दो रकअतें पढ़ते थे। (मुश्कलुल आसार लिल तहावी, तोहफतुल अखयार 2/274 ह. 913)

अनस बिन मालिक रज़िअल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मग्रिब से पहले दो रकअतें पढ़ते थे। (सही बुखारी 625)

इसके खिलाफ मुक़ल्लिदीन मग्रिब की आज़ान होते ही नमाज़े फर्ज़ के लिए खड़े हो जाते है ना खुद पढ़ते है न दूसरे को पढ़ने देते है।

33) सफर में पूरी नमाज़ पढ़ना

आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा सफर में पूरी नमाज़ पढ़ती थी। (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 2/452 ह. 818)

इसके बरअक्स मुक़ल्लिदन कहते हैं कि सफर में पूरी नमाज़ जायज़ नहीं है।

34) नमाज़े जनाज़ा जेहरन पढ़ना

तल्हा बिन अब्दुल्लाह बिन औफ रह. से रिवायत है कि इब्ने अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हु ने एक जनाज़े पर सूरह फातिहा और एक सूरत जेहरन पढ़ी फिर फरमाया "यह सुन्नत है और हक़ है।" (सुनन नसाई 4/74 ह. 989)

इसके खिलाफ मुक़ल्लिदीन जेहरी नमाज़े जनाज़ा के सिरे से क़ायल ही नहीं बल्कि सख्त मुखालिफत करते हैं।

35) नमाज़े नजाज़ा के बाद दूसरी नमाज़े जनाज़ा

आसिम बिन उमर रज़िअल्लाहु अन्हु की वफात के तक़रीबन तीन दिन बाद अब्दुल्लाह बिन उमर रज़िअल्लाहु अन्हु ने उनकी क़ब्र पर जा कर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 3/361 ह. 11939)

इसके खिलाफ मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि मय्यत की एक नमाज़े जनाज़ा होने के बाद दूसरी नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़नी चाहिए।

36) खून निकलने वे वुज़ू का न टूटना

जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्सारी रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत है के एक अन्सारी सहाबी को तीर लगा, वह नमाज़ पढ़ रहे थे, उन्होंने तीर निकाला और नमाज़ पढ़ते रहे...। (सुनन अबी दाऊद 198, सही इब्ने खुजैमा 36)

इसके बरअक्स मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि खून निकलने से वुज़ू टूट जाता है।

37) जुमा के दिन नमाज़े ईद के बाद नमाज़े जुमा के बारे में सहाबी रज़िअल्लाहु अन्हु का अमल

अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़िअल्लाहु अन्हु ने ईद वाले दिन ईद की नमाज पढ़ाई और उस दिन नमाज़े जुमा नहीं पढ़ाई। यह बात जब इब्ने अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हु के सामने ज़िक्र की गई तो उन्होंने फरमाया "उन्होंने सुन्नत पर अमल किया है।" (सुनन नसाई 3/194 ह. 1593, इब्ने खुजैमा 1465)

इसके बरअक्स मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि अगर जुमा के दिन ईद हो तो नमाज़े ईद और नमाज़े जुमा दोनों पढ़ना ज़रूरी हैं।

यह अमल और इसके पहले खुलफाए राशिदीन के अमल भी गुजर चुके है जिन पर गिरोह मुक़ल्लिदीन का अमल नहीं फिर किस तरह दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हो?

मोलवी स. किस तरह आप सहाबा को मियारे हक़ मानते है। ऊपर लिखे आपके मोलवीयों के कौल से साबित हुआ आप सहाबा किराम रज़िअल्लाहु अन्हु

को हुज्जत नहीं मानते और सहाबा के अमल पर आपका अमल नहीं है तो किस तरह यह गुत्थी समझ में नहीं आ रही है। सिर्फ झूठ बोल कर दूसरे को बदनाम करना ही क्या आप लोगों ने सिखा है कुछ अपने आपको भी देखों। अल्लाह हाकिम कयामत के दिन ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब लेगा उस दिन क्या करोगे।

20 रकआत पर इज्मा का झूठा दावा

आपका स. नं. 16 :- हज़रत उमर रज़िअल्लाहु अन्हु और तमाम सहाबा का 20 रकआत तरावीह पर इज्मा है, और आज तक पूरी उम्मत 20 रकआत तरावीह पढ़ती आ रही है। और गैर मुकल्लिदीन नहीं पढ़ते, क्यों?

जवाब :- इस सवाल का जवाब ऊपर गुजर चुका कि न तो उमर रज़िअल्लाहु अन्हु से साबित है न ही सहाबा किराम रज़िअल्लाहु अन्हु का इज्मा है। पूरी उम्मत की बात तो दूर की है आपके अपने आलिमों ने ही 20 रकआत तरावीह को सुन्नत नहीं माना है इसके बारे में 29 हवाले दे चुका हूँ जो पहले गुजर चुके है। अब दो हवाले और दे रहा हूँ पढ़े और गौर करे। और अपने झूठ से तौबा करे।

शैख अब्दुल हक़ देहलवी जिनकी तहक़ीक़ अहनाफ के लिए सनद है। किताब "मा सबत बिसुन्नाह" में लिखते हैं कि :-

"अमीरूलमोमिनीन उमर बिन अब्दुलअज़ीज़ के ज़माने में बाज़ सलफ सालिहीन ग्यारह रकआत तरावीह पढ़ते थे खुसूसन इस नियत के साथ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशाबहत का शर्फ हासिल हो।"

इस इबारत से चन्द बातें मालूम हुईः-

(1) कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्यारह रकआत ही पढ़ते थे।

(2) आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीं मुशाबहत और मुताबिक़त का शर्फ सिर्फ और सिर्फ ग्यारह रकआत पढ़ने में है।

(3) जब कि मोलाना सा. का यह गुमान भी खत्म हुआ कि उमर रज़िअल्लाहु अन्हु ने बीस मुक़र्रर की थी और आखिर तक यही बीस ही रहीं। बल्कि इसके बरअक्स साबित हुआ कि उमर रज़िअल्लाहु अन्हु के बाद सलफ सालिहीन ने ग्यारह रकआत पढ़े थे क्योंकि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह. का ज़माना उमर बिन खत्ताब रज़िअल्लाहु अन्हु के बहुत बाद का है।

तम्बीह :- यह एतराज़ करना गलत होगा कि इस बात का अमीरूलमोमिनीन अब्दुल अज़ीज़ को इल्म था या नहीं क्योंकि यह हमारा दावा नहीं है बल्कि हम

सिर्फ यह साबित करना चाहते हैं कि उमर रज़िअल्लाहु अन्हु के बाद सलफ सालिहीन भी आठ रकआत ही पढ़ते थे, नीज़ इमामुल मग़ाज़ी मुहम्मद बिन इस्हाक़ जो कि तबा ताबईन में से हैं उन्होंने भी फजर की सुन्नतों के साथ तेरह रकआत को इख्तियार किया है। (क़यामुल लैल लिल मरूज़ी स. 19)

इमाम इब्ने क़य्युम जौजी रह. लिखते हैं कि :-

"रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज़ ग्यारह या तेरह रकआत हैं जैसाकि इब्ने अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हु और आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा से मरवी है और बुखारी वाली रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में ग्यारह से ज्यादा रकआत नहीं पढ़ते थे और तेरह रकआत फजर की सुन्नतों के साथ हैं जैसाकि सही मुस्लिम की हदीस में ज़िक्र है।" (ज़ादुल मआद जि. 1 कि.2 स. 39, मक्तबा थानवी)

अब एक एतराफ पढ़ लो जो तुम्हारे बहुत बड़े आलीम ने किया है। हो सकता है पढ़ने के बाद उनको आलीम ही नहीं मानों तअस्सुब में आ कर लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, जब आपने झूठा दावा किया है तो मुझे उसको सही दलील से रद्द तो करना ही है।

अनवर शाह काश्मिरी ने लिखा है :-

"यानी इस बात को कुबूल किऐ बगैर कोई चारा नहीं और न ही कोई फरार का रास्ता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आठ रकआत तरावीह पढ़ी है उसके अलावा बीस रकआत वाली रिवायत ज़ईफ है।" (उरफुश्शुज़ी अला जामे तिर्मिज़ी जि.3 स.229)

आपकी बात आपको ही लोटा रहा हूँ कुछ तरमीम के बाद 8 रकआत तरावीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी सहाबा रज़िअल्लाहु अन्हु ने पढ़ी और हनफी औलमा भी इकरार करते हैं। फिर मुक़ल्लिदीन नहीं पढ़ते, क्यों?

20 रकआत पर सारी उम्मत का अमल है का झूठा दावा

आपका स. नं. 17 :- सारी उम्मत नबी के फरमान के मुताबिक 20 रकआत तरावीह पर अमल करती आ रही है और गैर मुकल्लिदीन मुफ्ती मो. हुसैन बट्टालवी अंग्रेज ऐजेंट के फतवे 8 रकआत तरावीह पर अमल कर रहीं है, क्यों?

जवाब :- सारी उम्मत की तरफ झूठ क्यों मन्सूब कर रहे हो सिर्फ हनफी

मुकल्लिदीन 20 रकआत पढ़ते हैं। और अब उनमें से भी कई लोग जिनके पास सही हदीसे पहुँच चुकी है 8 रकआत पढ़ने लगे है और सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने लगे है।

सारी उम्मत अमल नहीं कर रही इसकी कुछ दलील तो पहले गुजर चुकी है, अब आपके सामने बाकी तीन मसलकों की तरावीह की रकआत के बारे में दलीले पेश है :-

अल्लामा हमवी शाफई लिखते है :-

"रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावीह में बीस रकआत नहीं पढ़ीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आठ रकआत पढ़ी हैं।"(शरहुल असबाह वन्नजाइर बहवाला मक़ालाते राशिदीया जि. 3 स. 133,134)

इमाम अहमद बिन हम्बल रह. ने ग्यारह रकआत की इजाज़त दी है। (अल मसवा शरह मूअत्ता लि शाह वलीउल्लाह देहलवी स. 174 जि. 1)

इमाम मालिक रह. फरमाते हैं कि :-

"उमर रज़िअल्लाहु अन्हु ने तरावीह के जिस अदद पर लोगों का इज्मा कराया और उस पर उन्हें जमा किया वह अदद मुझे महबूब और पसंद है और वह ग्यारह रकआत वाला है यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ थी उनसे पूछा गया कि ग्यारह रकआत वित्र के साथ मुराद हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ और तेरह रकआत भी उनके क़रीब हैं (कि उनमें फजर की सुन्नत वाली दो रकअतें भी दाखिल हैं)। या तो फिर वित्र की रकआत पाँच थी। इमाम मालिक रह. फरमाते हैं कि पता नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल अदद यानी ग्यारह रकआत सें ज़्यादा रकआत लोगों ने कहाँ से बना ली हैं।" (अलहावा लिल फतावा स. 350 जि. 1)

इमाम मालिक रह. की इस इबारत से बड़ी अहम बातें मालूम हुई हैं वह भी लगे हाथ हम समझ लें :-

1) उमर रज़िअल्लाहु अन्हु ने लोगों को ग्यारह रकआत ही पढ़ने पर जमा किया था।

2) यह कि मुअत्ता में उमर रज़िअल्लाहु अन्हु से दो क़िस्म की ग्यारह और बीस वाली जो रिवायत मिलती है उनमें से सही और राजेह ग्यारह रकआत वाली है इसलिए इस रिवायत को तरजीह देते हुए इसी अदद को उमर रज़िअल्लाहु अन्हु की तरफ मन्सूब

कर दिया हैं।

3) यह कि यही अदद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था।

4) यही "मा अना अलेयहि व असहाबी" वाला तरीक़ा है। क्योंकि यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़िअल्लाहु अन्हु का मुत्तफ़क़ अलेय अमल है।

5) यह कि इमाम मालिक रह. के नज़दीक भी यही अदद मुख़्तार है और मालकिया के मज़हब में भी यही सही है।

6) यह कि इस अदद के अलावा अहदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहदे सिद्दीक़ी और अहदे फारूक़ी में कोई और अदद साबित नहीं।

7) यह कि अहले मदीना का भी यही अमल था क्योंकि इमाम मालिक रह. का यही उसूल था कि वह ज़्यादा तर मसाईल में अहले मदीना के अमल को तरजीह देते थे और उसी को इख़्तियार करते थे।

आपने लिखा है "नबी के फरमान के मुताबिक" यह बात कारईने किराम अच्छी तरह जानते है कि फरमान कौल या हुक्म को कहते हैं मैं मोलवी स. से गुज़ारिश करूंगा कि वह एक ही हदीस दे दें जिसमें 20 रकआत तरावीह के बारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो "कि 20 रकआत तरावीह पढ़ो रमज़ान में" अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मन्सूब करने के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी सज़ा का ज़िक्र में पहले ही कर चुका हूँ अब आप सोच लें अपना अंजाम।

अंग्रेज का ऐजेन्ट कौन?

अब आपका इल्ज़ाम अंग्रेज ऐजेन्ट का जवाब भी पढ़ लो मैंने इसके पहले आपसे वादा कियास था कि जितनी बार हमें या हमारे ओलमाए किराम को अंग्रेज़ का ऐजेन्ट बोलोगे इन्शाअल्लाह उतनी बार नऐ हवाले के जरिए साबित करूंगा कि अंग्रेज़ का ऐजेन्ट कौन है? तो अब पढ़ो नये हवाले और इन्साफ के साथ फैसला करो कि कौन है अंग्रेज का ऐजेन्ट? अहले हदीस के खिलाफ कोई भी ऐसे हवाले कभी पेश नहीं कर सकता इन्शाअल्लाह तआला सिर्फ इल्ज़ाम लगा सकता है।

अमीन ऊकाड़वी ने लिखा है "19 सितम्बर 1857 ई. को अंग्रेज़ देहली पर

क़ाबिज़ हुआ।" (तजल्लियाते सफदर 6/503)

अब जरा यह भी देख लो कि देवबन्द मदरसा कब क़ायम हुआ?

अमीन ऊकाड़वी ने लिखा है " और दारूलउलूम देवबन्द की बुनियाद 15 मुहर्रम 1383 हि. मुताबिक 1867 को... रखी गई।" (तजल्लियाते सफदर 6/541)

मुहम्मद ज़फरूददीन "मुफ्ती दारूलउलूम" देवबन्द ने लिखा है "दारूलउलूम देवबन्द अंग्रेज़ी दोरे हुकूमत का सबसे पहला इस्लामी मदरसा है, जो हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुहम्मद क़ासिम नानोतवी रह. की तहरीक और हज़रत हाजी इमदादुलह मुहाजिर मक्की के मशवरा और मुक़ामी औलमा के तावुन से क़ायम हुआ।" (अशरफल जवाब स. 5)

जरूरी ज़मीन और चन्दा किसने दिया था यह हवाला मैं पहले पेश कर चुका हूँ दोबारा से पेश कर रहा हूँ पढ़े।

देवबन्दी "मुफ्ती" मुहम्मद सईद ख़ान ने कहा "दारूल उलूम देवबन्द की जो पहली तामीर हुई है उसके लिए ज़रूरी अराज़ी (जमीन) दारूलउलूम को अग्रेंजी हुकूमत ने अता की थी। न सिर्फ यह बल्कि इसकी तासीस (निर्माण) में अग्रेंज़ी हुकूमत के कारिन्दे भी शरीक थे।" (माहनामा सफदर गुजरात, सुमारा नं. 14 स. 20)

पी सी पगाट नामी एक अंग्रेज़ लिखता है :-

"मुझको आज मदरसा अरबिया देवबन्द के मुआयने से गैर मामूली मसर्रत हुई.... मैं निहायत खूशी से अपना नाम चन्दा देहन्दगान में शामिल करता हूँ। पी सी पगाट, जाईन्ट मजिस्ट्रेट सहारनपूर 6 अप्रेल 1897 ई.।" (मुकमिल तारीख दारूल उलूम देवबन्द जि. 2 स. 349)

इन हवालों को पढ़ने के बाद आप खुद फैसला करे अंग्रेज़ो की पैदावर कौन है?

एक अंग्रेज़ ने जब मदरसा देवबन्द का मुआयना किया तो मदरसे के बारे मे निहायत अच्छे ख्यालात का इज़हार करके लिखा :-

"यह मदरसा खिलाफे सरकार नहीं बल्कि मुवाफिक सरकार ममदु मुआविन सरकार है।" (मुहम्मद अहसन नानौतवी अज़ मुहम्मद अय्युब क़ादरी स. 217, फखरूल ओलमा स. 60)

अंग्रेज़ सरकार के इस मुवाफिक् (हिमायत व मुवाफिक़त करने) ममदु (मदद

करने वाले) और मुआविन (तावुन करने वाले) मदरसे के बारे में यह एक अहम हवाला है जिसे देवबन्दियों ने बज़ाते खुद लिखा है कोई तरदीद नहीं की।

अब अगर कोई शक है कि अंग्रेज़ का ऐजेन्ट कौन है? तो लो और भी कुछ हवाले पेश कर देता हूँ पढ़े।

देवबन्दी मोलवी फज़लुर्रहमान गंज मुरादाबादी ने एक दिन कहा:-

"लड़ने का क्या फायदा? खिजर को तो मैं अंग्रेजों की सफ में पा रहा हूँ।" (हाशिया सवानेह क़ासमी 2/103, हाशिया ओलमा हिन्द का शानदार माज़ी 4/254)

खिजर कौन जिनका जिक्र कुरआन में आया है। हमारा अक़ीदा तो है कि खिजर अलै. कि वफात हो गई है। यह देवबन्दियों का अक़ीदा है कि खिजर अलै अंग्रेज़ों के नौकर है। अब जिनका अक़ीदा यह हो वह क्या अंग्रेज से लड़ेगें?

सरफराज़ सफदर ने लिखा है "यह याद रहे कि हज़रत मौलाना फ़ज़लुर्रहमान गंज मुरादाबादी....पक्के हनफी थे।" (तायफा मन्सूरा स. 27)

आशिक इलाही मेरठी देवबन्दी जो तज़किरतुर्रशीदिया, तज़किरतुल खलील वगैरा किताबों कें मुसन्नीफ है के बारे में सरफराज़ सफदर देवबन्दी ने लिखा है कि वह:-

"ब्रतानिया के वफादार और खेरख्वाह थे।" (इज़ाहु सुन्नत स. 111, इज़हारूल ऐब स. 103)

अशरफ अली थानवी स. से किसी ने पूछा कि अगर तुम्हारी हुकूमत हो जाए तो अंग्रेज़ के साथ क्या बरताव करोगे? थानवी स. ने जवाब दिया:-

"महकूम बना कर रखेंगे क्योंकि जब खुदा ने हुकूमत दी तो महकूम ही बना कर रखेंगे मगर साथ ही उसके निहायत राहत और आराम से रखा जाएगा इसलिए कि उन्होंने हमें आराम पहुँचाया है...।" (मलफूज़ात हकीमुल उम्मत जि. 6 स. 55, मलफूज़ 107, दूसरा नुस्खा जि. 6 स. 102)

आराम अपने ऐजेन्ट को ही पहुँचाया जाता है मुखालिफों को नहीं!!!

आओ देखें कि आराम कैसे पहुँचाया।

देवबन्दियों के अकाबिर में से एक ममलूक अली स. थे, जिनके बारे में लतीफुल्लाह (देवबन्दी) ने लिखा है "अव्वल यह कि मौलाना मौसूफ देहली कालेज में अंग्रेज़ी हुकूमत के बमुशाहिरा सौ रूपये माहाना पर मुलाज़िम थे।" (इन्फास

इमदादिया स. 108, हाशिया नं. 11)

ममलूक अली "देहली के अरबिक कालेज में सरकारी मुदर्रिस थे।" (सवानेह कासमी 1/222)

मुहम्मद अनवारूल हसन शेरकोटी देवबन्दी लिखते हैं "देहली कालेज के तमाम अंग्रेज़, प्रिन्सिपल उनकी क़दर करते और उन पर एतमाद करते थे। बल्कि गर्वनर जनरल ने मौलाना ममलूक अली को इनआम भी दिया।" (सीरत याकूब व ममलूक स. 33)

क्या ख्याल है 1825 ई. में एक रूपये का कितना सोना मिलता था और अंग्रेज़ जनरल ने किस खूशी में ममलूक अली स. को इनआम दिया था?

इन्टरनेट से मालूम हुआ कि 1950 ई. में सोना 99 रू तोला था और ममलूक अली की तनख्वाह का क़िस्सा इससे सवा सौ साल पहले का है, यानी आज कल के हिसाब से तनख्वाह लाखो रूपयों में थी।

हिफ़्ज़ुर्रहमान देवबन्दी ने अपनी तक़रीर में फरमाया :-

"मौलाना इलियास स. रह. की तब्लीग तहरीक को भी इब्तिदन हुकूमत की जानिब से बज़रिये हाजी रशीद एहमद सा. कुछ रूपया मिलता था फिर बन्द हो गया।" (मकालमतुस् सुदूरीन स. 8)

तब्लीग जमाअत को अंग्रेज़ी हुकमत की तरफ से कितना रूपया मिलता था और क्यों मिलता था?

नबुवत व रिसालत पर किसने डाका डाला?

आपका स. नं. 18 :- गैर मुकल्लिदीन आलीम मुफ्ती मो. हुसैन बट्टालवी नबी है या रसूल जिनके 8 रकआत तरावीह के फतवे पर सारे गैर मुकल्लिदीन अमल कर रहें हैं और इसकी दावत दे रहे हैं।

जवाब :- मोलवी स. फतवे उम्मती देता है नबी या रसूल नहीं। नबी या रसूल तो अल्लाह का पैगाम बन्दों तक पहुँचाते है और नबी या रसूल की इत्तेबा अल्लाह के हुक्म से की जाती है और नबी या रसूल दीन की बात अपनी तरफ से नहीं कहता अल्लाह की तरफ से कहता है। उस पर अमल करने वाला जन्नत में जाएगा और इन्कार करने वाला जहन्नम में जाएगा।

8 रकआत तरावीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है जो कि मैं पिछले सफों पर साबित कर चुका हूँ और इसी पर सहाबा किराम

रज़िअल्लाहु अन्हु और आईम्मा ए उम्मत का अमल रहा है इसकी दलील पिछले सफात पर गुज़र चुकी है। दोबारा पढ़ ले।

अलहम्दुलिल्लाह अहले हदीस ने इत्तेबा के लिए सिर्फ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल माना है। किसी उम्मती को नहीं। और ना ही किसी अहले हदीस ने नबूव्वत या रिसालत पर डाका डाला है आपके ओलमा की तरह?

क़ासिम नानौतवी ने लिखा है :-

"अगर फिल फर्ज़ बाद ज़माना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो तो फिर भी खातमियत मुहम्मदी स. (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) में कुछ फर्क़ नहीं आऐगा।" (तहज़ीरून्नास स. 40, फैसल पब्लिर्शज देवबन्द)

और लिखा है :-

"अम्बिया अपनी उम्मत से मुम्ताज़ होते हैं बाकी रहा अमल इसमें बसाअवक़ात बज़ाहिर उम्मती मसावी हो जाते हैं बल्कि बढ़ जाते हैं।"(तहज़ीरून्नास स. 8)

अल्लाह हमारी हिफाज़त करे इस अक़ीदे से।

तज़किरतुर्रशीदिया में लिखा है:-

"वल्लाह अज़ीम मौलाना थानवी के पाँव धो कर पीना निजात उखरवी का सबब है।" (जि. 1 स. 113, कुतुब खाना इशाअते उलूम शाहरनपूर)

मौलाना क़ासिम नानौतवी ने कहा :-

"सुन लो हक़ वही है जो रशीद एहमद की ज़बान से निकलता है और बक़सम कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ मगर इस ज़माने मे हिदायत व निजात मौकूफ़ है मेरे इत्तेबा पर।" (तज़किरतुर्रशीदिया जि. 2 स. 17)

मुल्ला जीवन तालिबे इल्म मदरसा इमादादुल उलूम थाना भवन ने तीन ख्वाब देखे और वह कहता है:-

"मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी शक्ल में देखा और फिर मैं और आदमियों से कहता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मौलाना थानवी की शक्ल में हैं।" (असदकुल रूयाअ स. 25,35)

अशरफ अली थानवी के मुरीद ने ख्वाब देखा कि वह ख्वाब में कह रहा है:-

"ला इलाह इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह" और फिर उठ कर भी उसके मुहँ से दरूद पढ़ते हुए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाए मौलाना अशरफ अली निकलता है। (रिसाला इमदादिया स. 35)

उसको अशरफ अली थानवी ने तौबा करने को नहीं कहा है।

रिसालत पर डाके तुम्हारे लोग डाले और इल्ज़ाम हम पर यह कैसी दीनदारी है?

मुकल्लिद आलिम का मानना कि गैर नबी की बात मानना शिर्क है

आपका स. नं. 19 :- गैर मुकल्लिदीन के नजदीक गैर नबी की बातें मानना शिर्क है चाहे वह खुलफाऐ राशिदीन हो या सहाबा तो मो. हुसैन बट्टालवी के 8 रकआत तरावीह के फतवे पर अमल करके गैर मुकल्लिदीन क्या मुसलमान बचेगा।

जवाब :- "गैर नबी की बातें मानना शिर्क है" यह बात तो आपके अपने ओलमा भी कहते है मोलाना जरा अपने घर की किताबे भी पढ़ा करे। सिर्फ तअस्सुब से काम नहीं चलता। अहले हदीस को बदनाम करना बन्द करो। पढ़ो अपने आलीम की कलम ने क्या लिखा है।

सरफराज़ सफदर साहब ने लिखा है "इन आयाते करीमात में जिस तक़लीद की तरदीद की गई है वह ऐसी तक़लीद है जो अल्लाह तआला और जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मद्‌दे मुक़ाबिल हो ऐसी तक़लीद को हराम शिर्क, मज़मूम और क़बीह होने में क्या शुब्ह है? और अहले इस्लाम और अहले इल्म में कौन ऐसी तक़लीद को जायज़ क़रार देता है? और ऐसे मुक़ल्लिद को कौन मुसलमान कहता और हक़ पर समझता है।" (अलकलामुल मुफीद स. 298)

सरफराज़ सफदर साहब ने लिखा है "कोई बदबख़्त और ज़िद्‌दी मुक़ल्लिद दिल में यह ठान ले कि मेरे इमाम के क़ौल के खिलाफ अगर कुरआन व हदीस से भी कोई दलील क़ायम हो जाए तो मैं अपने मज़हब को नहीं छोड़ूगां तो वह मुश्रिक है हम भी कहते हैं कि ला शक फीहि। (अलकलामुल मुफीद स. 310)

अलहम्दुलिल्लाह हम मुसलमान है क्योंकि 8 रकआत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़िअल्लाहु अन्हु का तरीका है। आप अपनी सोचों आपके अपने औलमा ही 20 रकआत को सुन्नत नहीं मानते है आप क्या बचेंगे?

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ि. के अमल को मुकल्लिदीन बिदअत कहते है

आपका स. नं. 20 :- ये कौन सी हदीस में है कि हज़रत उमर रज़िअल्लाहु अन्हु की 20 रकआत तरावीह बिदअत है। और अग्रेंज ऐजेंट मो. हुसैन बट्टालवी की आठ रकआत सुन्नत है।

जवाब :- उमर रज़िअल्लाहु अन्हु के अमल को बिदअत कहने का जवाब पहले गुजर चुका है वहाँ पढ़ लें। आपकी याददहानी के लिए हदीस दुबारा लिख रहा हु जिसमें उमर बिन खत्ताब रज़ि. ने खुद अपने अमल को बिदअत कहा पढ़ा लो।

इमाम मालिक ने हमे खबर दी कि हमसे रिवायत किया इब्ने शहाव रज़िअल्लाहु अन्हु ने उरवा बिन जुबैर रज़िअल्लाहु अन्हु से कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन अब्द क़ारी रह. कहते हैं, रमज़ान की एक रात में हजरत उमर बिन खत्ताब रज़िअल्लाहु अन्हु के साथ मस्जिद में गया, लोग अलग-अगल टोलियों मे बंटे हुए थे, कोई अपनी नमाज़ पढ़ रहा था और एक जमाअत उसके साथ पढ़ रही थी। हजरत उमर रज़िअल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरा ख्याल यह हो रहा है कि अगर मैं इन सबको कुरआन के एक हाफिज के पीछे खड़ा कर दूं तो यह ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर हजरत उमर रज़िअल्लाहु अन्हु ने पक्का इरादा कर लिया और इन सबको हजरत उबई बिन काब रज़िअल्लाहु अन्हु के पीछे जमा कर दिया। फिर मैं हजरत उमर रज़िअल्लाहु अन्हु के साथ दूसरी रात फिर गया, लोग अपने क़ारी (हजरत उबई बिन काब रज़िअल्लाहु अन्हु) के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे। हजरत उमर रज़िअल्लाहु अन्हु ने फरमाया "यह क्या ही अच्छी बिदअत है" वह नमाज़ जिससे लोग सो जाते हैं इस नमाज़ से बेहतर है जिसको वह इब्तिदा मे क़ायम करते हैं। (मुअत्ता इमाम मुहम्मद स. 123 ह. 243 बाब 71)

हम पर इल्जाम लगाते हो उमर रज़िअल्लाहु अन्हु के अमल को बिदअत कहने का और खुद तुम्हारे औलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को बिदअत कहते हैं तो मुँह से आवाज़ नहीं निकलती है।

पढ़ो अपने औलमा की करतूत।

अनवर खुर्शीद देवबन्दी ने बहवाला नसाई (जि.1 स. 218) लिखा है :

हज़रत तल्हा बिन अब्दुल्लाह बिन औफ रह. फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हु के पीछे नमाज़े जनाज़ा पढ़ी तो आपने सूरह फातिहा और दूसरी सूरह जेहरन पढ़ी हत्ता कि आपने हमें सुनाया आप, जब नमाज़ से फारिग हुए तो मैंने आपका हाथ पकड़ कर इस बारे में सवाल किया आपने फरमाया यह बात सुन्नत और हक़ है।" (हदीस और अहले हदीस, 868)

सहाबी किसी अमल को अपनी तरफ से सुन्नत नहीं कहते वह जब ही सुन्नत कहते है जब उस अमल पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमल करते हुऐ देखते है।

मुहम्मद तक़ी उस्मानी ने लिखा :-

"और उसूले हदीस में यह बात तै शुदा है कि जब कोई सहाबी किसी अमल को सुन्नत कहे तो वह हदीस मरफू के हुक्म में होती है।" (दर्से तिर्मिज़ी जि.2 स. 24)

सय्यदना इब्ने अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हु के अमल और वज़ाहत के बवजूद एक देवबन्दी अमजद सईद ने लिखा है "नमाज़े जनाज़ा में किरआत बिल जेहर बिदअत है।" (सैफे हनफी स. 264)

किसके अमल को तुम बिदअत कह रहे हो। सहाबा रज़िअल्लाहु अन्हु ने अपने अमल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मन्सूब किया है और हमारा अक़ीदा है कि सहाबा रसूलुल्लाह सल्लललाहु की तरफ झूठ मन्सूब नहीं करेंगे। अल्लाह का जरा भी खौफ नहीं है क्या? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को बिदअत कह रहे हो?

अल्लाह हमें ऐसे तअस्सुब से बचाऐ। आमीन।

अंग्रेज़ का वफादार कौन?

अंग्रेज़ का ऐजेन्ट कौन है अभी कुछ ही सफहात पहले इसका जवाब दिया जा चुका है लेकिन आपने नाम ले कर एक अहले हदीस मौलाना को टारगेट किया है तो आप भी अपने मौलाना के बारे में भी पढ़ ले अपने ही मौलाना की जबानी। उसके पहले अंग्रेज़ के ऐजेन्ट की जबानी अंग्रेज़ की तारीफ भी सुन लें।

आशिक़ इलाही मेरठी ने लिखा हैं :-

"जिन के सर पर मौत खेल रही थी उन्होंने कम्पनी के अमन वा आफियत का ज़माना क़दर की नज़र से न देखा और अपनी रहम दिल गर्वमेन्ट के सामने

बगावत का अलम कायम किया। फौजे बागी हुई हाकिम की नाफरमान बनी कत्ल का बन्द बाज़ार खुला और जवांमर्दी के गुरूर में अपने पेरों पर खुद कुल्हाड़ा मारां। (तज़किरातुर्रशीदिया जि.1 स. 73)

अंग्रेज़ो के ऐजेन्टों के लिए ही हो सकती अंग्रेज़ी हुकूमत रहम दिल जैसाकि इसी में का एक कौल अशरफ अली थानवी का अभी गुजरा है।

अंग्रेज़ ऐजेन्ट की अंग्रेज़ हुकूमत क़ी तरफदारी में तक़रीर :-

मुहम्मद अहसन नानौतवी क़े बारे में मुहम्मद अय्युब क़ादरी देवबन्दी ने लिखा है:-

'"22 मई को नमाज़े जुमा के बाद मौलाना मुहम्मद अहसन स. ने बरेली की मस्जिद नो मोहल्ला में मुसलमानों के सामने एक तक़रीर की और उसमें बताया कि हुकूमत से बगावत करना खिलाफे क़ानून है।" (किताबः मौलाना मुहम्मद अहसन नानौतवी स. 50)

अय्युब स. आगे लिखते हैं :-

"इस तक़रीर ने बरेली में एक आग लगा दी और तमाम मुसलमान मौलाना मुहम्मद अहसन नानोतवी के खिलाफ हो गए। अगर कोतवाल शहर शैख बदरूद्दीन की फहमाईश पर मौलाना बरेली ना छोड़ते तो उनकी ज़ान को भी खतरा हो गया था।"(मुहम्मद अहसन नानोतवी स. 51)

अंग्रेज़ ऐजेन्ट आशिक़ इलाही मेरठी ने अंग्रेज़ ऐजेन्टों के बारे में लिखा है:-

"एक मर्तबा ऐसा भी इत्तेफाक़ हुआ कि हज़रत इमाम रब्बानी (रशीद एहमद गंगोही) अपने रफीक़ जानी मौलाना क़ासिम उलूम और तय्यब रूहानी आला हज़रत हाजी सा., नीज़ हाफिज़ ज़ामिन सा. के हमराह थे कि बन्दूकचियों से मुक़ाबला हो गया। यह नबरद आज़मा दिलेर जत्था अपनी सरकार के मुखालिफ बागियों के सामने भागने या हट जाने वाला न था इसलिए अटल पहाड़ की तरह पैर जमा कर डट गया और सरकार पर जाँनिसारी के लिए तय्यार हो गया...।" (तज़किरतुरशीदिया जि. 1 स. 74,75)

मालूम हुआ कि देवबन्दी अकाबिर अंग्रेज़ के ऐजेन्टों ने अपनी अंग्रेज़ सरकार के मुखालिफ बागियों से शामली में जंग लड़ी जिसमें हाफिज़ ज़ामिन सा. अंग्रेज का ऐजेन्ट "बागियों" के हाथों मरे गए। (तज़किरतुरशीदिया जि. 1 स. 75)

आशिक इलाही मेरठी अंग्रेज़ के ऐजेन्ट ने अंग्रेजों के ऐजेन्टों के बारे मे लिखा है "और जैसा कि आप हज़रात अपनी मेहरबान सरकार के दिली खेरख्वाह थे ताज़ियस्त खैरख्वाह ही साबित रहे।" (तज़किरतुरशीदिया जि. 1 स. 79)

1857 ई. की जंगे आज़ादी के बारे में अंग्रेज़ ऐज़ेन्ट आशिक इलाही मेरठी ने लिखा है "जब बगावत व फसाद का क़िस्सा फुर्र हुआ और रहमदिल गर्वमेन्ट की हुकूमत ने दोबारा गलबा पा कर बागियों की सरक़ोबी शुरू की तो....। (तज़किरतुरशीदिया जि. 1 स. 76)

अंग्रेज़ों की हुकूमत (और अंग्रेज़ सरकार) को रहम दिल कहने वाले किस मुँह से दावा करते है कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया।

अब तक मैं 24 हवाले पेश कर चुका हूँ अंग्रेज़ों के ऐजेन्टों के बारे में, अगर आपको लगता हो कि यह हवाले कम है तो और भी पेश कर दूंगा। इन्शाअल्लाह।

आपका स. नं. 21 :- कुरआन करीम कितने हुरूफ में नाजिल हुआ और किरअते सबा क्या है। हर किरअत मुकम्मल क़ुरआन है या नहीं।

आपका स. नं. 22 :- मुकम्मल कुरआन मजीद की तिलावत के लिए कुरआन मजीद को 7 मर्तबा इख्तिलाफे किरअत के साथ पढ़ना होगा या सिर्फ एक मर्तबा एक ही तरीके से तिलावत करना काफी होगा।

आपका स. नं. 23 :- जुम्ला गैर मुकल्लिदीन कारी आसिफ कूफी की किरअत और इमामे हफ्स की रिवायत पर कुरआन की तिलावत करते हैं किस दलील की बुनियाद पर।

आपका स. नं. 24 :- एक तरीकऐ किरअत को इख्तियार करने और बकिया 6 के तर्क का शरीअ हुक्म क्या है।

जवाब :- इन चारों सवालों के जवाब एक साथ मुलाहिजा फरमाए क्योंकि चारों सवाल आपस में मिले जुले है।

सवाल 21 का जवाब 22 में आ गया कि कुरआन की 7 किरआत हैं। 22 और 24 में एक सवाल को दो तरीके से लिखा गया है गालिबन सवालों की तादाद ज़्यादा दिखाने के चक्कर में।

अब हम इन सवालों के जवाब कुरआन व हदीस की रोशनी में देते हैं। मोलवी स. आप अहले हदीस से सवाल कर रहे है न की मुक़ल्लिदीन से जो ऐसे बचकाना सवाल करके यह समझ रहे है कि बहुत बड़ा तीर मार लिया है।

मुक़ल्लिदीन हो सकता है आलिमों से पूछने के चक्कर में इल्म हासिल न करते हो लेकिन अलहम्दुलिल्लाह अहले हदीस खुद कुरआन व हदीस का इल्म हासिल करता है। अपने आलिमों से यह नहीं पूछता की आपकी क्या राय है यह पूछता है कि कुरआन व हदीस में इसका क्या हुक्म है और सलफ ने इसको क्या समझा।

आओ पहले मैं आपको बतलाता हूँ लफ्ज़ "सबा" का क्या माना है। कुरआन में लफ्ज "सबा" 14 बार आया है। तीन बार आसमान के बारे में (17:44/23:87/71 :7), दो बार गाय के बारे में (12:43), दो बार साल/बरस के लिए आया है (12:48), एक बार गल्ले की बालियों के बारे में (12:43), एक बार आदमियों के बारे में (18:22), एक बार रास्ते के बारे में (23:17), एक बार समन्दर के बारे में (31:27), एक बार रातों के बारे में (69:7)। इन आयतों में लफ्ज "सबा" सात अदद के बारे में आया है यानी "सबा" के मानी हुए सात के।

तो आपका जवाब यह कि किरआते सबा है सात तरीके पर किरआत करना। यही मानी हुए ने मोलवी सा. कि कुछ और है?

कुरआन करीम सात हुरूफ (किरआत) में नाजिल हुआ

कुरआने करीम सात हुरूफ में नाज़िल हुआ है।

हर किरआत मुकम्मल है।

सिर्फ एक ही किरआत काफी है तिलावते कुरआन के लिए।

इन सबकी दलील यह हदीसें है:-

उमर बिन खत्ताब रज़िअल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि (एक दफा) मैंने हश्शाम बिन हकीम बिन हज़्म रज़िअल्लाहु अन्हु को सूरह फुरकान उससे मुख्तलिफ तरीके पर पढ़ते सुना जिस पर मैं पढ़ता था, हालांकि सूरह फुरक़ान मुझे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पढ़ाई थी। क़रीब था कि मैं गुस्से से उन पर झपट पड़ता, मगर मैंने (सब्र किया) और उन्हें मुहलत दी, यहाँ तक उन्होंने अपनी क़िराअत मुकम्मल कर ली। फिर मैंने उनकी चादर पकड़ी और खिचंता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की खिदमत में ले गया। मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! मैंने इसे सूरह फुरक़ान उससे मुख्तलिफ तरीके पर पढ़ते सुना है, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि

वसल्लम ने पढ़ाई थी। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया "उन्हें छोड़ दो" फिर हश्शाम रज़िअल्लाहु अन्हु से फरमाया कि "तुम पढ़ो।" चुनान्चे उन्होंने सूरह फुरक़ान उस तरह पढ़ी जिस तरह मैंने उनको पहले पढ़ते सुना था। उनकी क़िराअत सुन कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि "इसी तरह उतरी है।" फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझे फरमाया "तुम पढ़ो।" चुनान्चे मैंने (अपने तरीक़े पर) पढ़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि "इसी तरह उतरी है।" फिर मज़ीद फरमाया कि "यह कुरआन सात हरूफों पर नाज़िल हुआ है, लिहाज़ा जिस तरह सहूलत हो, इसी तरह पढ़ो।" (सही बुखारी 2419, सही मुस्लिम 1899)

अबी बिन कअब रज़िअल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जिब्रईल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि ने उनसे फरमाया "ऐ जिब्राईल! मुझे ऐसी उम्मत की तरफ भेजा गया है जो अनपढ़ है। फिर उनमें से कोई बूढ़ा है, कोई बहुत बूढ़ा, कोई लड़का है कोई लड़की और कोई ऐसा आदमी है जिसने कभी कोई तहरीर (किताब) नहीं पढ़ी।" रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि "जिब्राईल ने मुझे जवाब दिया कि ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम)! कुरआन सात हरफों पर उतरा है।"(सुनन तिर्मिज़ी 2944)

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया "जिब्राईल ने पहले मुझे कुरआन मजीद एक हरफ के मुताबिक़ पढ़ाया। फिर मैंने कई बार इसरार किया और मुतालबा किया कि कुरआन मजीद को दूसरे हरूफ के मुताबिक़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए। चुनान्चे वह मुझे यह इजाज़त देते गए यहाँ तक सात हरफों तक पहुँच गए।"(सही बुखारी 3219, सही मुस्लिम 1902)

इस रिवायत के रावी इमाम इब्ने शहाब ज़हरी रह. कहते हैं कि वह सात हरूफ, जिनके मुताबिक़ पढ़ने की इजाज़त दी गई थी, ऐसे थे कि वह तअदाद में सात होने के बावजूद गौया एक ही हरफ थे। उनके मुताबिक़ पढ़ने से हलाल व हराम का फर्क़ नहीं हो जाता था।

अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़िअल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने एक आदमी को कुरआन पढ़ते सुना जब कि उससे पहले मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे मुख्तलिफ तरीक़े पर पढ़ते सुना था। मैं उस आदमी को नबी

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरते हाल से आगाह किया। मैंने महसूस किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि को मेरी बात नागवार गुज़री है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वल्लम ने फरमाया "तुम दोनों ठीक पढ़ते हो। आपस में इख्तिलाफ न करो, क्योंकि तुमसे पहले जो क़ौमे हलाक हुई, वह इख्तिलाफ ही की वजह से हलाक हुई।" (सही बुखारी 3476)

अबू कैस, जो अम्र बिन आस रज़िअल्लाहु अन्हु के गुलाम थे, बयान करते हैं कि अम्र बिन आस रज़िअल्लाहु अन्हु ने किसी आदमी को कुरआन मजीद की एक आयत तिलावत करते सुना और पूछा : तुझे किसने यह आयत पढ़ाई है? उसने कहा : रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उन्होंने कहाः मुझे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत पढ़ाई है, लेकिन किसी और अन्दाज़ में। वह दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और एक ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! फलाँ आयत। फिर उसने उसकी तिलावत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया "यह ऐसे ही नाज़िल हुई (जैसे तुने पढ़ी है) दूसरे ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! फिर उसने वही आयत (दूसरे अन्दाज़ में) पढ़ी और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या यह आयत इस तरह नाज़िल नहीं हुई (जिस तरह मैंने पढ़ी)? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया "इसी तरह नाज़िल हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने (हतमी फैसला देते हुए) फरमाया "बिलाशुब्ह यह कुरआन मजीद सात लहजों पर नाज़िल हुआ, जिस लहजे पर पढ़ोंगे, दुरूस्त पढ़ोगे। (बस याद रखो कि) कुरआन मजीद के मामले में झगड़ना नहीं, क्योंकि ऐसा झगड़ा कुफ्र है।" (मसनद अहमद 4/204,205, तबरानी फी मुअजमुल कबीर 8642-8645, सिलसिलातुल अहादीसे सहीहा अरबी में ह. 1522 ऊर्दू में 2948)

एक और रिवायत मुलाहिजा कीजिए।

अनस बिन मालिक रज़िअल्लाहु अन्हु, ऊबई बिन कअब रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहाः कबूलियते इस्लाम के बाद मेरे दिल में कोई वस्वसा पैदा नहीं हुआ, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने एक आयत पढ़ी और दूसरे आदमी ने वही आयत किसी और लहजे में पढ़ी। मैंने कहा मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई। उस आदमी ने कहाः मुझे भी रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। हम दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! आपने मुझे फलाँ आयत इस लहजे में पढ़ाई थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया "हाँ।" दूसरे आदमी ने कहाः क्या आपने मुझे इस तरह नहीं पढ़ाया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया "हाँ" मेरे पास जिब्राईल और मिकाईल आए थे। जिब्राईल मेरी दांये जानिब बैठ गए और मिकाईल बांए जानिब तो जिब्राईल ने कहा एक लब व लहजे के साथ कुरआन पढ़े इस पर मिकाईल ने कहा। मज़ीद गुन्जाईश दीजिए, फिर जिब्राईल ने कहा दो लहज़ो के साथ कुरआन पढ़े। मिकाईल गोया हुऐ, मजीद इजाज़त दीजिए। (तकरार का यह सिलसिला चलता रहा) यहाँ तक कि सात लहजो के साथ कुरआन पढ़ने की इजाज़त मिल गई और जिब्रईल ने कहा। उनमें से हर लहजा मुकम्मल और काफी होने वाला है।" (अहमद 5/114,122,125, सिलसिलातुल अहादिसे सहीहा अरबी 843, ऊर्दू 2945)

अहले हदीस जो किरआत करते है वो अल्लाह तआला की नाज़िल करदा है किसी उम्मती की बनाई हुई नहीं

मैं यह समझता हूँ कि इन छः रिवायत में इन चारों सवालों में जो बातें उठाई गई है। सबका जवाब आ गया है। हो सकता है फिर भी कुछ अक्लमन्द कहें कि "कारी आसिम कूफी की किरअत और इमामे हफ्स की रिवायत पर कुरआन की तिलावत" का जवाब नहीं आया तो आले देवबन्द से यह इल्तिजा करूंगा कि वह कुरआन की एक आयात या एक सही सरीह गैर मअरिज हदीस पेश कर दे जिससे यह साबित होता हो कि यह जो दो नाम मुक़ल्लिदीन मुग़ालता देने के लिए पेश करते हो कि किरआत इनके तरीके पर हो रही है। तो क्या यह तरीका इनका अपना है अल्लाह तआला ने यह तरीका ए किरआत नाज़िल नहीं किया और न ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके पर तिलावत की ना ही सहाबा किराम रज़िअल्लाहु अन्हु ने तिलावत की है। इस मसअले को साबित करे दे इन्शाअल्लाह मैं साबित करने वाले को पाँच लाख रू ईनाम दूंगा। फिर समझ ले कि जो बात मुक़ल्लिदीन बावर करा रहे कि किरआत इन दो के तरीके पर हो रही है। यहाँ पर यह बात साबित करना है कि यह किरआत का तरीका अल्लाह तआला ने नाज़िल नहीं किया ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने

तिलावत किया और ना ही सहाबा किराम रज़िअल्लाहु अन्हु ने तिलावत किया यह इनकी खूद की ईजाद है तो मुझसे ईनाम ले जाना। अगर साबित नहीं करे सके और यक़ीनन साबित नहीं कर पाओगे तो यह झूठ फैलाना बन्द कर दे कि "क़ारी आसिम कूफी की किरअत और इमामे हफ्स की रिवायत पर कुरआन की तिलावत" के तरीके तिलावत हो रही है।

हम जो कुरआन की किरआत कर रहे यह अल्लाह की नाज़िल करदा किरआत है जैसाकि अभी गुज़री हदीसों से यह बात वाजेह हुई। और इस किरआत पर उम्मत को जमा किया है अमीरूलमोमिनीन खलीफा उस्मान गनी रज़िअल्लाहु अन्हु ने। जिनका नाम तुम तक़लीद साबित करने के चक्कर में छुपाते हो। इसकी वजाहत शैख नासिरउद्दीन अलबानी रह. ने की है, पढ़े।

अनस रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "तुम कुरआन का सात लहजों पर पढ़ सकते हो, हर एक लहजा इत्मिनान बख्श और किफायत बख्श है।" (मसनद अहमद 5/11, सिलसिलातुल सहीहा अरबी 2571, ऊर्दू 2944)

इसकी शरह में नासिरउद्दीन अलबानी रह. लिखते हैं "इस हदीस और इसके शावाहिद से मालूम हुआ कि "सबअतुल हुरूफ" से मुराद सात लुगात हैं। जिनकी मदद से एक लफ्ज़ या एक कलमा को सात लुगात में बयान किया जा सकता है; उन लुगात में अल्फाज़ मुख्तलिफ होते हैं और मानी मुत्तहद (एक)। इमाम तबरी रह. ने अपनी तफ्सीर के मुक़द्मा में इसकी काफी व शाफी वज़ाहत की है और यह भी साबित किया है कि (उस्मान रज़िअल्लाहु अन्हु के अहद में) पूरी उम्मत एक लुगात पर मुतहद हो गई और बाक़ी छः का तर्क कर दिया और ऐसा करने से कुरआन मजीद में किसी किस्म का कोई नस्ख या नुक्सान नहीं हुआ। आज कुरआन मजीद किरआत के जिस अन्दाज़ पर मुश्तमिल है, यह वही है जिस पर उस्मान रज़िअल्लाहु अन्हु ने लोगों को जमा किया था।" (सिलसिलातुल हदीसे सहीहा जि. 4 स. 474)

हमे अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने आपको मन्सूब करना पड़ा तो सहाबा की तरफ मन्सूब करेंगे किसी गैर सहाबी की तरफ नहीं। तुम सहाबा का नाम जब लेते हो जब तुम्हें भोली भाली अवाम को सही दीन के खिलाफ भड़काना हो। नहीं तो गैर सहाबी के कौल व अमल को पेश करते हो

उसकी तरफ मन्सूब करते हो जैसाकि कुरआन की किरआत के मामले में तुमने किया है। अल्लाह ऐसे मक्रो फरेब से उम्मत की हिफाज़त करे आमीन।

अहले हदीस तो सातों किराअत को मानते है और यह भी मानते है कि किसी एक किराअत में कुरआन पढ़ने से तिलावत का हक़ अदा हो जाता है। लेकिन मोलवी सा. आपके हनफी जावेद गामदी यह क्या लिख रहे है, इसको पढ़ो बतलाओ कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है।

हनफी मुकल्लिद जावेद गामदी लिखता है:-

"यह बिल्कुल कतई है कि कुरआन की एक ही किराअत है जो हमारे मुसाहफ में सबत है। इसके अलावा उसकी जो किराअतें तफ्सीरों में लिखी हुई हैं या मदरसों में पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं, या बाज़ इलाक़ों में लोगों ने इख्तियार कर रखी हैं, वह सब इसी फित्ने अजम की बाक़यात हैं जिनके असरात से हमारे उलूम का कोई शोबा, अफसोस की महफूज़ न रह सका।" (मिज़ान, स. 32, तबा सोम मई 2008, लाहोर, उसूल व मुबादी, स. 32 तबा दोम, फरवरी 2005 लाहोर)

और आगे लिखा हैं कि:-

"कुरआन सिर्फ वही है जो मुसहफ में सबत है और जिसे मग्रिब के इलाक़ों को छोड़ कर पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा की अज़ीम अक्सरियत इस वक़्त तिलावत कर रही है। यह तिलावत जिस क़िराअत के मुताबिक़ की जाती है, उसके सिवा कोई दूसरी किराअत न कुरआन है और न उसे कुरआन की हैसियत से पेश किया जा सकता है।"(मिज़ान, स. 27, तबा सोम मई 2008, लाहोर, उसूल व मुबादी, स. 29 तबा दोम, फरवरी 2005 लाहोर)

और आखीर में जावेद गामदी का यह दावा भी पढ़े:-

"कुरआन का मतन इस (एक किराअत) के अलावा किसी दूसरी किराअत को क़बूल नहीं करता।"(मिज़ान, स. 29, तबा सोम मई 2008, लाहोर, उसूल व मुबादी, स. 29 तबा दोम, फरवरी 2005 लाहोर)

सहाबा रज़ि. पर उंगली उठाने वाले कौन?

आपका स. नं. 25 :- क्या सहाबा इकराम से बदज़नी व बद गुमानी बराहे रास्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत पर उंगल उठाना नहीं है।

जवाब :- मुझे आपका सवाल पढ़ कर बड़ी खुशी हुई की आपको सहाबा

किराम रज़िअल्लाहु अन्हु के मक़ाम व इज्ज़त का तो ख्याल है, वरना आपके बुज़ुर्ग तो सहाबा को कुछ मानते ही नहीं। आपकी खिदमत में कुछ हवाले पहले पेश कर चुका हूँ कुछ यहाँ भी पेश कर रहा हूँ उनको पढ़ कर बताना बदज़नी व बदगुमानी कौन कर रहा है और उंगली कौन उठा रहा है?

1) मशहूर जलीलुल क़द्र सहाबी ओबादा बिन सामित बद्री रज़िअल्लाहु अन्हु के बारे में हुसैन एहमद मदनी टान्डवी कहता हैं "इसको अबादा बिन सामित मुअनअनान ज़िक्र करते हैं हालांकि यह मुदल्लिस हैं और मुदल्लिस का अनअना मोतबर नहीं।" (तौजिहुल तिर्मिज़ी जि. 1 स. 436 नीज़ देखे स. 437)

2) मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा (1/351 ह.3524) की एक (ज़ईफ सनद वाली) रिवायत का तर्जुमा करते हुए मुहम्मद अमीन ऊकाड़वी लिखता है "अगर तू आज इस तरह टखने मिलाए तो देखेगा कि यह लोग (सहाबा व ताबईन) बिदके हुए खचरों की तरह भागेंगे।" (हाशिया अमीन ऊकाड़वी अला तफहीमुल बुखारी जि. 1 स. 370 हाशिया नं. 2)

ब्रेकेट वाले अल्फाज़ ऊकाड़वी ही के हैं। सहाबा किराम रज़िअल्लाहु अन्हु को बिदके हुए खच्चरों से तशबीह देना ऊकाड़वी देवबन्दी मुक़ल्लिदीन जैसे लोगों का ही काम है।

अनस रज़िअल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस में बिदके हुए खच्चर उन मजहूल व मुन्किरीन हदीस क़िस्म के लोगों को कहा गया है जो क़तअन और यक़ीनन सहाबा किराम हरगीज़ नहीं थे, सहाबा किराम तो क़दम से क़दम और कन्धे से कन्धा मिलाते थे। देखे सही बुखारी। (किताबुल आज़ान ह. 725)

3) रफायदैन की मुखालफत करते हुए क़ारी चिन मुहम्मद देवबन्दी गुलाम खानी ने कहा "इब्ने उमर बच्चे थे वाईल बिन हुजर मुसाफिर थे गैरमुक़ल्लिदीन या तो मुसाफिरों की या बच्चों की रिवायत पेश करते हैं।" (माहनामा अददीन, कामरा केन्ट, जि. 1 सुमारा 2 अक्तुबर 2000 ई. स. 27)

मोलवी सा. इन दोनों जलीलुल क़द्र सहाबियों का ऐसी हिक़ारत से ज़िक्र करना देवबन्दी मुक़ल्लिदीन का काम है किसी अहले हदीस का नहीं।

4) फातमा बिन्ते क़ैस रज़िअल्लाहु अन्हा के बारे मे आले देवबन्द के "शैखुल हिन्द" महमूद हसन देवबन्दी ने कहा "हनफिया कहते है कि फातमा रज़िअल्लाहु अन्हा को सुकना इसलिए न दिलवाया गया कि वह ज़बान दराज़

थी।"(तकरीर शैखुल हिन्द 133)

5) आले देवबन्द के पीर मुश्ताक अली शाह ने फातिमा बिन्ते कैस रज़िअल्लाहु अन्हा के बारे में लिखा है ......(खुदा जाने सच कहती है या झूठ बोलती है)।" (तर्जुमान अहनाफ स. 199)

6) अशरफ अली थानवी के खलीफा अब्दुल माजिद दरयाबादी देवबन्दी ने लिखा है "ज़ल्लात और खता इज्तहादी से सहाबा तक खाली नहीं।"(हकीमुल उम्मत स. 275)

7) अब्दुल क्य्यूम हक्क़ानी देवबन्दी ने लिखा है "फिर सहाबी रज़िअल्लाहु अन्हु का इज्तिहाद हुज्जत भी नहीं।"(तौजिहुल सुनन जि.1 स. 205)

8) तब्लीग जमात वाले तारीक जमील देवबन्दी ने कहा "तो हज़रत उमर रज़िअल्लाहु अन्हु ऐसे भीगी बिल्ली बने सुन रहे, ऐसे सुन रहे।" (बयानाते जमील स. 83 जि. 2)

9) आले देवबन्द के "मुफ्ती" तक़ी उस्मानी सा. का अपने ही "आलीम" के बारे में ऐलाने हक पैशे खिदमत है, तक़ी उस्मानी सा. ने कहा "लेकिन साहबे हिदाया की यह तौजीह हज़रत अबू महजूरा रज़िअल्लाहु अन्हु की फहम से बदगुमानी पर मबनी है, जो मुनासब नहीं।" (दर्से तिर्मिज़ी 1/455)

मैं समझता हूँ कि यह दलीले काफी है इस बात को जानने के लिए की कौन बदगुमानी व बदज़नी करता है, और कौन उंगली उठाता है? बाक़ी फिर किसी और मौक़े पर।

आपने लिखा है "इन तमाम सवालों का जवाब कुरआन या सही सरीह गैर मअरिज़ हदीस से पेश करें।"

हनफी मस्लक के कुरआन व हदीस को छोड़ने के ऊसूल

आप कुरआन व सही हदीस को कब से मानने लगे हो। आपकी किताबों में तो इस के खिलाफ बातें लिखी हैं।

करखी आपके मज़हब के बड़े आलिम हैं, जिन्होंने ऊसूले कारखी लिखी है, जो फिक़्ह की मशहूर किताब है इसकी इब्तिदा में यही लिखा है कि :-

"जो भी बात हमारी फिक़्ह के खिलाफ नज़र आये तो फिक़्ह को गलत न समझो बल्कि यह समझो कि इस आयत में कोई हेर फेर है, या मन्सूख हो गई या

उसकी कोई तावील होगी या किसी दूसरी आयत से टकराती होगी, यानी इस आयत में कोई न कोई चक्कर होगा। लेकिन हमारी फिक़्ह में कोई तज़ाद न होगा।"

दूसरा क़ायदा लिखा है "जो हदीस आपको हमारी फिक़्ह के खिलाफ नज़र आये (जो हमारे बुर्जुग लिख गये हैं) तो फिर हमारी फिक़्ह को गलत न समझे बल्कि यह समझे कि इस हदीस में कोई और बात है या मन्सूख होगी या उसमें ताविल की गई होगी या मरजूह होगी या उस हदीस के मुक़ाबले में कोई दूसरी हदीस होगी।" (ऊसूलुल कारखी 13-14)

आपका क़ायदा और ऊसूल यह है कि कुरआन की आयात और हदीस हमारी फिक़्ह के खिलाफ हो तो फिर हदीस को छोड़ कर फिक़्ह को अपनाओ जिसके मानी हैं कि आपके पास अव्वल अपना फिक़्ही मज़हब और बाद में कुरआन व हदीस है। अगर हदीस फिक़्ह के मुताबिक़ हो तो सर आँखों पर। वाह वाह!! अगर खिलाफ हो तो उस हदीस और आयत में "कुछ होगा" कह कर छोड़ देते हैं और अपना रास्ता नहीं छोड़ते। इसी रविश के बारे में हाली मरहूम ने कहा था:-

नबी को जो चाहे खुदा कर दिखायें।
इमामों का रूतबा नबी से बढ़ायें।।

जब आपको कुरआन व हदीस मानना ही नहीं तो उसको मांग क्यो रहे हो?

और अगर सही, सरीह और गैरमअरजि हदीस से इतनी मोहब्बत है तो अपनी ताईद में एक सही, सरीह और गैर मअरिज़ हदीस ही पेश कर देते।

इमामे हरम के नाम से झूठ

इमामे हरम हज़रत मौलाना कारी अब्दुल रहमान अस्सुदेस मद्द् जिल्लहुल आली के कलम से-

मैं लिख कर देता हुं कि सिर्फ 20 रकआत तरावीह ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और 8 रकआत तरावीह क़दयानियों और गैर मुकल्लिदों की बेदलील बिदअत है, मैं खुद हरमे मक्का में 20 रकआत तरावीह

पढ़ता और पढ़ाता हुँ, 20 रकआत तरावीह दौरे सहाबा से आज तक हरमैन शरीफैन में बदस्तूर जारी व सारी हैं, हम सऊदी हम्बली औलमा 20 रकआत के क़ाईल है, जिन भाईयों को यकीन न आए वह खुद आ कर देख लें।

मैं लिख कर देता हुँ मौलाना वह लिखा हुआ कहाँ उसका हवाला तो देते बगैर हवाले के कैसे मान ले कि यह उनकी बात है क्योंकि आपके फिरक़े का तो तरीक़ा ही किसी के तरफ भी अपनी तरफ से झूठ गढ़ कर के मन्सूब करने का। इसकी कई दलीले मोजूद है।

दुर्रे मुख्तार में लिखा है कि "हज़रत ईसा अलै. भी हज़रत इमाम अबूहनीफा के मज़हब पर फैसले करेंगे।" (दुर्रे मुख्तार स. 42 जि. 1)

इस झूठ को सच साबित करने के लिए आपके पास कुरआन व हदीस से कोई दलील है।

ऐसा नहीं कि यह बात सिर्फ दुर्रे मुख्तार में लिखी इसी बात को अल्लामा तहावी ने भी लिखा है "बाज़ हनफियों ने यह दावा किया है कि हज़रत ईसा अलै. और मेहदी अलै. दोनों इमाम अबूहनीफा के मज़हब के मुक़ल्लीद होंगे।"(हाशिया सीरत बुखारी स. 139)

इस झूठे दावे का रदूद सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि कई लोगों ने किया है एक हवाला आपकी खिदमत में पेश है।

इमाम सुयूती रह. लिखते हैं कि "जो यह कहा गया है कि हज़रत ईसा अलै. चार मज़हबों में से किसी एक मज़हब के मुताबिक़ फेसला करेंगे। बातिल और बेअस्ल है।" (अल हावा लिल फतावा स. 156)

दूसरा झूठ चन्द साल पहले उज्जैन शहर और मुल्क भर की देवबन्दी मस्जिदों में मेम्बरों से एक पर्चा दिखाया गया था कि अहले हदीस आलिम डा. लुक्मान सल्फी हा. ने कुछ गलत बातें लिखी हैं। उस वक्त अक्सर देवबन्दियों ने इसे कारे खैर समझ कर आवाम में दिखाया था। जब यह बात सऊदी में डा. लुक्मान सल्फी हा. को मालूम पड़ी तो उन्होंने उन रिसालों को जिन में यह छपा था फोन लगाया कि जो तुम मेरी तरफ मन्सूब कर रहे हो कि मैंने लिखा है उसकी असल मुझ तक पहुँचाओ, मुझे भी मालूम पड़े कि मैंने क्या लिखा है, उन्होंने यह भी कहा था कि अगर यह साबित कर दोगे तो मैं खुले आम माफी मांगूगा तो आज तक उसका जवाब नहीं गया उनके पास सबके मुँह सिल गए।

और भी कई दलीले दे सकता हूँ। लेकिन किताब की जखामत ज़्यादा हो जाऐगी।

सिर्फ 20 रकआत तरावीह ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है यह बात न तो कल साबित थी न आज साबित है और इन्शाअल्लाह क़यामत तक साबित नहीं होगी सही सरीह गैरमअरिज हदीस से। मैं अलहम्दुलिल्लाह हनफी औलमा के क़ोलों से 8 रकआत तरावीह सुन्नत साबित कर चुका हूँ। दुबारा इसी किताब के पिछलें सफों पर पढ़ लो। अल्लाह आपको अज्र दे। आमीन।

हनफी मुकल्लिद और क़ादयानी के अमल में मुशाहबत

और 8 रकआत तरावीह क़दयानियों और गैर मुकल्लिदों की बेदलील बिदअत है, आप इस बात से क्या तासीर देना चाहते हैं कि जो भी सुन्नत पर अमल करे वह बिदअती हैं, या कि क़ादयानी और अहले हदीस एक है? अगर क़ादयानी 8 रकआत सुन्नत पर अमल कर रहे है तो इसमें हमारा क्या कसूर है। अगर वह सुन्नत पर अमल करे जिस पर हम अमल कर रहे है तो आप हमें उनकी सफ में खड़ा करना चाहते है। आओ मैं तुम्हें बतलाऊं कि तुम्हारे और उनके भी कई अमल मिलते है।

1) वह पांव के साथ पांव नहीं मिलाता था। (सीरतुल मेहदी हि. 2 स. 29)

2) वह एक वित्र नहीं पढ़ता था। (रूहानी खज़ाईन जि. 5 स. 260, 291)

3) उसके नज़दीक शर्म गाह को हाथ लगाने से वुजू नहीं टूटता। (सीरतुल महदी हि. 2 स. 36)

4) नियत बान्धते वक्त हाथों के अंगूठों को कानो तक पहुँचाता था यानी यह दोनों आपस में छू जाते थे। (सीरतुल महदी हि. 3 स. 231)

5) मिर्जा क़ादयानी नमाज़ में रफायदैन से मना किया करता था और आमीन बिल जेहर भी नहीं करता था। (सीरतुल महदी जि. 1 स. 162)

6) अगर क़ादयानियों ने अपना नबी बनाया तो हनफियों ने अपना कलमा नया गढ़ लिया है "ला इलाह इल्लल्लाह शिबली चिश्ती रसूलुल्लाह" (फियुज़ाते फरिदीया स. 83, तज़किरा गौशिया स. 360)

"ला इलाह इल्लल्लाह मुहकमुद्दीन रसूलुल्लाह" (तज़किरा गौशिया स.

तो इनको पढ़ने के बाद क्या माना जाए मोलवी सा. आपके उसूल की रोशनी में कि आप और क़ादयानी....... । इनके अलावा और भी हवाले है। अभी इतने ही क्योंकि और भी बाते मोजूद है क़ादयानी की जो आपको बतलाना है।

क़ादयानी हनफी था उसके मानने वाले हनफी है

आपको मालूम है क़ादयानी किस मस्लक को मानता था। चलो यह भी आपको बतला देता हूँ कि वह किस मस्लक को मानता था।

1) दावा नबुव्वत से पहले वह अहले हदीस औलमा के साथ अहनाफ मुक़ल्लिदीन के मुनाज़िर की हैसियत से मुनाज़रे किया करता था। (तर्के तक़लीद के भयानक नताईज 47, 48, सीरतुलमहदी जि. 2 स. 91 हयाते तय्यबा 40, 41)

2) मिर्जा गुलाम अहमद क़ादयानी की रशीद अहमद गंगोही हनफी देवबन्दी से अक़ीदत का तज़किरा मौलवी आशिक इलाही मेरठी हनफी देवबन्दी इन अल्फाज़ से करते हैं "उन (मिर्ज़ा साहब) को इमाम रब्बानी से अक़ीदत भी थी इस तरफ जाने वालों से दरयाफ्त किया करते थे। हज़रत मौलाना (रशीद अहमद गंगोही) अच्छी तरह हैं और देहली से गंगोह कितने फासले पर है? रास्ता कैसा है गर्ज़ हाज़िरी का ख्याल भी मालूम होता था।" (तज़किरातुर्रशिदीया जि. 2 स. 228)

रशीद अहमद गंगोही से अक़ीदत की वजह तो आपको मालूम होगी पीछे सफे में यह बात गुजर चुकी है लेकिन याद दहनी के लिए दोबारा पेश करता हूँ:-

क़ासिम नानौतवी ने लिखा है :-

"अगर फिल फर्ज़ बाद ज़माना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो तो फिर भी खातमियत मुहम्मदी स. (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) में कुछ फर्क़ नहीं आऐगा।" (तहज़ीरून्नास स. 40, फैसल पब्लिर्शज देवबन्द)

उसकी नबूवत को जिस के कलाम ने ताक़त दी हो उससे अक़ीदत नहीं होगी तो किससे होगी। फिर इल्जाम हम पर है कि हम और क़ादयानी एक है।

3) (मिर्जा गुलाम अहमद क़ादयानी हनफी था) उसूलन आप हमेशा अपने को हनफी ज़ाहिर फरमाते थे आपने अपने लिए किसी ज़माने में भी अहले हदीस का नाम पसंद नहीं फरमाया। (सीरतुल महदी जि. 2 स. 48, 49 मिर्जा बशीर अहमद का बयान)

4) मशहूर मिर्ज़ाई मुर्तज़ा खान हसन बी ए लिखता है "हम फ़िक़्ह को मानते हैं और फुक्हाए एज़ाम की दिल से क़दर करते हैं और उनके इज्तिहाद और तफ़क्क़ो की क़दर करते हैं हम बिल खुसूस हज़रत इमाम अबूहनीफा की फ़िक़्ह पर अमल पेरा हैं और उसी की हिदायत हमारे इमाम हज़रत मिर्ज़ा साहब ने फरमाई।" (मुजद्दिद ज़मान बजवाब दो नबी स. 217)

5) और दूसरी जगह लिखता है "हम लोग फ़िक़्ह की इज्ज़त करते हैं फ़िक़्ह को खुद मानते हैं और फुक़्हा को तअज़ीम और क़दर की निगाहों से देखते हैं फुक़्हा जिन्होंने कुरआन व हदीस से मसाईल का इस्तिमबात किया हमारे शुक्रिये के मुस्तहक़ हैं हज़रत इमाम अबूहनीफा को हम इमाम आज़म मानते हैं और उनकी फ़िक़्ह पर अमूमन अमल करते हैं आप हमारे मुतअल्लिक जो चाहे कहें आपकी ज़बान और कलम कौन रोक सकता है।" (मुजद्दिद ज़मान बजवाब दो नबी स. 123)

6) चोधरी अहमदजान मशहूर मिर्ज़ाई अपने मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादयानी का कलाम लिखता है कि "हमारा मज़हब वाहबियों के बरखिलाफ है हमारे नज़दीक तक़लीद को छोड़ना एक क़बाहत है क्योंकि हर एक शख़्स मुज्तहिद नहीं है ज़रा सा इल्म होने से कोई मुताबअत के लायक़ नहीं हो जाता क्या वह इस लायक़ है कि सारे मुत्तक़ी और तज़किया करने वालों की ताबेदारी से आज़ाद हो जाए।...हमारे यहाँ जो आता है उसे पहले हनफियत का रंग चढ़ाया जाता है.... ... आज कल जो लोग बिगड़े हुए हैं उसकी वजह सिर्फ यही है कि इमाम की मुताबअत (तक़लीद) छोड़ दी गई।" (रूहानी खजाईन नं. 2 जि. 2 स. 332, 333)

7) मिर्ज़ाई मुसन्नफ डा. बशारत लिखता है सबसे पहले बराहीने अहमदिया में आप (मिर्ज़ा) ने मुजद्दिद होने का दावा किया लेकिन इस दावा मुजद्दियत का ऐलान खास तौर पर 1885 ई. के शुरू में एक इश्तिहार के ज़रीये किया।" (मुजद्दिदे आ़म जि. 1 स. 113) और बराहीन अहमदिया 1884 ई. में तबा हुई (रईस क़ादयान, रफीक दिलावरी हनफी स. 60) और बराहीन अहमदिया के मुतअल्लिक़ हनफी ओलमा देवबन्दी की राय यह है कि इस्लाम की खालिस हिमायत और मज़हब गैर की तरदीद थी और जो मसीह मोऊद के दावे से बिल्कुल खाली है। (क़ादयानियत 67)

8) अबुलहसन नदवी देवबन्दी, इसी तरह मोलाना मुहम्मद शरीफ बंगलोरी हनफी ने बराहीन अहमदिया पर तबसरा खासा तवील लिखा है "खुदा का शुक्र है कि यह आरजू भी बर आई यह वही किताब है जिसकी तालीफ या तसनीफ की मुद्दत से हमको आरजू थी। बराहीन अहमदिया ..... जिसमें मुसन्नफ ज़द क़दरहु अल्लहिम मतअ मुसलिमीन बतोला हयात ने तीन सौ बराहीन क़ातिआ अक़लिया से हक़ीक़त कुरआन और नबूवत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित किया है अफज़लुल ओलमा फाज़िले जरनल फखरे इस्लाम बन्दा मक़बूल बरागाह समद जनाब मोलवी मिर्जा गुलाम अहमद साहब रईसे आज़म क़ादयान ज़िला गुरदासपूर पंजाब की तसनीफ से।" (मन्सूर मुहम्मदी बंगलोर स. 214, 216)

9) हनफी देवबन्दी मोर्रिख लिखता है कि "सबसे पहले उन्होंने (मिर्जा) ने दावा मुजद्दित के साथ अपनी अज़मत का ढोल पीटना शुरू किया चूंकि मुजद्दियत ओलमा उम्मत का ही मन्सब है हामिलीन शरीअत में से किसी ने इस दावा की तकज़ीब न की। और अगर क़ादयानी साहब इसी दावा पर इक्तिफा करते...... तो किसी को मुखालफत की ज़रूरत न थी।" (रईस क़ादयानी स. 1 जि. 2)

10) अशरफ अली थानवी हनफी मुक़ल्लीद देवबन्दी के सामने किसी ने मिर्जा के मुतअल्लिक़ सख्त अल्फाज़ इस्तेमाल किए तो मौलाना थानवी ने इसको बहुत बुरा महसूस किया चुनान्चे मोलाना दरयाबादी लिखते हैं कि हज़रत ने लहज़ा बदल कर इरशाद फरमाया कि यह ज़्यादती है तौहीद में हमारा उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं। इख्तिलाफ रिसालत में है और उसके भी सिर्फ एक बाब यानी अक़ीदा खत्मे रिसालत में। बात को बात की जगह पर रखना चाहिए। जो शख्स एक जुर्म का मुजरिम है तो ज़रूरी नहीं कि वह दूसरे जुर्म का भी हो। इरशाद ने आंखे खोल दी और साफ नज़र आने लगा "ऐ मुसलमानों किसी गिरोह की मुखालफत तुमको इस पर आमादा न कर दे कि तुम नाइन्साफी पर उतर आओ इन्साफ पर क़ायम रहो और यही क़रीने तक़्वा है।" (सच्ची बातें 213)

गोया थानवी साहब ने मिर्जा के मुतअल्लिक़ अवाम को बताया कि हमारा (हनफियों, देवबन्दियों का) और उन (मिर्जा) का सिवाए एक मसअले के और कोई इख्तिलाफ नहीं और वह है मसअला खत्मे नबूवत। हनफी मज़हब के बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं और मिर्जाइयत की तरफ दारी करते हुए कुरआन मजीद की

आयत पेश कर दी मौलाना दरयाबादी ने। फिक्ह हनफी और क़ादयानियत के दरम्यान, थानवी और क़ादयानी के दरम्यान अगर इख़्तिलाफ होता तो थानवी सा. बिला मुवक्किल वकीले सफाई न बनते और इतने अच्छे अन्दाज़ में सफाई पेश न करते। यह बात और यह वाक़िया 1932 ई. यानी उस पर कुफ्र का फतवा लगने से तक़रीबन 42 साल बाद का है। तो मालूम हुआ कि मिर्ज़ा क़ादयानी हनफी मुक़ल्लिद था।

क़ादयानी को सबसे पहले काफिर कहने वाले अहले हदीस हैं

मगर दूसरी तरफ यह भी पढ़े कि जब बराहीन अहमदिया को लिख कर मिर्ज़ा ने जनाब नवाब सिद्दीक़ हसन अहले हदीस की तरफ रवाना की तो नवाब साहब ने उस किताब को फाड़ कर वापस कर दिया। (हक़ीक़तुल वह्यी स. 37 तारीख अहमदियत स. 2, 33 हयाते तय्यवा स. 68 मुजद्दिदे आज़म स. 102)

इसी तरह मौलाना मुहम्मद हुसैन साहब बटोलवी अहले हदीस ने भी इस किताब की मुखालफत की।

मौलवी मुहम्मद उमर अछरवी हनफी बरेलवी लिखता है बराहीन अहमदिया जब मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादयानी ने तसनीफ फरमाई तो मोलवी मुहम्मद हुसैन बटोलवी ने इस बराहीन अहमदिया पर एक रिव्यू लिखा जिसमें मिर्ज़ा पर फतवा कुफ्र लगाया और मिर्ज़ा गुलाम अहम्द साहब के पहले मुकफ्फर बराहीन अहमदिया मोलवी मुहम्मद हुसैन बटोलवी ही है मुखलसन।(मक़यासे नबूवत स. 525 जि. 3)

यह वही मुहम्मद हुसैन बटोलवी रह. जिन्हें तुम झूठा इल्ज़ाम लगा कर अंग्रेज़ का ऐजेन्ट कह रहे हो। यह बात हनफी बरेलवी ने लिखी है कि सबसे पहले क़ादयानी पर कुफ्र का फतवा मुहम्मद हुसैन बटोलवी रह. ने लगाया था जब तुम्हारी जमाअत के लोग उसकी किताब की तारीफ कर रहे थे। अब सच्चाई को झूठलाओगे के सच्चाई की गवाही दोगे?

यह शवाहिद गवाह है कि मिर्ज़ा का अहले हदीस से कोई तअल्लुक़ नहीं है।

मैं खुद हरमे मक्का में 20 रकआत तरावीह पढ़ता और पढ़ाता हुँ, मोलवी सा. टी. वी. पर हर साल तरावीह का लाईव टेलीकास्ट होता है। वह तारीख तो बतलाओ जिस तारीख में शैख ने अकेले ने 20 रकआत तरावीह पढ़ाई

हो? या उसकी वीडियों रिकार्डिंग ही दे दो अगर अपने दावे में सच्चे हो तो? शैख सिर्फ 10 रकआत पढ़ा कर हट जाते हैं। अगर यक़ीन न हो तो अगले साल टी. वी. पर देख लेना। और मेरा एक सवाल आपसे मक्का की बाकी मस्जिदों में 8 रकआत तरावीह क्यों होती है इसका कोई जवाब है आपके पास? आज भी फोन लगा कर पूछ सकते हो जो लोग मक्का मदीना में काम करते है उनसे कि बाकी मस्जिदों में कितनी रकआत तरावीह की नमाज़ होती है वहां?

20 रकआत तरावीह दौरे सहाबा से आज तक हरमैन शरीफैन में बदस्तूर जारी व सारी हैं, इमाम मालिक की गवाही दे चुका हूँ 8 रकआत तरावीह के बारे में दुबारा पढ़ लो।

हम सऊदी हम्बली औलमा 20 रकआत के क़ाईल है, जिन भाईयों को यकीन न आए वह खुद आ कर देख लें। सऊदी मुफ्ती जिनको तुम हम्बली लिख रहे हो उनका फतावा देता हूँ, न तो वह 20 रकआत के काईल है और न फाईल है, पढ़ लो वह क्या कह रहे है:-

सऊदी मुफ्ती का फतवा 8 रकआत तरावीह सुन्नत है

सऊदी के मुफ्ती शैख मुहम्मद बिन सालेह ऊसैमीन रह. से सवाल किया गया।

सवाल :- नमाज़े तरावीह के बारे में क्या हुक्म है और उसकी रकआत कितनी हैं?

जवाब :- नमाज़े तरावीह सुन्नत है और यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। सहीहैन में आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। लोगों ने भी आपके साथ नमाज़ पढ़ी, फिर आपने दूसरी रात नमाज़ पढ़ी और लोगों की भी कसीर तअदाद ने आपके साथ नमाज़ अदा की, फिर लोग इसी तरह तीसरी या चौथी रात में भी जमा हुए लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ न लाए और जब सुबह हुई तो आपने फरमाया "तुमने जो किया मैंने उसे देखा है और घर से मैं इसलिए नहीं निकला कि मुझे यह खदशा लाहक़ हुआ कि कहीं इस नमाज़ को तुम पर फर्ज़ क़रार न दे दिया जाए।" (मुस्लिम 761)

इस वाक़्ये का तअल्लुक़ रमज़ान से है। नमाज़ तरावीह की रकआत की तदाद ग्यारह है क्योंकि सहीहैन में आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि

जब उनसे सवाल किया गया कि रमज़ान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ कैसी थी? उन्होंने जवाब दिया "रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान व गैर रमज़ान में ग्यारह रकआत से ज्यादा नहीं पढ़ते थे।" (बुखारी 1147, मुस्लिम 738)

अगर कोई तेरह रकआत पढ़ ले तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं क्योंकि इब्ने अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत है "नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ तेरह रकआत थी।" (बुखारी 1138, मुस्लिम 764)

यानी रात की नमाज़ की रकआत की तअदाद तेरह थी। उमर बिन खत्ताब रज़िअल्लाहु अन्हु से भी नमाज़ तरावीह की तअदाद ग्यारह ही साबित है जैसा कि मूअत्ता में इस सनद के साथ साबित है, जो तमाम सनदों में सबसे ज्यादा सही है। और अगर इससे ज्यादा रकआत पढ़ ली जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब रात की नमाज़ के बारे मे पूछा गया तो आपने फरमाया कि वह दो दो रकआत है। (बुखारी 990) और फिर आपने तअदाद की कोई हद मुक़र्रर न फरमाई। सलफ से इस बारे में मुखतलिफ मामूलात साबित हैं क्योंकि इस मसअला में काफी गुन्जाईश है, अलबत्ता अफज़ल यह है कि उस तअदाद को इख्तियार किया जाए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और वह ग्यारह या तेरह है।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या खुलफाए राशिदीन में किसी से यह साबित नहीं कि वह तेईस रकआत पढ़ते हों बल्कि उमर फारूक़ रज़िअल्लाहु अन्हु से ग्यारह रकआत ही साबित हैं। उन्होंने ऊबई बिन कअब और तमीम दारी रज़िअल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया था कि वह लोगों का ग्यारह रकआत पढ़ाया करें (मूअत्ता इमाम मालिक 280) और उमर फारूक़ रज़िअल्लाहु अन्हु के यही बात शायाने शान है कि उनका अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक़ हो।

हमें नहीं मालूम कि सहाबा किराम रज़िअल्लाहु अन्हु ने तेरह रकआत से ज़्यादा पढ़ी हों बल्कि बज़ाहिर इसके खिलाफ मालूम होता है और आयशा रज़िअल्लाहु अन्हा की उस रिवायत को क़बल अज़ बयान किया जा चुका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान व गैर रमज़ान में ग्यारह रकआत से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे, और बिलाशुब्ह! सहाबा किराम रज़िअल्लाहु अन्हु का

इज्मा भी हुज्जत है क्योंकि इसमें वह खुलफा ए राशिदीन भी हैं जिनके इत्तेबा का हमें हुक्म दिया गया है फिर वह इस उम्मत के खैरूल कुरून भी हैं। (फतावा अरकाने इस्लाम 297 से 298)

मौलाना अन्डर लाईन को दोबारा पढ़े सऊदी अरब के मुफ्ति रह. की इस तहरीर से 8 रकआत तरावीह पर इज्मा साबित हो रहा है।

खाना-ए-काबा और मस्जिदे नबवी में 20 रकआत की हक़ीक़त

मौलाना सा. कब तक आवाम को 20 रकआत को धोखा दोगे हालांकि यह बात सूरज की तरह रोशन है कि न तो खाना ए काबा में और न मस्जिदे नबवी में 20 रकआत तरावीह होती हैं। वह तो तरावीह की दो जमाअत होती है जिनको आप चलाकी से 20 रकआत बतलाते है भोली भाली आवाम को, आओ मैं तुम्हें बतलाता हुँ कि वह तरावीह की 2 जमाअत क्युं शुरू हुई।

इस बात की वज़ाहत के लिए हम प्रोफेसर अब्दुर्रज्ज़ाक साजिद मदीना युनिर्वसिटी के मज़मून का एक हिस्सा आपकी खिदमत में पेश कर रहे है। यह मज़मून महानामा अत्तिबयान नई देहली अक्टूबर 2009 ई. को छप चुका है।

आप लिखते हैं एक दोर था जब बेतुल्लाह में चार मुस्सले बिछा दिए गए थे, यूं मरकज़े इस्लाम की मरकज़ियत को चार टुकड़ों में बांट दिया गया था, एक मस्लक वाले आज़ान देते तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती अभी नमाज़ का वक्त नहीं हुआ लोगों अपनी नमाज़ें खराब मत करो दूसरे मस्लक वाले नमाज़ शुरू करते तो पहली तरफ से आवाज़ कसी जाती नमाज़ को ताखीर से अदा किया जा रहा है।

आले सऊद ने हुकूमत में आते ही मुसलमानों के मरकज़ से तकलीफ देह सूरते हाल का खात्मा किया और उसकी मरकज़ियत बहाल करते हुए चार मुसल्लों की रस्म को खत्म कर दिया और तमाम मुसलमानों को एक वक्त एक जमाअत और एक इमाम पर जमा कर दिया। यूँ पूरी दुनिया ने इस्लाम और मुसलमानों की यकजहती (एकता) को अपनी आँखों से देखा। कुछ अरसे बाद जब रमजानुल मुबारक का महीना आया इमामें हरम ग्यारह रकआत तरावीह पढ़ा कर जाते रहे, तो बीस रकआत के काईलीन ने इमामे हरम बनने के शौक में जगह जगह गुरूपों की शक्ल में बाकी बारह रकआतों की जमाअत करवाना शुरू कर दी। यह बात

जब हुकूमत तक पहुँची तो इस सूरते हाल के पेशे नज़र फौरन उलमा ए किराम की एक मिटींग बुलाई गयी और एक तरीके पर मुत्तफिक होने का एजेन्डा रखा गया ताकि मरकज़े इस्लाम की शान पर हरफ न आए, जिस पर की दुनिया की नज़र होती है।

बेशुमार कोशिशों के बावजूद भी बीस रकआत के काईलीन इसरार करते रहे कि उन्हें बीस रकआत ही पढ़ना है इसलिए हुकूमत ने इन्तजामी अम्र के पेशे नज़र दो इमामों को मुकर्रर कर दिया कि एक इमाम दस रकआत पढ़ा कर चला जाए और जिसको मसनून तादाद की अदायगी करना हो वह अपना कयाम इस पहले इमाम के साथ पूरा करें और जिसे मजीद रकाअते पढ़नी हो वहँ जगह जगह टोलियों और गुरूपों की शक्ल में न पढ़े दूसरे इमाम के साथ दूसरी जमाअत में शामिल हो जाए, और अपनी जो भी ज्यादा रकआत पढ़ना हो पढ़ ले। यूँ इन्तिज़ामी नुक्ता ए नज़र से हरमैन में तरावीह की दो जमाअतों का सिलसिला चल निकला। इसे मुक़ल्लिदीन यह बावर करते है कि हरमैन में 20 रकआत होती है, हालांकि वह 20 रकआत नहीं है, 10 - 10 रकआत की दो जमाअत हो रही हैं।

इस बात को यूँ समझे कि एक मस्जिद में जोहर की नमाज़ की जमाअत हो गई उसके बाद चन्द लोग आए और उन्होंने अपनी जमाअत बनाई और अपनी नमाज़ बजमाअत अदा की। अब कोई अक्लमंद आदमी यह नहीं कहेगा की जोहर की 8 रकआत नमाज़ हुई। अक्लमंद आदमी यही कहेगा की जोहर की दो जमाअत हुई। फिर हरमैन की तरावीह को क्यूं दो जमाअत नहीं कहते, 20 रकआत कहते हो? यह आवाम को धोखा देना नहीं तो और क्या है?

अलहम्दुलिल्लाह आज 19/9/2014 को बाद नमाज़े मग्रिब बाकी का जवाब पूरा हुआ। अल्लाह तआला से दुआ है कि हमें सही दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बलआलमीन।

खुशखबरी

सिलसिला अहादीसुस्सहीहा

बहुत जल्द

मन्ज़रेआम पर

हिन्दी ज़बान में

ان شاء الله